लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५८, १९६१/१८८३ (शक)

[४ से ८ सितम्बर १९६१/१३ से १७ भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

चौदहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

अंक २१--सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१/१३ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६४, ११६६ से ११७१ और ११७४ ... ३२७१--९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ... ३२९६--९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५८, ११६५, ११७२, ११७३, ११७५ से १२०९ ... ३२९८--३३१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१५० से ३२९३, ३२९५ से ३३०२, ३३०४ से ३३३३ और ३३३५ से ३३४३ ... ३३१५--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... ३३९६

वित्तीय समितियां (१९६०-६१)- एक संमीक्षा--

सभा-पटल पर रखी गयी ... ३३९७

राज्य सभा से सन्देश ... ३३९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ३३९७

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति--

कार्यवाही सारांश और बारहवां प्रतिवेदन ... ३३९७-९८

सभा का कार्य ... ३३९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक ... ३३९८--३४१७

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... ३३९८--३४०२

खंड ३ से २९ और १ ... ३४०२--०५

पारित करने का प्रस्ताव ... ३४०५--१७

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक--

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव ... ३४१७--२१

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ... ३४२१--२३

दैनिक संक्षेपिका ... ३४२४--३४

अंक २२--मंगलवार, ५ सितम्बर, १९६१/१४ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२१० से १२१४, १२१६, १२१७, १२२० से १२२३, १२२५ से १२३१ ... ३४३५--६१

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२१५, १२१८, १२१९, १२२४, १२३२ से १२४०	३४६१—६७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३४४ से ३४६३ .	३४६७—३५१८
स्थगन प्रस्ताव . .	३५१८—२०
(१) मोसावाडी में तांबों की खानों का बन्द किया जाना	३५१८–१९
(२) तीस्ता नदी पर रस्सी के पुल का टूटना	३५१९–२०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३५२०–२१
पुनर्वास प्रतिकर दावों के आवेदन पत्रों का अस्वीकार किया जाना	३५२०–२१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५२१–२२
राज्य सभा से सन्देश . . .	३५२२, ५६–५७
अनुपस्थिति की अनुमति .	३५२२
धार्मिक न्यास विधेयक——	
संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति	३५२३
सभा का कार्य	३५२४
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक——	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३५२४—३७
खंड २ से २६, २०क और १	३५३४—३६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३५३६–३७
गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक	३५३७—५३
विचार करने का प्रस्ताव	३५३७—५१
खंड २ से ५ और १ .	३५५३
पारित करने का प्रस्ताव .	३५५३
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक .	३५५३—५६
विचार करने का प्रस्ताव	३५५३—५६
आयकर विधेयक, १९६१ . . .	३५५७
राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया	
लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३५५७—६२
दैनिक संक्षेपिका	३५६३—७०

पृष्ठ

अंक २३—बुधवार, ६ सितम्बर, १९६१/१५ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४६, १२४७, १२४९, १२५० से १२५५, १२५७, १२५८ और १२६१ . . . ३५७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४१,१२४२, १२४४, १२४८, १२५६, १२५९, १२६० और १२६२ से १२७० ३५९५–३६००

अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६४ से ३५९४, ३५९६, ३५९७, ३५९९ से ३६१८, ३६१९क, ३६१९ख, ३६१९ग, ३६१९घ और ३६१९ङ ३६०१–६८

अतारांकित प्रश्न संख्य . . . . उत्तर में शुद्धि ३६६८

स्थगन प्रस्ताव—

नजफगढ़ झील से पानी का बह निकलना ३६६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते के हवाई अड्डे पर डकोटा विमान की दुर्घटना ३६६९–७०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६७०

राज्य सभा से सन्देश ३६७१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सदस्यों सम्बन्धी समिति—

नवास्सीवां प्रतिवेदन . ३६७१

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६७१

सदस्य का त्याग पत्र . ३६७१

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . ३६७१–९२

खंड २ से २३ और १ ३६९२–९७

पारित करने का प्रस्ताव ३६९२–९७

खनिज रियायत निगम के बारे में प्रस्ताव ३६९८–३७०७

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३७०७–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७१४–२२

पृष्ठ

अंक २४ गुरुवार, ७ सितम्बर, १९६१/१६ भाद्र, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ से १२७६, १२७८ से १२८०, १२८२, १२८४ ३७२३—४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२७७, १२८१, १२८३, १२८५ से १३१८ ३७४७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२० से ३७७६, और ३७७६क ३७६३—३८३२

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ३८३२

गैर सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों को कोयले और चूने के पत्थर के नियमित रूप से संभरण न होने के कारण कठिनाइयां ३८३२

कोयले की स्थिति के बारे में वक्तव्य ३८३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८३३

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ३८३४

कार्यवाही का सारांश ३८३४

याचिका सम्बन्धी समिति——

(१) कार्यवाही सारांश ३३३४

(२) तेरहवां प्रतिवेदन ३८३४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश ३८३४

प्राक्कलन समिति——

(१) कार्यवाही सारांश . ३८३४

(२) एक सौ बयालीसवां प्रतिवेदन . ३८३४

जमा धन बीमा निगम विधेयक . . ३८३५—५७

विचार करने का प्रस्ताव . . ३८३५—५५

खंड २ से ६ . . . . ३८५५—५७

कोयले के उत्पादन और संभरण के बारे में प्रस्ताव . . ३८५७—७६

बोनस आयोग के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३८७६—८०

दैनिक संक्षेपिका . . ३८८१—९०

अंक २५—शुक्रवार, ८ सितम्बर, १९६१/१७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ से १३२८, १३३० से १३३६, १३४२-अ और १३३७ . . ३८९१—३९१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ से ६ ३९१९—३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२९ और १३३८ से १३४५ ३९३४—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या २७७७ से २८४४ और २८४६ से २८७४ . ३९३८—८५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ३९८५—९५

(१) कुछ खानों में दुर्घटनायें

(२) आई० सी० एस० अधिकारियों की उपलब्धियों में कथित कटौती

(३) फर्रुखाबाद में रेल गाड़ी को रोका जाना

(४) उड़ीसा के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना में किये गये आवंटन का पुनरीक्षण

(५) कुछ संघ राज्यों में नई राजनैतिक व्यवस्था

(६) हथकरघे कपड़े के लिये गोदी निरीक्षण प्रमाणपत्र

(७) लोहे की कतरन का निर्यात

(८) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद की छात्र-वृत्तियों का दिया जाना

(९) विज्ञान संवर्धन संस्था कलकत्ता के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की धमकी

(१०) राष्ट्रीय न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) द्वारा पंचाट देने में विलम्ब

(११) दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अनुसंधान विद्यार्थी द्वारा कथित आत्महत्या

(१२) नौकरी से हटाये गये कुछ कर्मचारियों को फिर से बहाल न किया जाना और कर्मचारियों के संघों तथा फैडरेशनों को पुनः मान्यता देने में विलम्ब

(१३) उड़ीसा में बाढ़

(१४) कुछ सरकारी शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान में विलयन

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	३९९५—९८
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति . . कार्यवाही-सारांश	३९९८
राज्य सभा से संदेश . .	३९९८
लोक लेखा समिति . .	३९९९
अड़तीसवां प्रतिवेदन	
तीस्ता नदी के पुल के टूटने के बारे में वक्तव्य	३९९९
सदस्य द्वारा वक्तव्य . .	३९९९
आयकर विधेयक . .	३९९९—४००३
राज्य सभा द्वारा किए गये संशोधन	
जमा धन बीमा निगम विधेयक	४००३—०५
खंड ६ से ५१ और १	४००३—०४
पारित करने का प्रस्ताव	३००४—५
यूरोपीय साझा बाजार के बारे में प्रस्ताव	४००६—१६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति नवासीवां प्रतिवेदन	४०१६
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प . . .	४०१६—३४
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रासबिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प . . .	४०३५–३६
दैनिक संक्षेपिका . . .	४०३७–४६
चौदहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप .	४०४७–४९

लोक सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१

१३ भाद्र, १८८३ शक

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा

+

†*१५९. { श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री वाजपेयी :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कालिका सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने गंगा तथा घाघरा नदियों के बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच की सीमा निर्धारित करने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार को सौंप दिया है,

(ख) यदि हां, तो इस विषय में कोई निर्णय किया गया है, और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

1214(Ai)LSD—1

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती श्राल्वा)** : (क) दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने प्रधान मंत्री से राज्यों के बीच गंगा और घाघरा नदियों के साथ निश्चित सीमा निर्धारित करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रार्थना की है। अग्रेतर कार्यवाही इसके हो जाने पर की जायेगी।

(ख) और (ग). उत्पन्न नहीं होते।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि दोनों को क्या टर्म्स ऑफ रिफेरेंस दी गयी हैं जिनकी बुनियाद पर उनमें समझौता होगा ?

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

(ख) उनको अभी तक दिये गये निर्देश क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : दोनों नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया है। इसलिये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा जल के बीच में नहीं मानी जा सकती है और नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण अनेक गांवों के सम्बन्ध में यह विचार करना होगा कि वे उत्तर प्रदेश के हैं अथवा बिहार के।

†**श्री विभूति मिश्र** : समझौता किस माध्यम से किया जा सकता है ?

†**श्री दातार** : यह मामला विचाराधीन है कि नदी की धारा के अतिरिक्त सीमा रेखा क्या हो सकती है अथवा जल की धारा को ही सीमा मान लेने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या इस मामले में केन्द्र हस्तक्षेप करना चाहता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं दोनों मुख्य मंत्री सहमत हो गये हैं और उन्होने प्रधान मंत्री को यह सुझाव दिया है कि वह इस मामले के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करे।

†**श्री श्रीनारायण दास** : जब दोनों मुख्य मंत्री इस मामले के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करने के लिये मिले थे तो क्या प्रस्ताव रखा गया था अथवा विचार किया गया था ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मुझे उनकी चर्चा का ब्यौरा नहीं मालूम हैं। दोनों मुख्य मंत्री प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिले हैं और उन्होंने उनको इस मामले पर विचार करने के लिये किसी को नियुक्त करने का सुझाव दिया है। जहां तक उनकी चर्चा के ब्यौरे का सम्बन्ध है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद के सम्बन्ध में कुछ इस कार के गांव हैं जिनके विकास कार्य पर न उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे पा रही है और न बिहार सरकार ? यदि हां, तो वे गांव कितने और उनके विकास का काम कैसे किया जायेगा ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरफ के इलाके ऐसे जो काफी अच्छे हैं, तरक्की कर रहे हैं, चाहे इधर बलिया का जिला हो या उधर शाहाबाद का जिला हो। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई खास शिकायत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** यह मामला पिछले ३० वर्षों से चला आ रहा है। इसमें कितने वर्ष और लगेंगे? क्या उसमें ३० वर्ष और लगेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जब ३० वर्ष हो गये हैं तो तीन महीने अथवा तीन वर्षों तक और प्रतीक्षा की जा सकती है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री जी ने किसी पंच को मुकर्रर कर दिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं, अभी नहीं। इत्मीनान से काम होना चाहिये, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इतना बड़ा झगड़ा नहीं है जो तै न हो सके।

मद्रास में इस्पात कारखाना

+

†*११६०. { **श्री मुरारका :** **श्री रामकृष्ण गुप्त :** **सरदार इकबाल सिंह :** }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने की सम्भाव्यता की जांच करने के मामले में और क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** निवेली लिगनाइट निगम के नवीनतम प्रतिवेदन से मालूम होता है कि लिगनाइट का बड़ी मात्रा में निकाला जाना इस वर्ष के अन्त में प्रारम्भ होगा। बड़े पैमाने के वाणिज्यिक परीक्षण उसके पश्चात् ही प्रारम्भ किये जा सकते हैं।

†**श्री मुरारका :** क्या इस इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये समस्त तीसरी पंच् वर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्य प्रारम्भ किये जाने की संभावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** वह प्रस्तावित परीक्षणात्मक प्रयोगों के परिणाम पर निर्भर होगा। पहली आवश्यक चीज यह है कि यह सिद्ध होना चाहिये कि इस्पात अथवा कच्चा लोहा बनाया जा सकता है और लाभ प्रद ढंग से बनाया जा सकता है।

†**श्री मुरारका :** जहां तक कच्ची सामग्री की स्थिति का सम्बन्ध है, अभी तक क्या अनुसंधान किये गये हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** प्रमुख कच्ची सामग्री लिगनाइट, जिसका अभी तक बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया गया है, और लोह अयस्क होगी। लौहअयस्क सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ हो गया है। नवीनतम संकेत यह है कि सेल माइट लौह अयस्क का अभिशोधन करना पड़ेगा। समिति को सौंपा गया एक मामला यह है कि उसे सेलम के अतिरिक्त, अन्य क्षेत्रों के लौह अयस्क के उपयोग की संभावनाओं की जांच भी करनी चाहिये।

†**श्री तंगामणि :** पहले एक अवसर पर और आज भी माननीय मंत्री ने बताया कि बड़े पैमाने के वाणिज्यिक परीक्षण अगले वर्ष के प्रारम्भ में किये जायेंगे। क्या इस परीक्षण के लिये १,००० टन

---

†मूल अंग्रेजी में

लिगनाइट पूर्वी जर्मनी भेजा जायेगा जैसा कि मूलतः बताया गया था अथवा इन बड़े पैमाने के वाणिज्यिक परीक्षणों का कोई अन्य तरीका भी है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उसे पूर्व जर्मनी और संभवतः नार्वे भी भेजना होगा ।

†**श्री हेडा** : जब लिगनाइट से ईंटें बनाने का प्रयोग सफल हो गया है तो लिगनाइट के ईंधन के रूप में प्रयोग के सम्बन्ध में अग्रेतर जांच का क्या प्रश्न है क्योंकि लिगनाइट से हम ईंटें बना सकते हैं और उसे ईंधन के रूप में काम में ला सकते हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उसका पूर्व जर्मनी में प्रयोग किया गया है । लिगनाइट का स्वरूप देश-देश और किस्म किस्म में भिन्न हो सकता है । इसलिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाने के पूर्व कच्ची सामग्री के अग्रिम परीक्षण करना आवश्यक है ।

†**श्री हेडा** : मैं इन ईंटों का निर्देश कर रहा हूं जो हमने अपने लिगनाइट से बनाई हैं । जब हम अपने लिगनाइट में ईंटे बना चुके हैं तो अग्रेतर परीक्षण का क्या सवाल है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रश्न लौहअयस्क के पिघलाने का है ।

†**श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या निवेली में उत्पादित ईंटे मैसूर राज्य के बेलारी जिले के लौह अयस्क को, जिसमें लोहे की बहुत अधिक मात्रा है काम में लाने के लिये उपयोगी हो सकती हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : बेलारी का लौह अयस्क बहुत अच्छा है। उसको उपयोग में लाया जा सकता है यदि परिवहन आदि से संबंधित अन्य आर्थिक समस्यायें हल की जा सकें ।

†**श्री तंगामणि** : चूंकि इस इस्पात संयंत्र की स्थापना की संभावना है मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने लौह अयस्क और लिगनाइट की उपलब्धता की दृष्टि से उस इस्पात संयंत्र की क्षमता का कोई अनुमान तैयार किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि अभी ऐसा करना अपरिपक्व होगा ।

†**श्री दामानी** : क्या उस संयंत्र में विशेष इस्पात का निर्माण किया जा सकता है जो हम अभी आयात कर रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । माननीय सदस्य जानते हैं कि विशेष इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में स्थापित किया जा रहा है ।

†**श्री नरसिंहन्** : वहां सेलम लौह अयस्क समिति इन मामलों के सम्बन्ध में जांच कर रही है । वह राज्य सरकार के अंतर्गत है अथवा संघीय मन्त्रालय के ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वह समिति केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच संयुक्त परामर्श के पश्चात् नियुक्त की गई थी । इस समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं । उदाहरण के लिये मद्रास राज्य विद्युत् बोर्ड के सभापति श्री कैवर इसके सदस्य हैं । फिर राष्ट्रीय धातु कार्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर के संचालक डा० निझावन और निवेली लिग्नाइट निगम के डा० रत्नम् तथा चार अन्य सदस्य भी हैं ।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अनुसन्धान हो रहा है वह लिग्नाइट निगम के तत्वावधान में हो रहा है अथवा किसी अन्य के ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : अनुसन्धाभ के लिये किसी के तत्वावधान की आवश्यकता नहीं है। जहां तक लिग्नाइट के खनन और ईंटें बनाने का सम्बन्ध है, वह कार्य निर्वेली लिग्नाइट निगम कर रहा है, जहां तक लौह अयस्क अनुसन्धानों का प्रश्न है वे मुख्यतः मद्रास की राज्य सरकार द्वारा किये जाते हैं।

†**श्री मुरारका** : क्या सिद्धान्ततः यह निर्णय कर लिया गया है कि पांचवां इस्पात संयंत्र मद्रास राज्य में स्थापित किया जाएगा, विशेषकर इस दृष्टि से कि आयात करने वाले देश भी हमारे द्वारा निर्यात किये गए घटिया किस्म के लोहे का अभिशोधन करके उसे इस्पात बनाने के काम में ला रहे हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : सिद्धान्ततः प्रारूप में भी यह उल्लेख है कि दक्षिण में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया जा सकता है और यदि बड़े पैमाने के परीक्षण सफल होते हैं तो उसकी स्थापना की जानी चाहिये। जहां तक दूसरी बात, अर्थात् कि अन्य देश घटिया लोहे का अभिशोधन करके इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, का सम्बन्ध है, सौभाग्य से यहां अच्छे किस्म का लौह अयस्क बहुत मात्रा में उपलब्ध है इसलिये आर्थिक दृष्टि से यह अधिक अच्छा होगा कि हम अपने इस्पात उद्योग में अच्छी किस्म का लोहा काम में लायें।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

+

†*११६१. { **श्री श्री नारायण दास :**
श्री राधा रामण : }

क्या इस्पात, खान और इंधन मन्त्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के एक विशेषज्ञ के, जिसने कुछ समय पहले राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों का सर्वेक्षण किया था, सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके किन सुझावों को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के संगठनात्मक स्वरूप में कोई रद्दोब दल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के परिवर्तन किये गये हैं ?

†**इस्पात खान और इंधन मंत्री (सरदर स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ) आवश्यक सूचना प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के उत्पादन महानिदेशक श्री एच० ए० लॉगडेन द्वारा अपनी जून तथा जुलाई, १९६० में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खान की जांच के दौरान दिए गए सुझावों पर विचार किया गया है और मुख्य सुझावों पर कार्यवाही की जा रही है।

२. उनके द्वारा दिये गये सुझावों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के संगठन का विकेन्द्रीकरण किया गया है ताकि मुख्य खनन इंजीनियरों अथवा संयुक्त मुख्य खनन इंजीनियरों को प्रत्यक्षतः विभिन्न खनन क्षेत्रों का प्रभारी बनाया जा सके। समन्वय और आयोजन के मजबूत बनाने की दृष्टि से उत्पादन संचालक और योजना संचालक नामक दो वरिष्ठ पद निर्मित किये गये

†मूल अंग्रेजी में

हैं। संयंत्र और उपकरण के संधारण का उच्चतर प्रतिमान प्राप्त करने के लिये कदम उठाए गए हैं। नई मशीनों, जिनमें से कुछ इस देश के लिये सर्वथा नई हैं, पर काम करने के लिये खनिकों और चालक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब वे अनुभव प्राप्त कर लेंगे तो इन मशीनों से उत्पादन आशान्वित स्तर तक पहुंच जाएगा। श्री लॉगडेन की सिफारिशों के अनुसार बोकारो कोयला क्षेत्र की जारंगडीह खान को फिर से खोलने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत अध्ययन कराया जा रहा है जिससे उस खान को चालू करने की सम्भावना का निर्धारण किया जा सके।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या श्री लॉगडेन के सुझावों के क्रियान्वयन में बहुत अधिक धन लगेगा और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: यदि नया कार्य प्रारम्भ किया जाएगा तो अतिरिक्त व्यय करना होगा। परन्तु जहां तक सुझाए गए संगठन सम्बन्धी परिवर्तनों का सम्बन्ध है, उसमें अधिक व्यय नहीं होगा। मैं निश्चित राशि नहीं बता सकता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : यदि इन सुझावों को क्रियान्वित कर दिया जाए तो कोयले के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाएगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। सुझाव संगठन सम्बन्धी है, नई खानों के चालू हो जाने से कुल वृद्धि उतनी होगी जितनी कि तीसरी योजना के प्रारूप में बताई गई है। अर्थात् हमारा लक्ष्य तीसरी योजना के अन्त में ९७० लाख टन प्रतिवर्ष है जबकि वर्तमान क्षमता ६०० लाख टन की है।

†**श्री राधा रमण** : क्या यह निगम उन खानों की खरीद और उनकी स्थिति के सुधार की ओर भी ध्यान देगा जिनकी रोजगार तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में बहुत खराब स्थिति है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह इस प्रश्न के सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं होता है। खानों के राष्ट्रीयकरण का वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री राधा रमण** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह निगम, राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त परीक्षण के लिये उन खानों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा जिनकी रोजगार आदि के सम्बन्ध में बहुत खराब स्थिति है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस प्रकार के किसी प्रयोग की कल्पना नहीं की गई है। विचार यह है कि खराब खानों का भार बचाया जाये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या श्री लॉगडेन ने लागत के सम्बन्ध में भी जांच की थी ? क्या उनसे राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में कोयले के उत्पादन में अधिक लागत आने के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये कहा गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी, नहीं। मैं यह नहीं मानता कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जो नई किस्म की मशीनें लगाई जा रही हैं उनको चलाने के लिये खनिकों और चालक कर्मचारियों का प्रशिक्षण मशीनों की स्थापना के पहले प्रारम्भ किया गया था अथवा यह

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशिक्षण श्री लाँगडेन के सुझाव के परिणामस्वरूप प्रारम्भ किया गया है ? प्रशिक्षण योजना किस प्रकार की है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : प्रशिक्षण योजनायें पहले प्रारम्भ की गई थीं। ऐसा नहीं है कि श्री लाँगडेन के कहने पर वे प्रारम्भ की गई हों। वैसे सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। यदि कोई हितैषी सुझाव देता है तो हमें उनका स्वागत करना चाहिये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : प्रशिक्षण किस प्रकार का है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मन्त्री ने अभी कहा कि यह प्रश्न नई खानों के खोले जाने के सम्बन्ध में है। क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने बिहार में रामगढ़ और जारंगडीह क्षेत्रों में कोयला खानों के विकास की योजनायें तैयार की हैं और क्या यह भी सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन से प्रविधिक एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करने का विचार किया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में यह कहा गया है कि जारंगडीह का अध्ययन किया जा रहा है और माननीय मन्त्री ने कहा कि यह प्रश्न नई खानें खोलने के सम्बन्ध में है। इसलिये यह बहुत संगत प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इन प्रविधिज्ञों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि क्या है और प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है ? क्या प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के अन्तर्गत कोई संस्था कार्य कर रही है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र संगठित किये गये हैं।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ब्रिटेन के किसी विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त की जायेंगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं नहीं समझता कि उसकी आवश्यकता पड़ेगी।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच है कि इन विदेशी विशेषज्ञों ने हमारे कार्य के तरीकों की आलोचना की है और यह संकेत किया है कि विभिन्न खानों में बहुत सी मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : श्री लाँगडेन ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के उत्पादन महानिदेशक हैं। वह यहां आए थे और लगभग दो सप्ताह यहां रहे। वह ब्रिटेन के एक उच्च कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने ब्यौरे की बातों को नहीं लिया। यह प्रश्न इस प्रश्न के सम्बन्ध में उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से मालूम होता है कि राष्ट्रीय कोयला बोर्ड जारंगडीह और बोकारो क्षेत्रों के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन करने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं वह अपना अध्ययन कब तक समाप्त कर लेगा और प्रतिवेदन कब तक पेश किया जाएगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : विशेषज्ञ भारत पहुंच चुके हैं अथवा शीघ्र ही पहुंच रहे हैं ..... मैं स्मरणशक्ति से बता रहा हूं । उन्हें ठोस सिफारिश करने में कुछ महीने अवश्य लगने चाहिएं ।

†श्री तंगामणि : हमें बताया गया है कि श्री लाँगडेन की सिफारिश के परिणामस्वरूप दो महानिदेशालय--योजना महानिदेशालय और उत्पादन महानिदेशालय--स्थापित किए गए हैं । क्या इस कार्य विभाजन से कार्यदक्षता में वृद्धि हुई है और इस विभाजन के परिणामस्वरूप क्या अनुभव हुआ है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । मेरे विचार में यह व्यवस्था अधिक अच्छी रही है ।

समाज कल्याण बोर्ड की निधियां

†*११६२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज कल्याण बोर्ड की निधियां पंचायतों और पंचायत समितियों के जरिये काम में लायी जाती हैं ;

(ख) वर्तमान व्यवस्था क्या है और उसमें सुधार करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) १९६१-६२ में बोर्ड ने पंचायत समितियों और जिला परिषदों को कितनी निधि दी ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्वयंसेवी कल्याण संगठनों को निधियां प्रत्यक्षतः अथवा सम्बन्धित राज्य समाज कल्याण मंत्रणा बोर्ड के माध्यम से दी जाती हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं और यदि ऐसा है तो उन राज्यों में काम कैसे चलता है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं बता चुका हूं कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड केवल स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देता है । कठिनाई उन राज्यों में उत्पन्न हुई है जिन्होंने पंचायत समितियां अथवा पंचायतें स्थापित की हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इनको कोई अनुदान नहीं देता है क्योंकि वे उसके पर्यालोकन में नहीं आती हैं । परन्तु यदि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को लिखें तो हम निश्चय ही इस मामले पर विचार करेंगे । वास्तव में पिछली बार राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के समय मैंने स्पष्ट बता दिया था कि यदि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करें तो इस मामले पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में राज्य सरकारें तैयार नहीं हैं क्या उनमें स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय अनुदान मिलने बन्द हो गए हैं ? यह कैसे हुआ ? जिन संगठनों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से पहले सहायता मिल रही थी उन्हें राज्य सरकारों के दुराग्रह के कारण अभी भी अनुदान मिल रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० का० ला० श्रीमाली : आन्ध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जहां परियोजना क्रियान्वयन समितियों का वित्त पोषण प्रत्यक्षतः केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता था, वे अब नहीं चल रहीं हैं क्योंकि उन्हें पंचायत समितियों ने अपने हाथ में ले लिया है। इसलिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इन समितियों को कोई अनुदान नहीं दे रहा है। इसलिए मैंने राज्य सरकारों से कहा है कि यदि वे केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करें तो इस मामले पर अवश्य विचार किया जाएगा क्योंकि फिर वह दो सरकारों के बीच की बात होगी। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड बीच में नहीं आता है। हम उन मामलों में अवश्य विचार करेंगे जिनमें प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ है और पंचायत समितियों ने ऐसे अनेक कार्य अपने हाथ में ले लिये हैं जो पहले केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किये जाते थे।

†श्री कासलीवाल : संभवतः माननीय मंत्री यह जानते होंगे कि पंचायत समितियां भी कुछ समाज कल्याण कार्य करती हैं। अब उन्होंने कहा कि कुछ अन्य अभिकरण भी समाज कल्याण कार्य कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कार्यों के अतिछादन और दोहरेपन के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या उसके निराकरण का कोई तरीका निकाला गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : उसका निराकरण नहीं हो सकता क्योंकि समाज कल्याण बोर्ड का पंचायतों और स्थानीय निकायों से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका संगठन इस प्रकार का है कि उसका सम्बन्ध केवल समाज कल्याण संगठनों से है। यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करे तो इस मामले पर निश्चय ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच नहीं है कि परियोजना क्रियान्वयन समितियों को, जिन्हें अब स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अपने हाथ में कर लिया गया है, अपने प्रसूति एकक बन्द करने पड़े और परिणामस्वरूप बहुत से उपकरण बेकार पड़े हैं और यदि ऐसा है, तो सरकार उनको किस प्रकार उपयोग में लाएगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी प्रारम्भ किया गया समाज कल्याण कार्य बन्द हो गया है। यह बात मेरी जानकारी में नहीं लाई गई है। यदि राज्य सरकार उसके सम्बन्ध में हमें लिखे तो हम निश्चय ही इस मामले पर विचार करेंगे।

†श्रीमती इला पालचौधरी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान एक चीज की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। ये परियोजना क्रियान्वयन समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में थीं और प्रसूति एकक ही सर्वाधिक उपयोगी चीज़ थी। परन्तु अब उसे बन्द कर दिया गया है और एक संक्षिप्त तरीका अपनाया जा रहा है। प्रणालियां भी बदलती रहती हैं। इन प्रसूति एककों की हानि के सम्बन्ध में सरकार की क्या सफ़ाई है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या तर्क कर रही हैं। वह एक ही बात दूसरे प्रश्न के रूप में दोहरा रही हैं।

†श्री त्यागी : चूंकि केन्द्रीय अभिकरण के लिए समस्त देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से परिचित होना संभव नहीं है, क्या ये बोर्ड राज्य सरकारों अथवा अन्तरिम जिला परिषदों आदि जैसे जिला प्राधिकारियों से मंत्रणा करते हैं ताकि यह मालूम हो सके कि जिस संगठन को वे अनुदान देने जा रहे हैं वह उस संरक्षण के योग्य है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का ला० श्रीमाली :** प्रत्येक राज्य में एक राज्य समाज कल्याण बोर्ड है और राज्य समाज कल्याण बोर्ड का सभापति राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है । इसलिए समाज कल्याण बोर्ड और राज्य समाज कल्याण बोर्ड के बीच यह सम्पर्क है । जहां तक मेरी जानकारी है, कार्य की प्रगति संतोषजनक हो रही है । मुझे ऐसी कोई शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं जिनमें राज्य सरकार ने किन्हीं संस्थाओं को दिए गए अनुदानों के सम्बन्ध में आपत्ति की हो अथवा यह कहा गया हो कि किसी संस्था को अनुदान क्यों नहीं दिया गया ।

†**श्री त्यागी :** क्या इसका मतलब यह है कि कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्षतः अनुदान दिए जाते हैं और वे अखिल भारतीय प्रकृति के हैं । परन्तु सामान्यतः अनुदान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सिफारिश पर ही दिए जाते हैं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अभी तक समाज कल्याण बोर्ड को दी जाने वाली निधियों के पंचायतों को व्यपवर्तन का अनुरोध किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मुझे इसकी जानकारी नहीं है । इस मामले की राज्य सरकार के साथ चर्चा की गई थी जब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था परन्तु मुझे यह नहीं मालूम कि क्या ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त हुई थी । यदि माननीय सदस्य पूर्व सूचना दें तो मैं निश्चय ही इस मामले के सम्बन्ध में जांच करूंगा ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** उन स्वयंसेवी संगठनों के चुनाव की कसौटी क्या है जिनको समाज कल्याण बोर्ड सहायता देता है । क्या यह सच है अथवा नहीं कि अनेक ऐसे संगठनों को सहायता दी गई है जो कोई भी समाज कल्याण कार्य नहीं करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य इस सबकी चर्चा उस समय कर सकते हैं जब प्रतिवेदन चर्चा हेतु पेश किया जाएगा ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समाज कल्याण बोर्ड ने समाज कल्याण संगठनों को अनुदान देने के लिए नियमों की एक बहुत लम्बी सूची तैयार की है । यदि सहायतार्थ अनुदान संहिता की एक प्रति पुस्तकालय में मौजूद नहीं है तो उसे वहां रख दिया जाएगा । मुझे ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । यदि माननीय सदस्य की निगाह में ऐसा कोई मामला है तो वह कृपया मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करें और हम उसे समाज कल्याण बोर्ड को निर्दिष्ट करेंगे ।

†**श्री त्यागी :** प्रश्न यह है कि क्या उनके लेखाओं का लेखापरीक्षण किया जाता है ?

श्री ब्रजराज सिंह : तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में से एक प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण भी है । इस लक्ष्य को देखते हुये क्या यह उचित नहीं होगा कि सेंट्रल वैलफेयर बोर्ड को, जो कि एक केन्द्रीय संस्था है और केन्द्रीकरण की तरफ जाती है, खत्म कर दिया जाये और वह सारी धन राशि, जो कि इसके द्वारा खर्च की जा रही है, जिला परिषदों, पंचायत समितियों और पंचायतों के द्वारा खर्च की जाये ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न इस लिये नहीं उठता है कि अब सब जगह विकेन्द्रीकरण नहीं हुआ है, ...

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री ब्रजराज सिंह : जहां हो गया है, वहां ?

डा० का० ला० श्रीमाली . . . . और जब वह सारे देश में हो जायगा, तब इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। फिर भी मेरा ख्याल यह है कि सोशल वेलफेयर बोर्ड की हमेशा आवश्यकता रहेगी, क्यों कि देश में वालन्टेरी आरगनाइजेशन्ज़ हमेशा रहेंगी। इस देश में यह कभी भी किसी की मन्शा नहीं है कि सारा काम राज्य अपने ऊपर ले ले। वालन्टेरी आरगेनाइजेशन्ज़ ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहियें और अगर वालन्टेरी आरगेनाइजेशन्ज़ होगी, तो सोशल वेलफेयर बोर्ड की भी जरूरत होगी ।

श्री विभूति मिश्र : ऐसी भी स्टेट्स हैं, जहां डिस्ट्रिक बोर्ड, जिला परिषद्, पंचायत समितियां इत्यादि नहीं हैं और न ही सोशल वेलफेयर बोर्ड ही है --जैसे कि बिहार है--, वहां गवर्नमेंट पैसा कैसे देती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : बिहार में तो सोशन वेलफेयर बोर्ड है।

श्री विभूति मिश्र : वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं है। वहां कैसे देंगे ?

†**श्री हरिश्चन्द्र** माथुर : केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को छोड़कर अन्य समस्त राज्य सरकारों ने विकेन्द्रीकरण की नीति स्वीकार कर ली है और पंचायत राज स्थापित किया जाने वाला है और पंचायत राज की स्थापना के परिणामस्वरूप यह समाज कन्ल्याण बोर्ड निष्क्रिय हो गया है जैसे कि, उदाहरण के लिये, आन्ध्र प्रदेश में। इसकी दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले की चर्चा सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के साथ की है। अथवा चर्चा करने का विचार है ताकि इन सब कठिनाइयों का हल निकाला जा सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, माननीय सदस्य की धारणायें सही नहीं हैं। परियोजना क्रियान्वयन समिति, जिसका मेरे विचार से माननीय सदस्य निर्देश कर रहे हैं, का केवल सीमित उद्देश्य था। इस लिये समस्त समाज कल्याण बोर्ड निष्क्रिय नहीं हुआ है। वास्तव में बहुत से समाज कल्याण संगठन अभी भी कार्य कर रहे हैं तथा वे समाज कल्याण बोर्ड से अनुदान प्राप्त करने के हकदार हैं। यदि भारत सरकार पंचायत समितियों को राज्य सरकारो के माध्यम से भी अनुदान देती है तो भी समाज कल्याण बोर्ड की आवश्यकता रहेगी क्योंकि बहुत से अन्य स्वयंसेवी संगठन इस क्षेत्र में कार्य करते हैं।

†**श्री च० द० पांडे** : जब स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी निधियां आवंण्टित की जाती हैं तो इस की क्या गारण्टी है कि वे उचित रूप से व्यय की जाती हैं ? क्या सरकार उनके हिसाब की जांच करती है अथवा वह उन संगठनों की कृपा पर आश्रित है जिन्हे ये अनुदान दिये जाते हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब की जांच नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है।

†**श्री च० द० पांडे** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन संगठनों को अनुदान दिये जाते हैं उनके हिसाब की जांच की जाती है अथवा नहीं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समस्त लेखाओं की जांच की जाती है . . . . .

†**श्री च० द० पांडे** : क्या गैर-सरकारी निकायों के हिसाब की जांच की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री कृपा करके इसका स्पष्टीकरण करें। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उन संस्थाओं के लेखाओं की जांच की जाती है जिन्हें समाज कल्याण बोर्ड अनुदान दे रहा है और क्या उनके लेखे बोर्ड को पेश किये जाते हैं ?

†**श्री च० द० पांडे :** क्या इस बात की कोई व्यवस्था है कि जो राशि दी जाती है वह उचित रूप से व्यय की जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान इसी शर्त पर दिये जाते हैं कि वे अपने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा लेखा परीक्षित लेखाओं के विवरण पेश करें। समस्त स्वयं सेवी संगठन अपने लेखाओं के परीक्षण के लिये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास नहीं जाते हैं परन्तु उनकी अपनी एजेंसियां होती हैं और वे अपने लेखाओं की जांच चार्टर्ड एकाउन्टेटों द्वारा कराते हैं। हो सकता है कि कुछ संस्थायें ऐसा करने में चूक कर रही हों । जब हजारों संगठनों को अनुदान दिये जा रहे हों तो एक दो मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें चूक हो रही हो। परन्तु मैं समझता हूं कि इस से यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि समस्त स्वयंसेवी संगठन कोई हिसाब नहीं पेश कर रहे हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं भारत सरकार द्वारा निधियों के इस प्रकार व्यय किये जाने के सम्बन्ध में आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। जैसाकि माननीय मंत्री ने बताया निधियां इस प्रकार व्यय की जा रही हैं और कुछ मामलों में हिसाब की जांच नहीं की गई है। यह उचित नहीं है कि भारत सरकार की निधियां किसी ऐसे अभिकरण द्वारा व्यय की जायें जिनके हिसाब की उचित जांच नहीं की जाती है ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** माननीय सदस्य ऐसा कैसे समझते हैं ?

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं माननीय मंत्री के इस कथन से यह निष्कर्ष निकाल रहा हूं कि वे केवल लेखाओं के विवरण पेश करते हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने कहा है कि किसी भी संगठन को तब तक अनुदान नहीं दिये जाते हैं जब तक कि वे लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण पेश न करें। हो सकता है कि दो एक मामलों में इन संस्थाओं ने चूक की हो क्योंकि जब हजारों संस्थाओं को अनुदान दिये जाते हैं तो एक दो मामलों में चूक होना स्वाभाविक है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि अनुदानों को उचित रूप से काम में नहीं लाया जाता है। यदि हजारों संस्थाओं में से एक संस्था गलती करती है तो उसमें क्या किया जा सकता है ? इस कारण समस्त संस्थाओं को अनुदान रोक देना गलत होगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। माननीय सदस्य ने औचित्य प्रश्न उठाया । यह ठीक है कि जब समाज कल्याण बोर्ड को धन दिया जाता है तो बोर्ड के लेखाओं का विस्तृत लेखापरीक्षण होना चाहिये। उन्हें अपने लेखे इस सभा में पेश करने चाहियें ताकि हम अगले वर्ष के लिये अनुदान मंजूर कर सकें। जहां तक अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं, जिन्हें समाज कल्याण बोर्ड द्वारा अनुदान दिये जाते हैं, का सम्बन्ध है, वे अनुदान व्यक्तियों, छोटी संस्थाओं अथवा बड़ी संस्थाओं को हो सकते हैं। माननीय मंत्री कहा कि सामान्यतः उन संस्थाओं के सम्बन्ध में यह देखा जाता है कि लेखाओं की जांच महा-लेखा परीक्षक द्वारा की जाती है जब कि छोटी संस्थाओं के लेखाओं की जांच चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा की जाती है। जहां तक व्यक्तियों--गवैयों अथवा कलाकारों को दिये गये अनुदानों का सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

है, कोई भी यह नहीं जानता कि किस प्रकार व्यय किये जाते हैं और उनके हिसाब की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा जांच कराना संभव नहीं है।

इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को दी गयी छोटी राशि का भी लेखा परीक्षण किया जाये। वास्तव में यह मामला बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में हमारे सामने लाया गया था। हमें उन विश्वविद्यालयों के लेखा परीक्षित प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। एक अवस्था में मैंने यह विचार किया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को ही नहीं वरन् अन्य विश्वविद्यालयों को भी दिये जाने वाले धन पर हमें नियंत्रण रखना चाहिये। परन्तु कुछ मामलों में ऐसा संभव है और कुछ मामलों में नहीं। इस लिये सामान्यतः समस्त लेखाओं की जांच की जानी चाहिये। यह बात हमें यहीं छोड़ देनी चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या अनुदान देने में समाज कल्याण बोर्ड का यह एक नियम नहीं है कि संबंधित संगठनों को धन की मंजूरी दिये जाने के पूर्व अपने लेखापरीक्षित लेखे बोर्ड को पेश करने चाहियें? यदि इस नियम का पालन नहीं किया गया है तो कितने मामलों में?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** संगठनों द्वारा लेखापरीक्षित लेखे पेश किये जाने के बिना कितनी राशि मंजूर की गई है?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम मुख्य प्रश्न से बहुत दूर आ गये हैं। मैं यह सब सूचना अपने साथ नहीं रख सकता कि कितनी संस्थाओं ने अपने लेखे पेश नहीं किये हैं आदि।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब हम केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे तब मैं इन सब प्रश्नों के रखे जाने की अनुमति दूंगा। प्रश्नों के घंटे में इन प्रश्नों के पूछने से कोई फायदा नहीं है। अभी हम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

प्राकृतिक गैस

+

†*११६३. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेक राम नेगी : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरकटिया में तेल शोधक कारखाने की गैस और प्राकृतिक गैस के उपयोग की योजनायें अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या उपोत्पाद तैयार करने वाले सभी कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में होंगे ?

†**इस्पात खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण के अनुसार, प्राकृतिक गैस के उपयोग की परियोजनाएं अभी कुछ मामलों में तैयार की जा रही हैं । परन्तु जब यह प्रश्न कुछ समय पूर्व उठाया गया था, तो माननीय मंत्री ने यह बताया था कि तीन पदार्थों अर्थात् केर्नस ब्लैक, पोलीपीलीन और सिस–४ पोली-बूटाडीन के निर्माण के लिये संयंत्र स्थापित करने के लाइसेंस कलकत्ता की तीन फर्मों को दिये गये थे । दोनों विवरण में यह अन्तर क्यों है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** कोई अन्तर नहीं है । यदि माननीय सदस्य पहले अवसर पर दिये गये उत्तर को देखेंगे तो बोलेंगे कि तीन लाइसेंस नहीं बल्कि दो फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं । केवल लाइसेंस देने का यह अर्थ नहीं है कि परियोजना स्थापित हो गई है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इन में से कौन-सी परियोजना सरकारी क्षेत्र में हो और कौन-सी गैर-सरकारी क्षेत्र में, इस बात का फैसला करने में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** प्रत्येक मामले पर इसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जायेगा ?

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** किन तत्वों के आधार पर विचार किया जाएगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** ये बातें प्रत्येक परियोजना के बारे में भिन्न रहेंगी ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परियोजना १९६२–६४ में चालू होगी, क्या सरकार ने नाहर कोटिया से प्राप्त होने वाली प्राकृतिक गैस के घन फुटों का अनुमान लगाया है जो इस अवधि के बीच जलाई जाएगी और बरबाद कर दी जाएगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरे पास यह ब्यौरा नहीं है । यदि पृथक प्रश्न पूछा जाए तो सही आंकड़े बताये जाएंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** ऐसी कोई संभावना नहीं की गई जैसा कि उन्होंने कहा है । नाहरकोटिया से प्राप्त प्राकृतिक गैस कितने घन फुट अब तक जला दी गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इस प्राकृतिक गैस के दो श्रोत हैं । एक वे कूंए हैं जिन में केवल गैस है । इन कुओं से गैस को चलाने का प्रश्न नहीं उठता । उन पर मुहर लगा दी गई हैं और गैस तभी निकाली जाएगी जब आवश्यकता होगी । यह सच है कि जब कुछ तेल के कुओं से तेल तैयार किया जाता है तो गैस भी निकलती है । जब तक उस गैस का उपयोग करने वाले अन्य उद्योग स्थापित नहीं हो जाते, वह गैस जलानी पड़ती है :

अब तक नाहरकोटिया से उत्पादित तेल केवल डिगबोई तेल शोधन कारखाने की परियोजनाओं के लिये हैं, और उस क्षेत्र में गैस को जलाना आम है जिससे माननीय सदस्य भली भांति परिचित होंगे क्योंकि वह आसाम से संबंध रखते हैं ।

श्रव्य-दृश्य शिक्षा

†*११६४. **श्री कोडियान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा बोर्ड ने स्वतः विद्यार्थियों से थोड़ा थोड़ा चन्दा लेकर-देश के सभी स्कूलों में शिक्षा के लिये श्रव्य-दृश्य साधनों का उपयोग चालू करने की संभावना की जांच करने की सिफारिश सरकार से की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

†**श्री कोडियान** : इस योजना को कार्यान्वित करने का कुल व्यय कितना होगा और क्या सरकार का यह विचार है कि सारा व्यय विद्यार्थियों से धन इकट्ठा करके और कुछ अंश सरकारी कोष से देकर पूरा करें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया। बोर्ड द्वारा एक सिफारिश की गई थी। प्रस्ताव यह था कि प्रति विद्यार्थी १ रुपया प्रति वर्ष इकट्ठा किया जाए। यह राशि बहुत छोटी है। आया यह उपयोगी ह या नहीं, इस पर सरकार को विचार करना होगा अभी तक निश्चय नहीं किया गया।

श्री म० ला० द्विवेदी : श्रवण और दर्शन के माध्यम के द्वारा जिस शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार बहुत दिनों से विचार कर रही है, उसके सम्बन्ध में क्या शिक्षक तैयार करने की भी कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि बनाई है तो क्या अभी हाल में जो एक इंस्टीट्यूट कायम की गई है शिक्षा मंत्रालय के अधीन उसमें भी श्रवण और दर्शन के माध्यम द्वारा शिक्षा का कोई काम होगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, उसमें ट्रेनिंग का आयोजन है और स्टेट गवर्नमेंट्स से समय समय पर लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए और वहां शिक्षकों को सब तरह की सुविधायें दी जाती हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों ने यह योजना जारी कर दी है और यदि हां तो जो फीस ली जाती है उसके अतिरिक्त जो विशेष प्रशुल्क लगाया जा रहा है उसके बारे में आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी वह स्थिति नहीं आई। जैसा कि मैं ने कहा, सरकार बोर्ड की सिफारिशों का परीक्षण कर रही है। उस सिफारिश को कार्यान्वित करने और यह शुल्क लेने का अभी समय नहीं आया।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक देश में कितने शिक्षक तैयार हुए हैं और कितने स्कूलों में इस को शिक्षा के माध्यम के तौर पर प्रारम्भ किया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कई स्कूल हैं जहां इसके माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती है, आडियो-विजुअल एड्स के द्वारा शिक्षा दी जाती है। सवाल यह है कि कितने उनमें इंस्ट्रुमेंट्स वगैरह हैं। कई स्कूल आपको मिलेंगे जहां ये इंस्ट्रुमेंट्स हैं, कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम। इसकी तादाद मेरे पास नहीं है। लेकिन लगभग सभी स्कूलों में कुछ न कुछ एड्स तो होते हैं।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया। मैं ने पूछा है कि कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने डा० अणे को बुलाया है। मैं उनको बाद में बुलाऊंगा।

†**डा० मा० श्री अणे** : माननीय सदस्य जनता की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। क्या माननीय सदस्य के पास जनता की प्रतिक्रिया संबंधी सूचना है। यदि है तो क्या वह सभा के सदस्यों और मंत्री को वह सूचना देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** किस बात की प्रतिक्रिया ?

†**डा० मा० श्री अणे :** माननीय सदस्य ने पूछा है कि लोगों पर यह शुल्क लगाये जाने के प्रस्ताव के बारे में जनता की प्रतिक्रिया क्या है ? इसका माननीय मंत्री ने उत्तर नहीं दिया । मैं ने माननीय सदस्य से पूछा है कि क्या उनको पता है । यदि उनको पता है तो उनको चाहिये कि सदस्यों और मंत्री को बतायें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने इस मामले पर जनता की राय मालूम की है । परन्तु सामान्यतया माता पिता कोई शुल्क नहीं देना चाहते । यह बात सर्वविदित है । जैसा मैंने कहा, अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है । यह बोर्ड की अनेक सिफारिशों में से एक थी । यह स्थिति नहीं आई । सरकार निश्चय ही सब बातों पर ध्यान देगी । इस के बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया और मत है इन सब बातों पर सरकार निर्णय करते समय विचार करेगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने यह पूछा था कि अब तक इस माध्यम द्वारा शिक्षा देने के लिए कितने शिक्षक तैयार हो चुके हैं । यदि यह सूचना मंत्री महोदय के पास इस समय नहीं है तो वह इसको बाद में सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, मैं रख दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसी कोई स्कीम है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया है कि जितने अध्यापक अभी तक ट्रेन हो पाए हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

एवरो ७४८

†*११६६. +
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री नारायण कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री ना० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एवरो ७४८ विमान तैयार करने के संबंध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) पहला हवाई जहाज संभवत : कब उड़ेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) संतोषजनक प्रगति हो रही है ।

(ख) आशा है कि पहली उड़ान लगभग दो या तीन महीनों में होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पहिले भी यही उत्तर दिया गया था कि संतोषजनक प्रगति हो रही थी । क्या १९६१ में इसके पूर्णरूपेण तैयार हो जाने की संभावना है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** तीन महीने का समय १९६१ में ही होगा ।

†**सरदार मजीठिया :** जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मा० सदस्य को अन्य लोगों से पहले लाभ होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इसी लिये मुझे अधिक दिलचस्पी है । क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ की सेवा प्राप्त की गई है, यदि हां, तो कितने विशेषज्ञ कानपुर में काम कर रहे हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** इस विशिष्ट मामले में नहीं ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या यह सच है कि एवरो ७४८ के लिये प्रारंभ में जो भार नियत किया गया था, वह अब बढ़ा दिया गया है; यदि हां, तो किस सीमा तक इस कारण इस विमान की भार उठाने की क्षमता घट गई है ?

†**सरदार मजीठिया :** यह सच है कि लगभग ३००० पौण्ड तक भार बढ़ गया है ; किन्तु वह कोई असाधारण बात नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इस कारण माल अथवा यात्री उठाने की उसकी क्षमता कम हो जाएगी

†**सरदार मजीठिया :** यह कई बातों पर निर्भर होगा । जब विमान तैयार हो कर उड़ेगा, तो हम जानेंगे, क्योंकि यदि भार बढ़ भी जाए, तो कुछ सुधार होता है, कुछ और सुधार के कारण उस की कमी पूरी हो जाती है ।

†**श्री साधन गुप्त :** माननीय उपमंत्री ने हमें बताया है कि लगभग तीन महीनों में पहली उड़ान की आशा की जाती है । क्या इसका यह अर्थ है कि तीन महीनों की अवधि में एवरो ७४८ पूरा तैयार हो जाएगा या इस की केवल जांच की जाएगी ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैंने बतायां, जो विमान बनाया जा रहा है, उसकी दो या तीन महीनों के अन्दर उड़ने की आशा है । इस विमान के बन चुकने के पश्चात्, अन्य जहाज इस फैक्टरी से तैयार होंगे ।

†**श्री मुरारका :** माननीय उपमंत्री ने अभी बताया है कि इस विमान के समूचे भार में ३००० पौण्ड की वृद्धि हुई है । क्या यह सच नहीं है कि जिस अकेले गुण के कारण यह विमान चुना गया था, वह अब गायब हो गया है क्योंकि लौकहीड जैसे विमानों की तुलना में इस विमान की भार उठाने की क्षमता में पर्याप्त कमी हो गई है ?

†**सरदार मजीठिया :** जी नहीं । मेरा यह मत नहीं है । जैसा कि मैंने बताया यह सच है कि समूचा भार बढ़ गया है, किन्तु अन्य प्रभार से उन्नति की जा रही है जिससे यह अन्तर पूरा हो जाएगा और पूर्ण चित्र तब प्रस्तुत होगा जब इस विमान को शीघ्र ही अपेक्षित नमूने का प्रमाण पत्र मिलेगा ।

†**श्री मुरारका :** अन्य क्या सुधार किये जा रहे हैं, जिन के द्वारा, माननीय उपमंत्री के कथनानुसार बढ़े हुए भार की यह अप्रत्याशित कठिनाई दूर होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सरदार मजीठिया : इंजन का उत्तम कार्य ऐसा एक उपाय हो सकता है और डिजाइन में कुछ सुधार लगातार किये जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में बना पहला नमूना उत्पादन से पहले का नमूना है और ज्यों ज्यों यह उड़ता है, कई नई चीज़ें प्रकाश में आती हैं, कई नये सुधार होत हैं और इन सब प्रयोगों के किये जाने तथा विमान को एक नमूने का प्रमाण पत्र मिल चुकने के पश्चात् उत्पादन नमूना तैयार किया जाता है। अभी तक नमूना प्रमाणीकरण नहीं हुआ। शीघ्र ही इंग्लेंड में इस की आशा की जाती है। उसके तुरन्त पश्चात् यह विमान सामान्य तौर पर तैयार होने लगेगा।

†श्री अजित सिंह सरहदी : इंजन के कितने प्रतिशत पुर्जों का आयात किया गया है ?

†सरदार मजीठिया : यह इंजन जो तैयार किया जाएगा, डारट ६ होगा।

†अध्यक्ष महोदय : क्या सारी चीज़ आयात की गई है ?

†सरदार मजीठिया : हां इस समय, परन्तु हमारे पास लाइसेंस है और हम इसे तैयार करेंगे।

†श्री रघुनाथ सहाय : इस विमान में कितने प्रतिशत पुर्जे आयात किये गये हैं ?

†सरदार मजीठिया : मेरे पास ब्यौरा नहीं है, परन्तु जैसा कि मैंने कहा, जहां तक विमान के ढांचे का सवाल है, हम उस का अधिकांश यहां बना रहे हैं और जहां तक इस विमान में लगाई जाने वाली मशीनरी का सवाल है, वे आयात किये जा रहे हैं जो सामान्य तरीका है।

†श्री मुरारका उठे—

†अध्यक्ष महोदय : हम बहुत अधिक ब्यौरे में पड़ रहे हैं। माननीय सदस्य इसे कानपुर में देखेंगे। प्रायः ब्यौरा प्रश्न काल में सभा पटल पर नहीं बताया जाता।

भारतीय प्राद्योगिकी संस्था, कानपुर

+

†*११६७. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेकराम नेगी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री पांगरकर :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर में १९६० में चालू किये गये विषयों के अतिरिक्त और अधिक विषय चालू करने का सरकार का विचार था;

(ख) यदि हां, तो क्या वे विषय चालू किये जा चुके हैं; और

(ग) क्या इन शिक्षाक्रमों के लिये छात्रों को भरती किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कितने छात्रों को भरती किया गया है ?

†वैज्ञानिक, अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, हां। यह विचार किया गया था कि कपड़ा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पाठ्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता।

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह भी बता दूं कि इस कालेज में कपड़ा प्रौद्योगिकी जारी करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। इस कालेज में दो और नये विषय वैमानिकी और वास्तु विज्ञान जारी करने का भी प्रस्ताव है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय उपमन्त्री ने बताया है कि वैमानिकी इंजीनियरी और वास्तु विज्ञान जारी करने का प्रस्ताव है। ये कब इस कालेज में जारी किये जायेंगे ?

†**डा० म० मो० दास :** अभी कोई निर्णय नहीं किया गया। ये अभी केवल प्रस्ताव है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार इस अखिल भारतीय स्वरूप वाली संस्था में प्रवेश के लिये अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश परीक्षा करने का विचार करती है ?

†**डा० म० मो० दास :** इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सरकार ने अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया है या अभी इसका मुकद्दमा चल रहा है ? सही स्थिति क्या है ?

†**डा० म० मो० दास :** भूमि के बारे में, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकार को अपेक्षित भूमि हमें देने के लिये कहा है। राज्य सरकार ने पहले ही हमें ७५० एकड़ भूमि निशुल्क दे दी है और शीघ्र ही हमें २६५ एकड़ और भूमि मिलने वाली है। राज्य सरकार ने कैसे भूमि अधिग्रहण की है यह हमें मालूम नहीं और न ही हमारा इससे कोई सम्बन्ध है।

श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टल

†**११६८. श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान अभी हाल में समाचार पत्रों के इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय महिला संघ (फैडरेशन आफ यूनिवर्सिटी वीमेन इन इण्डिया) की बम्बई शाखा का भारत में श्रमजीवी महिलाओं और थोड़े समय के लिये इस देश में आने वाली विदेशी छात्राओं के लिये एक होस्टल बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या राय है;

(ग) इमारत बनाने की लागत के लिये सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी गयी है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) भारत सरकार को प्रस्ताव का पता है।

(ख) सरकार सामान्यता प्रस्ताव के पक्ष में है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) १.५० लाख रुपये के अनुदान की प्रार्थना प्राप्त हुई थी किन्तु फैडरेशन को कोई सहायता नहीं दी गई क्योंकि प्रस्ताव वर्तमान नियमों के अन्दर नहीं आता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि ऊपरी फाउण्डेशनों से कुछ ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि वे इस संस्था के लिये बराबर का अनुदान देने को तैयार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मुझे किसी अमरीकी फाउण्डेशन की पेशकश का पता नहीं है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** यदि ऐसा समान अनुदान दिया जाए तो सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रश्न कल्याणमूलक है। मैं पहले बता चुका हूं कि सरकार प्रस्ताव का स्वागत करती है, परन्तु मुख्य कठिनाई संस्था के बारे में यह है कि उनके पास भूमि का टुकड़ा नहीं है जिस पर वे इमारतें बना सकें। जब तक भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाती, सरकार प्रस्ताव पर कैसे विचार कर सकती है? माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि सरकार को सरकारी धन के उपयोग के लिये बहुत सावधान रहना चाहिये। इसलिये इमारत बनाने के लिये हमारे द्वारा अनुदान दिये जाने से पूर्व संस्था के पास भूमि होनी चाहिये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों द्वारा बनाये जाने वाले श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल के मामले में, क्या न केवल अनिवार्यतः विदेशों की महिलाओं के लिये बल्कि हमारी अपनी श्रमजीवी महिलाओं के लिये ऐसे संगठनों को अनुदान देने के लिये सरकार की कोई योजना है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी हां।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमारी अनुदान प्रणाली है। क्या ऐसे कामों के लिये बराबर का अनुदान दिया जाता है या सीधा अनुदान दिया जाता है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** अधिकांश अनुदान समान दर पर दिये जाते हैं।

†**श्री तंगामणि : क्या** इस फैडरेशन ने किसी स्थान का संकेत किया है जहां वे ये हास्पिटल बनाने जा रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** एक अवसर पर वे कोलाबा बम्बई में किसी सम्पत्ति के लिये बातचीत कर रहे थे। किन्तु बाद में उन्होंने हमें सूचित किया कि वह सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई थी। समस्त कल्याण बोर्ड कोई अनुदान मंजूर नहीं कर सकता जब तक कि वे ये संकेत न दें कि क्या उनके पास भूमि का टुकड़ा है।

†**अध्यक्ष महोदय :** आपका विश्वविद्यालय महिलाओं से **क्या** अभिप्राय है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्नातक महिलाओं ने अपना संघ बना लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्नातक होने के पश्चात्।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे विश्वविद्यालय की समस्याएं कैसे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वे अधिकांशतः विश्वविद्यालय की महिलाएं हैं; उन्होंने विश्वविद्यालय की परीक्षा पासकर ली है और अपना संघ बना लिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** तो हम सब भी विश्वविद्यालय पुरुष हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हम भी संघ बना सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं समझ सकता कि उनको विश्वविद्यालय महिलायें क्यों कहा जाता है?

प्रतिरक्षा कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये सहायता

†*११६९. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों को मकान बनाने के लिये सहायता देने की कोई योजना मंजूर की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का व्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) प्रतिरक्षा सेवाओं के अफसर और कर्मचारी तीन विभिन्न योजनाओं में से किसी न किसी के अन्तर्गत मकान निर्माण के लिये धन सम्बन्धी सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। भूतपूर्व सैनिक कम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये ऋण के लिये अर्जी दे सकते हैं।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २१]**

†**श्री अरविन्द घोषाल :** निचले पदों (लोअर रैंक्स) के प्रतिरक्षा कर्मचारियों को इस योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

†**सरदार मजीठिया :** निचले पदों (लोअर रैंक्स) के कर्मचारियों से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है, यह मेरी समझ में नहीं आता। नायक और पेटी आफिसर्स इसमें शामिल हैं। जहां तक 'अदर रैंक्स का प्रश्न है, वे केवल एक सीमित समयावधि के लिये आते हैं जो ७, ८ या ९ वर्ष की हो सकती है। इसलिये यह योजना उन पर लागू नहीं होती।

†**श्री अरविन्द घोषाल :** कितने प्रतिशत प्रतिरक्षा कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है ?

†**सरदार मजीठिया :** मेरे पास यहां तो आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री मं० र० कृष्ण :** क्या यह रियायत प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के असैनिक कर्मचारियों को भी दी जाती है ?

†**सरदार मजीठिया :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये। प्रश्न सैनिक कर्मचारियों के बारे में था।

त्रिपुरा में डिविजनों का प्रशासनिक पुनर्गठन

+

†*११७०. { **श्री दशरथ देव :**
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के डिविजनों का कोई प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का पुनर्गठन किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस मामले में निश्चय करने से पहले त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद से परामर्श किया गया था ?

(घ) क्या इस पुनर्गठन का कोई विरोध हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार का ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) और (ङ). धर्मनगर, खोवाई और बेलोंगया के व्यापारी समाज के सदस्यों और विधि जीवी वकीलों का मुख्यत: प्रतिनिधित्व करने वाले संघों और कुछ व्यक्तियों ने खोवाई और कैलाशहर से क्रमशः मेलियाभूरा और कुमारघार को इस आधार पर कि इस से बसे हुए नगर उजड़ जायेंगे और सामान्य जनता को असुविधा होगीं, सब डिविजन के मुख्यालय को बदलने के परीक्षणाधीन प्रस्ताव का विरोध किया है।

†**श्री दशरथ देव** : यदि योजना कार्यान्वित की जानी है तो कितनी अनुमानित लागत होगी ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य की बात का समझ नहीं सका।

†**श्री दशरथ देव** : योजना की कार्यान्वित का अनुमानित प्रारंभिक व्यय कितना होगा ?

†**श्री दातार** : मामला विचाराधीन है अब क्यों कि संसद द्वारा पारित अधिनियम जारी किया गया था, इस लिये डिविजनों का पुन: नामकरण करना आवश्यक हो गया है। इस समय यह प्रश्न विचाराधीन है। अभी यह प्रारंभिक स्थिति में है।

†**श्री दशरथ देव** : क्या योजना का अन्तिम रूप देने से पूर्व वहां जनता का मत मालूम किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : सरकार इस बारे में त्रिपुरा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड से परामर्श करेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या इस नवीन परिवर्तन की दृष्टि से सरकार उस समय तक प्रतीक्षा करने का विचार करती है जब तक त्रिपुरा को केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को भूतपूर्व (ख) भाग के राज्यों के समान लाने का विधान न बन जाए ?

†**श्री दातार** : यह अभी बड़ी प्रारंभिक स्थिति में है। यह विचाराधीन है और उचित समय पर जब ब्यौरे पर औपचारिक रूप से विचार किया जाएगा तो इसे त्रिपुरा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सामने उस के मत के लिये रखा जाएगा :

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस सभा में अनेक बार यह बताया जा चुका है कि त्रिपुरा में मूलभूत प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है कि कुछ परिवर्तन किये जाने चाहिये या नहीं। क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित यह समाचार सच है कि अब यह विभाग केन्द्रीय सरकार ने छोड़ दिया है ?

†**श्री दातार** : इसका स्वार्थ सीमित है। यह प्रश्न के भाग (क) से स्पष्ट हो जाएगा।

"क्या त्रिपुरा के डिविजनों का कोई प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया है"

माननीय सदस्य त्रिपुरा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री दशरथ देव : क्या सरकार को पता है कि यदि यह योजना कार्यान्वित की गई, तो इससे लोगों को अधिक असुविधा हो जाएगी क्यों कि त्रिपुरा के उस भाग में यातायात को सुविधा सरलता से उपलब्ध नहीं है ।

†श्री दातार : जहा तक इस प्रश्न का संबंध है, यदि इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया, सरकार ध्यान रखेगी कि किसी व्यक्ति को कोई असुविभा न होने पाये ।

रूरकेला में कच्चा लोहा और इस्पात

†*११७१. श्री मुरारका : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला में तैयार किये गये लोहे और इस्पात में कमी का कोई पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच पड़ताल की गयी है ; और

(ग) उस जांच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ।

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) इस्पात की ईंटों के उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई, अपितु कच्चे लोहे के उत्पादन में कुछ कमी अवश्य थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) जाच करने से पता चला कि यह मुख्यतः टुकड़े के तौर पर हानि का कम अनुमान लगाने के कारण था, जब कच्चा लोहा ढ़ालने की मशीनों में लोहा ढ़ाला जा रहा था, कच्चा लोहा ढालने की मशीन में हर्मन और स्लैगकिश आदि का भार जो गर्म धातु के भार में शामिल था, उसका भार कम नहीं किया गया ।

†श्री मुरारका : आशा के मुकाबले में कितनी कमी हुई थी ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : अक्तूबर, १९६० में हिन्दुस्तान इस्पात कम्पनी ने सूचना दी कि १ जुलाई, १९६० को स्टाक की को जांच की गई, उससे पता चला कि कच्चे लोहे के स्टाक में १९७८० टन की कमी थी । उन्हों ने रनर में टुकड़े बनाने और कच्चा लोहा ढालने की मशीन के द्वारा गर्म धातु को ढंगे कच्चे में बदलने की प्रक्रिया के बारे में कुछ जांच की थी । इसका प्रतिशत जानने के लिये वास्तविक माप दो बार किया गया उसका परिणाम यह हुआ कि कच्चा लोहा ढालने की मशीन में डाले गये गर्म धातु का औसतन १२$^{१}/_{२}$ प्रतिशत टुकड़े हो जाता है जो १० प्रतिशत टुकड़ों के अनुमान से अधिक है । इस अनुमान के आधार पर कमी २९२५१ टन की थी ।

†श्री मुरारका : क्या ऐसी कमी अन्य इस्पात संयंत्रों दुर्गापुर और भिलाई में भी हुई है या केवल रूरकेला में है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास सूचना नहीं है । यदि अन्य दो इस्पात संयंत्रों के बारे में पृथक प्रश्न पूछा जाए तो मैं सूचना एकत्रित करवाऊंगा ।

†अध्यक्ष महोदय : मुझे तारांकित प्रश्न संख्या ११७४ के बारे में से प्रश्न संख्या ११७४ को लेने के लिये प्रार्थना की गई है । ३ मिनट और बाकी हैं । प्रश्न संख्या ११७४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में ईसाई धर्म प्रचारकों की धर्मपरिवर्तन विषयक कार्यवाहियां

†*११७४. { **श्री आसर :**
श्री हेमराज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नरसिंहगढ़ के भूतपूर्व शासक, महाराजा भानुप्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा है और ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा सामूहिक रूप से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करने तथा खास कर छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायगढ़ जिले में आदिवायियों में ईसाई और गैर-ईसाईयों में भेदभाव की कटुभावनाएं उत्पन्न करने की ओर उनका ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस धर्मपरिवर्तन को रोकने के लिये केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या सुझाव दिया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). महाराज भानुप्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा था जिस में उस राज्य के छत्तीसगढ़ जिले में ईसाई धर्म प्रचारकों की उत्तेजनात्मक कार्यवाहियों का उल्लेख था। राज्य सरकार पूरी तरह सावधान है और वह इस संपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रही है। लेखक ने कोई ऐसा नया विषय नहीं उपस्थित किया है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अलग कार्यवाही की जरूरत हो।

†**श्री आसर :** सरकार ने नियोगी समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं कार्यान्वित की ?

†**श्री दातार :** सरकार को कोई अभ्यावेदन मिलने के बाद वह उनकी उपेक्षा नहीं करती।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह नियोगी समिति की रिपोर्ट कार्यान्वित कर रही है ?

†**श्री दातार :** नियोग समिति की रिपोर्ट मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूर ही नहीं की है और न ही उस पर कोई कार्यवाही की गयी है। जब कभी कोई शिकायतें आती हैं सरकार उनकी छानबीन करेगी कि जबर्दस्ती धर्म परिवर्तन किया गया है या धोखा देकर किया गया है।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** अभी समाचारपत्रों में एक ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ था कि मध्य प्रदेश सरकार ने नियोगी कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में कुछ सिफारिशों के ऊपर केन्द्रीय सरकार से सम्मति चाही थी। मैं जानना चाहता हूं कि इस समाचार में कहां तक सत्यांश है।

†**श्री दातार :** इस संबंध में हमें भेजे गये राज्य सरकार द्वारा किसी अभ्यावेदन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†**डा० मा० श्री० अणे :** श्री रेगे की एक रिपोर्ट थी जो मध्य प्रदेश सरकार के कहने पर तैयार की गयी थी।

†**श्री दातार :** मैं समझता हूं कि रेगे समिति की रिपोर्ट की तरह कोई रिपोर्ट थी।

†**डा० मा० श्री० अणे :** क्या सरकार के पास उस रिपोर्ट की प्रति नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या धर्मों की एकता का प्रचार करना अधिक अच्छा न होगा ताकि बाद में धर्म परिवर्तन का कोई आपात न हो ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह माननीय मंत्री को उत्तर देने दें ।

†**डा० मा० श्री० अणे :** मैंने पूछा कि क्या उनके पास उस रिपोर्ट की एक प्रति है ।

†**श्री दातार :** मुझे एक प्रति अवश्य मिली होगी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि नियोगी समिति की रिपोर्ट को भ रत सरकार ने कितनी मान्यता दी थी और क्या मध्य प्रदेश सरकार को इस बारे में कोई सिफारिशें भेजी गई हैं या नहीं ?

†**श्री दातार :** यह दो समितियां संबंधित सरकारों द्वारा नियुक्त की गयी थीं और उन पर कार्यवाही करना उनका काम है, हमारा नहीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात की छानबीन की है कि धर्म प्रचारक धर्म परिवर्तन के लिये क्या प्रोत्साहन देते हैं ? क्या वही प्रोत्साहन हमारी अपनी सरकार नहीं दे सकती ?

†**श्री दातार :** यह ठीक है कि कुछ शिकायतें आयी हैं कि उन्हे लालच दी जाती है और सरकार उन में से प्रत्येक मामले की छान बीन करती है ।

†**श्री जींगड़े :** जबर्दस्ती धर्मपरिवर्तन के कारण कितने ईसाई धर्म प्रचारकों को मध्य प्रदेश से चले जाने के लिये कहा है ।

†**श्री दातार :** मैं एकाएक इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्या :** क्या सरकार को भारत से बाहर ऐसे कुछ राज्यों के बारे में जानकारी है जहां से इन धर्मप्रचारकों को धन मिलता हो ?

†**श्री दातार :** किसी प्रश्न के उत्तर में यह पहले ही बताया जा चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुछ लगभग ७ या ८ करोड़ बताया गया है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्या :** क्या सरकार का ध्यान पिछड़े वर्गों के आयुक्त की रिपोर्ट में इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश शासन की तुलना में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक धर्म परिवर्तन हुआ ?

†**श्री दातार :** मुझे वह पढ़ा हुआ याद आता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट पर जब भी संसद में चर्चा हुई है उस सम्बन्ध में सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि मध्यप्रदेश के पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में ईसाई प्रचारक बलात् धर्म-परिवर्तन कर रहे हैं क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट जानने का यत्न किया है कि इस बात में कहां तक सच्चाई है ?

†**श्री दातार :** जब कभी इस सभा में या और कहीं शिकायतें आती हैं या स्वतंत्र रूप से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं तो सरकार उनकी जांच करती है और अपना समाधान कर लेती है कि कोई गलत काम नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी :** इस बात के बावजूद कि सरकार ने आदिम जाति क्षेत्रों में विकास कार्य आरम्भ कर दिये हैं इसका क्या कारण है कि आदिम जाति के लोग ईसाई धर्म स्वीकार करने के लोभ में पड़ जाते हैं ?

†**श्री दातार :** मैं उनका सवाल समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य का यह कहना है कि संविधान के अधीन केन्द्रीय सरकार का यह विशेष उत्तर दायित्व है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की देख भाल की जाये । प्रश्न यह है कि ईसाई धर्म प्रचारकों को वहां जाने और उनका समाज कल्याण करने और बाद में धर्म परिवर्तन करने की अनुमति क्यों दी जाये, सरकार स्वयं ही वह सब क्यों न करे ? इन असुविधाओं को दूर क्यों नहीं किया जाता जिसके कारण आदिम जाति के लोग धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लेते हैं ? वे ऐसी स्थिति में क्यों रहें कि वे धर्म परिवर्तन के प्रलोभन में आ जायें और धर्म प्रचारक अपनी कार्यवाहियों के लिये वह सर्वोत्कृष्ट स्थान समझें ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** खास कर मध्य प्रदेश क्षेत्र में सरकार ने अनुसूचित जातियों की भलाई के लिये काफी समाज कल्याण तथा विकास संबन्धी कार्य किये हैं। उसकी प्रगति शायद तीव्र न हो लेकिन हमारा काम आगे बढ़ रहा है ।

ईसाई धर्म प्रचारकों के सम्बन्ध में मैं यह ठीक नहीं सामझता कि समाजिक कार्यों के लिये जैसे कोई दवाखाना या अस्पताल खोलने के लिये उन्हे रोका जाये । लेकिन यदि कोई बलात् धर्म परिवर्तन हो तो वह अवश्य रोका जाना चाहिये । सरकार की अपेक्षा यह तो सामाजिक कार्यकर्ताओं और संसद सदस्यों का काम है कि वे ऐसा वातावरण और एसी परिस्थितयां उत्पन्न करें कि अनुसूचित आदिम जातियां धर्म परिवर्तन के प्रलोभन में न पड़ें और दूसरा धर्म स्वीकार न करें ।

राजनैतिक दलों की मान्यता

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ श्री बा० च० काम्ले :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दूसरे मामलों के साथ-साथ राजनैतिक दलों को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये विभिन्न राजनैतिक दलों और समुदायों का एक सम्मेलन किया था ; और

(ख) निम्नलिखित व्यौरे क्या हैं :—

(१) दलों की मान्यता के उक्त प्रश्न पर निर्वाचन आयोग के सुझाव और उसकी प्रतिक्रिया ।

(२) वह मामला किस दशा में है ;

(३) "मान्यता" सम्बन्धी निर्णय कब हो जायदगा और (संबंधित दलों और समुदायों को अवसर देने के लिये) दलों और समुदायों को मान्यता देने का निश्चय करने से पहले क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) और (ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी हाल में विभिन्न राजनैतिक दलों और समुदायों के प्रतिनिधियों से मिले थे और उन्होंने उनके साथ कई चुनाव मामलों पर बातचीत की । राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह नियत करने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

कुछ राजनैतिक दलों को मान्यता देने के लिये जो सिद्धांत निर्वाचन आयोग ने स्वीकार किये हैं उनकी समीक्षा की गयी। खासकर नये दल जिस आधार पर बनाये गये हैं उसे निर्वाचन आयोग मान्य करे या न करे इस बात पर भी चर्चा हुई। केवल दो या तीन राज्यों में मान्यता प्राप्त दलों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिये गये थे कि अन्य राज्यों में चुनाव में उनके उम्मीदवारों को दल प्रतीक के मामले में निर्दलीय उम्मीदवारों के मुकाबिले में प्राथमिकता मिलनी चाहिये। निर्वाचन आयोग इन सभी सुझावों पर विचार कर रहा है और आशा है कि संसदीय या विधान सभाई चुनावों में मान्यता प्राप्त दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के लिये विशेष प्रतीक चिन्ह आरक्षित करने के सम्बन्ध में निर्वाचनो का संचालन नियमों के नियम ५ के अधीन एक संशोधित आदेश जारी किया जायेगा।

†**श्री बा० चं० कामले**: क्या विर्चिन आयोग ने ऐसे कुछ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बारे में जो न कि अपने अपने दलों के नाम में बल्कि राज्य विधान सभा, में और बाहर भी एक सा कार्यक्रम को एक सी नीति और एक ही मंच पर निर्वाचनों से पहले और बाद में एक संयुक्त मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, कोई जानकारी इकट्ठी की है या करने वाला है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य तो भाषण दे रहे हैं। मैं समझता था कि अनुपूरक प्रश्न एका एक होने चाहिये। लेकिन इनके पास तो अनुपूरक प्रश्न लिखे हुये हैं और वे उसे पढ़ रहे हैं। माननीय सदस्य प्रश्न पूछें।

†**श्री बा० च० कामले**: इस बात की ओर ध्यान देने के लिये कि मान्यता प्राप्त दल अपने अपने नाम से चुनाव लड़ें और न कि संयुक्त मोर्चे के नाम से चुनाव लड़ें, सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का उसका विचार है ?

†**श्री अ० कु० सेन**: यह प्रश्न काल्पनिक है। यदि कोई वास्तविक उदाहरण पेश किया जाये तो उत्तर देना सरल होगा।

†**श्री बा० चं० कामले**: मैं उदाहरण दे रहा हूं। संयुक्त महाराष्ट्र समिति का महाराष्ट्र राज्य में राज्य विधान मंडल के अन्दर और बाहर एक सा कार्यक्रम, एक सी नीति और एक मंच है। इस लिये यदि किसी दल का कार्यक्रम एक सा हो और मंच भी एक ही हो, तो किन आधारों पर और किस प्रयोजन के लिये निर्वाचन आयोग प्रत्येक पार्टी को अलग अलग मान्यता और निर्वाचन प्रतीक देता है।

†**श्री अ० कु० सेन**: यह तो तथ्य का प्रश्न है कि अमुक दल अकेला दल है या कई दलों का समूह है। सामान्य रूप से लागू करने के लिये कुछ सिद्धांत बनाये गये हैं और यदि वे सिद्धांत किसी विशिष्ठ मामले में लागू हो सकते हैं तो वे लागू किये जायेंगे। यदि वे लागू नहीं होते, तो नहीं लागू किये जायेंगे।

†**श्री त्यागी**: निर्वाचन आयोग ने उस सम्मेलन में किन किन दलों से परामर्श किया था ?

†**अध्यक्ष महोदय**: वह एक बड़ा प्रश्न है।

†**श्री त्यागी**: उत्तर में यह उल्लेख था कि कुछ दलों को परामश के लिये बुलाया गया था तो वे दल कौन कौन से हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन**: मैं समझता हूं कि इस सभा के सभी दल वहां थे, जिनमे कांग्रेस भी शामिल है।

†**श्री नागी रेड्डी**: क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले जो नयी कसौटी अपनाने की कोशिश कर रहा है उसके आधार पर अखिल भारतीय दलों की स्थिति में कुछ परिवर्तन करने के बारे में वह विचार कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : जी नहीं । यदि कोई परिवर्तन होगा तो केवल दलों को प्रतीक देने के सम्बन्ध में और उदारता ही बरती जायगी ।

†**श्री बा० चं० कामले** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजनैतिक दल और संयुक्त मोर्चे भी हैं, क्या निर्वाचन आयोग संयुक्त मोर्चे से भिन्न राजनैतिक दल की परिभाषा बनाने की कोई कसौटियां निर्धारित करेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : परिभाषा बनाने का काम निर्वाचन आयोग की अपेक्षा संसद् पर छोड़ देना चाहिये ।

†**श्री त्यागी** : मैं जानना चाहता हूं कि उन दलों के बारे में क्या होगा जो यदि पूरी तरह एक से नहीं, तो साम्प्रदायिक आधार अवश्य आधारित हैं, जैसे हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, खाजगम, अकाली दल आदि ? क्या इन दलों को इस बार मान्यता दी जा रही है या नहीं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : हिन्दू महासभा को तो पहले ही मान्यता मिली हुई है क्योंकि वह मान्यता के नियमों का समाधान करती है । मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में, मैं नहीं समझता कि वह अभी तक उस कसौटी पर खरी उतरी है ।

†**श्री तिम्मय्या** : यदि कोई मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल दो दलों में विभक्त हो जाता है और वे दोनों ही वही मान्य प्रतीक चिन्ह मांगते हैं तब सरकार क्या करेगी ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इसके लिए उचित उपाय निकालने के लिए हम निर्वाचन आयोग पर निर्भर कर सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जन्म और मृत्यु का पंजीकरण

†*११५८. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य करने के लिये एक केन्द्रीय कानून बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो वह संभवतः कब संसद् के सामने रखा जायगा ।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). अप्रैल, १९६१ में आयोजित, जन्म-मृत्यु सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार विषयक सम्मेलन ने सिफारिश की है कि देश में जन्म-मृत्यु के पंजीकरण के विनियमन के लिए जन्म-मृत्यु के आंकड़ों सम्बन्धी एक केन्द्रीय कानून होना चाहिये । राज्य सरकारों की सलाह से इस सिफारिश की छानबीन की जा रही है ।

केन्द्रीय ढलाई गढ़ाई संस्था

†*११६५. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ढलाई गढ़ाई संस्था कब स्थापित की जा रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह किस जगह स्थापित की जायगी; और

(ग) १९६१–६२ में इस परियोजना पर सम्भवतः कितनी रकम खर्च की जायगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) तीसरी योजना अवधि के उत्तरार्ध में।

(ख) रांची।

(ग) चालू वर्ष में कोई खर्च की संभावना नहीं है।

पेट्रोलियम संस्था

†*११७२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि ने देहरादून में पेट्रोलियम संस्था की स्थापना के लिये भारत को सहायता देना मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में उस विधि का अंशदान क्या होगा; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) लगभग ८ लाख डालर (करीब ३८ लाख रुपये)।

(ग) संयुक्त राष्ट्र अभिकरण तथा भारत सरकार के बीच "प्लान आफ आपरेशन" नामक प्रलेख पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद ही इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बीच, उचित इमारतें किराये पर लेने, फर्नीचर और साजसामान आदि खरीदने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की योजना बनायी जा रही है। इस संस्था के लिए एक उपयुक्त स्थान भी चुन लिया गया है।

बम्बई में सोना पकड़ा जाना

†*११७३. { **श्रीमती मफीदा अहमद** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई केन्द्रीय प्रशुल्क कर्मचारियों ने २० जून, १९६१ को बड़ी मात्रा में सोने का पता लगाया और उसे जब्त कर लिया;

(ख) यदि हां, तो कितनी कीमत का सोना जब्त किया गया; और

(ग) जांच पड़ताल का परिणाम क्या निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों ने २०, २१ और २२ जून, १९६१ को बम्बई शहर में ७२,३६४ ग्राम सोना पकड़ा था।

(ख) लगभग ८,५१,००० रुपये।

(ग) तीन आदमी गिरफ्तार किये गये और उन्हें चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट, बम्बई, के सामने पेश किया गया। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। आगे जांच पड़ताल अभी जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी शार्टहैंड पद्धति

***११७५. श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दी शार्टहैंड पद्धति को सुधारने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है और कब तक उसके पूर्ण होने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं का मारफ़ोकोनेमिक विश्लेषण सम्बन्धी कार्य दक्कन कालेज, पूना और अन्य कुछ विश्वविद्यालयों को सौंप दिया गया है। विश्लेषण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् दक्कन कालेज एक प्रमाणिक पद्धति तैयार करने का कार्य आरम्भ करेगा। इस दौरान में आजकल प्रयुक्त होने वाली एक या दो प्रणालियों को सरकार के अधीन प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुदेश देने के लिए अपना लिया गया है।

अन्तर्राज्य सद्भावना का बढ़ाना

***११७६. श्री मा० ला० द्विवेदी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्य सद्भावना को बढ़ाने के लिए इस वर्ष के बजट में कितने रुपये की व्यवस्था की गई है; और

(ख) जनवरी, १९६१ में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दिल्ली में आयोजित विद्यार्थियों की रैली में देश के कितने माध्यमिक स्कूलों ने भाग लिया था और इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कितना खर्च करना पड़ा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ३०,००० रुपये।

(ख) ८२

१३,६७२ रु० ९१ नये पैसे

प्राचीन स्मारकों में कलाकृतियों का विध्वंस

†***११७७. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐतिहासिक महत्व के अधिकांश प्राचीन स्मारकों में जाने वाले लोग उनमें तोड़ फोड़ कर देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन शरारतों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) स्मारकोंपर लोगों ने अपने अपने नाम खोद कर कुछ को नुकसान पहुंचाया है।

(क) अधिक महत्वपूर्ण स्मारकों पर चौकीदार रखे गये हैं। सभी स्मारकों पर द्विभाषी इश्तिहार लगा दिये गये हैं कि लोग अपनी राष्ट्रीय विरासत को नुकसान न पहुंचायें। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे स्कूलों में यथोचित शिक्षा कार्यक्रम चालू करें। स्थानीय अधिकारियों से भी कहा गया है कि वे तोड़फोड़ रोकने में सहायता करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

फल तथा वनस्पति परिरक्षण के लिये प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र

†*११७८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल तथा वनस्पति परिरक्षण के पांच प्रादेशिक अनुसन्धान-केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने छै प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र और पांच उपकेन्द्र स्थापित करने की योजना मंजूर कर ली है।

(ख) बम्बई स्थित प्रादेशिक केन्द्र और नागपुर तथा त्रिचूर स्थित उपकेन्द्रों ने काम आरम्भ कर दिया है। लखनऊ और गौहाटी में १९६१-६२ में केन्द्र चालू करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा

†*११७९. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **शिक्षा** मंत्री १५ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा के लिये दिये गये अवसरों से केवल कुछ ही राज्यों ने क्यों लाभ उठाया;

(ख) क्या इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से प्रार्थना की गयी है; और

(ग) क्या यह सच है कि राजनैतिक पीड़ितों की ओर से अपने बच्चों की शिक्षा के लिये ऐसे अनेक आवेदन पत्र राज्य सरकारों के पास पड़े हुए हैं जिनका फैसला अभी नहीं हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चूंकि आधे से अधिक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि केवल कुछ ही राज्यों ने इन सुविधाओं का उपयोग किया है।

(ख) जी हां।

(ग) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सच नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिक्रीकर विभाग, केरल

†*११८०. **श्री वें० ईयाचरण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ (५) (क) के अधीन बनायी गयी समिति द्वारा मंजूर किये गये लाभ लागू न करने के बारे में केरल सरकार के बिक्री कर विभागमें काम करने वाले आवंटित सरकारी पदाधिकारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी; और

(ग) सिफारिशें क्या थीं और अब तक य कार्यान्वित क्यों नहीं की गयीं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ की उपधारा ५ के अधीन बनायी गयी समिति कोई लाभ मंजूर करने के लिये सक्षम नहीं है। इसलिये इस समिति द्वारा मंजूर किये गये लाभ न दिये जाने के बारे में किसी अभ्यावेदन का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। फिर भी २० अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रार्थना की गयी है कि केरल के कृषि आय कर तथा बिक्री कर विभाग में पदों को बराबर घोषित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश कार्यान्वित किये जायें। केन्द्रीय सरकार के ये आदेश राज्य सरकार ने १-११-१९६० को अधिसूचित किये थे ।

(ख) इस विभाग में राजपत्र घोषित पदों के बारे में केन्द्रीय मन्त्रणा समिति ने ३१-१२-१९५९ और १५-६-१९६० को अपनी सिफारिशें की थीं। गैर राजपत्र घोषित सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का निबटारा करने के लिये जो राज्य मन्त्रणा समिति बनायी गयी थी उसने १-९-१९६० को अपनी सिफारिशें दी थीं।

(ग) केन्द्रीय और राज्य मन्त्रणा समितियों की सिफारिशों वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २२**]। राज्य सरकार से यह जानकारी देने के लिये कहा गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश कार्यान्वित किये गये हैं और यदि नहीं, तो उन आदेशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं। विलम्ब का एक सम्भव कारण लेख याचिकाएं हो सकता है जो कुछ पीड़ित पदाधिकारियों ने पेश की थीं और जिनमें केन्द्रीय सरकार के आदेशों की मान्यता पर आक्षेप किया गया था।

भूकंप सम्बन्धी जानकारी देने वाला नया उपकरण

†*११८१. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूकम्प सम्बन्धी जानकारी देने के लिये रुड़की विश्वविद्यालय एक नया उपकरण तैयार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां।

(ख) यह उपकरण एक सादा पेन्डुलम है जो भूकम्प से हिल जाने पर, पेन्डुलम से संलग्न एक संकेतक के जरिये धूमिल शीशे की प्लेट पर उसकी गति अंकित कर देता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अफीम कारखाना, गाजीपुर में वायु संचारण

†*११८२. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के उपप्रधान कारखाना परामर्शदाता (चिकित्सा) ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर विषैली गैसों के घातक प्रभाव को देखते हुए गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के सरकारी अफीम कारखाने में वायु संचारण (वेंटीलेशन) में सुधार करने के बारे में लगभग दो साल पहिले कुछ सिफारिशें की थीं;

(ख) क्या सरकार ने ये सिफारिशें मंजूर कर ली हैं; और कार्यान्वित की हैं; और

(ग) यदि वे कार्यान्वित नहीं की गयी हैं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां । ये सिफारिशें मई, १९६० में प्राप्त हुई थीं ।

(ख) और (ग). सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है और उनमें से कई पर अमल भी किया जा चुका है । जहां तक सम्भव है, दूसरी सिफारिशें भी कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

पूर्व पंजाब जानपद सेना (ईस्ट पंजाब मिलिशिया)

†*११८३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व पंजाब जानपद सेना (ईस्ट पंजाब मिलिशया) और जम्मू तथा काश्मीर जानपद सेना (जम्मू एण्ड काश्मीर मिलिशया) १९४८ में बनायी गयी थी;

(ख) क्या ये दोनों जानपद सेनाएं बाद में पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर सरकारों को दे दी गयी थीं;

(ग) क्या पंजाब जानपद सेना अब भी सेना अधिनियम के अधीन हैं;

(घ) क्या जम्मू तथा काश्मीर जानपद सेना के जवान अपने वेतन, भत्ते गौर सेवा निवृत्ति लाभ में वृद्धि की मांग कर रहे थे;

(ङ) क्या गृह सचिव ने दिनांक ३ मई, १९६१ और ६ जून, १९६१ के अपने पत्रों द्वारा जम्मू तथा काश्मीर सेना के जवानों के भत्तों में ७ रुपये ५० नये पसे और १३ रुपये ५० नये पसे की वृद्धि की थी;

(च) क्या उन्हें सेवा निवृत्ति लाभ देने का सरकार का विचार है ;

(छ) क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय के सचिव ने उपर्युक्त पत्रों में काश्मीर सरकार को यह निदेश दिया था कि जम्मू तथा काश्मीर जानपद सेना सेना नहीं है बल्कि केवल जम्मू तथा काश्मीर सशस्त्र पुलिस है; और

(ज) क्या यह सच है कि इसके बावजूद जम्मू तथा काश्मीर जनपद सेना के जवानों को सशस्त्र सेना के जवानों को दी जाने वाली सुविधाएं और भत्ते दिये बगैर ही अनुशासन आदि के सम्बन्ध में उनके साथ सेना अधिनियम के अधीन बर्ताव किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

***गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां ।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर मिलिशया जम्मू तथा काश्मीर सरकार को हस्तान्तरित कर दी गयी थी । पूर्व पंजाब मिलिशया १९५० में सीमा-स्काउटों के रूप में पुनर्गठित की गयी थी और १९५७ में भंग कर दी गयी थी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी हां ।

(ङ) वृद्धि वेतन क्रम के अनुसार १३.५० रुपये से २३ ५० रुपये प्रति माह के बीच में है ।

(च) इस प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है ।

(छ) जी हां ।

(ज) जम्मू तथा काश्मीर मिलिशया के कर्मचारी सेना अधिनियम के अधीन भरती किये गये थे और इसलिये उनसे सम्बन्धित अनुशासन के प्रश्नों का निबटारा उसी अधिनियम के अधीन किया जाता है । उन्हें नियमित सेना के कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन की अपेक्षा कम दरों पर वेतन मंजूर किया गया है । क्योंकि उन्हें केवल उसी राज्य में नौकरी करनी होती है जबकि सेना कर्मचारियों को भारत में या उससे बाहर किसी भी जगह पर नौकरी करना जरूरी हो सकता है ।

पुरातत्व संबंधी खोज

†*११८४. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलान पालिटेकनीक के लैरिसी फाउण्डेशन द्वारा किये गये पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण और खोज के तरीकों के बारे में जिनमें भूमि के विद्युत् सम्बन्धी प्रतिरोध का मापन किया जाता है, सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या इस तरीके से छोटे छोटे समुदाय बड़े दलों की अपेक्षा जो परम्परागत तरीकों से काम करते हैं, बहुत अधिक तेजी से काम कर सकेंगे; और

(ग) क्या पुरातत्व विभाग को किसी समय इन तरीकों के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) यह काल्पनिक है ।

(ग) जी नहीं ।

आर० वी० बैंक, मदुरै को शोध-विलम्ब-काल[1]

†*११८५. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आर० वी० बैंक, मदुरै को किसी दूसरे बैंक के साथ मिला देने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Moratorium.

(ग) क्या यह सच नहीं है कि बैंक अधिकारियों ने खातेदारों को भुगतान करने के लिये जितनी आवश्यकता है उससे अधिक द्रव परिसम्पत्[1] दिखाये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). आर० वी० बैंक प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै, के खातेदारों के हित में तथा लोकहित में भी, रिजर्व बैंक ने उसे लक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, करूर के साथ मिला देनेके लिये बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट १९४९ की धारा ४५ की उपधारा (४) के अधीन एक योजना तैयार की और धारा ४५ की उपधारा ७(क) के अधीन वह योजना हस्तान्तरणकर्ता (ट्रान्सफरर) और हस्तान्तरिती को दे दी।

(ग) जी हां।

(घ) हस्तान्तरणकर्ता बैंक से इस बीच जो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उन्हें देखते हुए इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि खातेदारों को पूरा पूरा भुगतान करने के बाद उसे अपनी इच्छा से सारे काम काज समाप्त करने की अनुमति दी जाये या नहीं।

कलकत्ते में प्लैनेटेरियम

†*११८६. { **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन गणतंत्र राज्य की सहायता से कलकत्ते में जो प्लनेटेरियम बनाया जा रहा है क्या वह लगभग पूरा हो रहा है ;

(ख) इस परियोजना में सरकार का क्या हिस्सा है ;

(ग) क्या इसका नाम बिडला प्लनेटेरियम होगा ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) कलकत्ते में जो प्लनेटेरियम पूरा हो रहा है उसका जर्मन गणतंत्र राज्य से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) इस परियोजना में सरकार का कोई हाथ नहीं है।

(ग) और (घ). जी हां, क्योंकि उसके निर्माण, प्रतिष्ठान और रखरखाव का सारा खर्च बिडला एजूकेशन ट्रस्ट करेगा।

दिल्ली में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का विश्रामगृह

†*११८७. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ में दिल्ली में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का विश्राम गृह खोला गया था ;

(ख) क्या वह विश्रामगृह इस बीच बन्द कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कब ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Liquid Assets.

(घ) उसके बन्द किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ङ) उस संगठन को कुल कितना नुक्सान हुआ ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) १५ मई, १९५७ को ।

(घ) चूंकि राष्ट्रीय सेना छात्र दल के पर्याप्त संख्या में अधिकारी और छात्र सैनिक इसका उपयोग नहीं कर रहे थे इस कारण जो नुक्सान हुआ उसकी वजह से यह विश्राम गृह बन्द कर दिया गया ।

(ङ) कुल नुक्सान, जो राष्ट्रीय सेना छात्र दल की निजी निधि से पूरा किया गया था, ३,३८६ रुपये का था ।

गन-कैरेज फैक्टरी, जबलपुर में विस्फोट

†*११८८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ जून, १९६१ को या उसके आस पास जबलपुर की गन कैरेज फैक्टरी में एक विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस विस्फोट का क्या कारण था ; और

(ग) इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति हताहत हुये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली में भिखारी

†*११८९. **श्री मधुसूदन राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम लागू किये जाने के बावजूद दिल्ली की सड़कों और स्टेशनों पर अब भी काफी संख्या में भिखारी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भीख मांगने के काम को और रोकने के लियें क्या कार्यवाही की जा रही है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) अभी भी दिल्ली में कई भिखारी हैं यद्यपि बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम दिल्ली में लागू होने के बाद उनकी संख्या काफी कम हो गयी है ।

(ख) शहर के विभिन्न भागों में भिखारियों को पकड़ने के लिए कार्यवाही की जा रही है । रेलवे स्टेशनों पर भिखारियों की समस्या हल करने के लिए रेलवे अधिकारियों के सहयोग से भी कार्यवाही की जा रही है

---

†मूल अंग्रेजी में

लड़कियों की शिक्षा

†*११९०. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लड़कियों की शिक्षा के विशेष कार्यक्रमों के लिये राज्यों को दी जाने के लिये आवंटित ११ करोड़ रु० की राशि के अनुरूप राज्यों द्वारा भी अनुदान दिया जायेगा ;

(ख) केन्द्र और राज्यों द्वारा दिये जाने वाले अनुदानों का अनुपात क्या होगा ;

(ग) क्या इस आवंटन को योजना शीर्षों में विभाजित किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो योजनाएं क्या क्या हैं और प्रत्येक के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) केन्द्रीय सहायता उस खर्च के आधार पर देने का विचार है जो राज्य सरकारें लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रमों पर करेंगी जिनके लिए राज्यों की योजनाओं में ११ करोड़ रुपये की रकम रखी गयी है ।

(ख) केन्द्रीय सहायता का दर अभी तय नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ). उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मध्य प्रदेश में सरगूजा जिले में जनगणना

†*११९१. { श्री चं० शरण सिंह :
सरदार अ० सिंह सहगल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनगणना अधिकारियों ने १९६१ की पिछली जनगणना में सरगूजा जिले में आदिम जाति जनसंख्या की गणना के लिये मध्य प्रदेश सरकार के राज्स्व विभाग की दिनांक ११ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या ३३९ सी० बी०-७५६-७ एन नियम (मध्य प्रदेश भूमि राज्य संहिता) में उल्लिखित आदिम जातियों की सूची को आधार माना है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित आदिम जातियों को आगामी सामान्य निर्वाचन में अनुसूचित आदिम जातियां नहीं माना जायेगा ;

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त अधिसूचना में उल्लिखित आदिम जातियों के व्यक्ति सरगूजा जिले के अपने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार के रूप में खड़े होने के अधिकार से वंचित हो जायेंगे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार इन आदिम जातियों के मामले पर विचार करेगी और प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को अनुदेश देगी कि वह उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियां मानें ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) . १९६१ की जनगणना में केवल उन्हीं आदिम जातियों की, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (रूपभेद) आदेश, १९५६ में दी हुई है, गणना की गयी है । मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना जिसका निर्देश किया गया है, उसमें या २५ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना में जिसके द्वारा पहली अधिसूचना रद्द हो गयी थी, उल्लिखित आदिम जातियां सभी आदिम जातियां नहीं हैं ।

(ग) संविधान के अनुच्छेद ३३० और ३३२ के अधीन राज्य और केन्द्रीय विधान मण्डलों में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये स्थान आरक्षित रखे जाते हैं । सरगूजा जिले की आदिम जातियों को इस अधिकार से किसी प्रकार वंचित नहीं किया जा रहा है ।

(घ) संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अनुसार जिन जातियों को अनुसूचित आदिम जातियां घोषित नहीं किया गया है उन्हें वैसा मानना वांछनीय नहीं है ।

अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयोग

†*११९२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री हेम राज :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सूपकार :
श्री डामर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो, उसका क्या व्यौरा है ; और

(ग) आयोग पर कितना व्यय हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) १९६०–६१ में आयोग पर ३,०८,९०० रुपये खर्च किये गये थे । १९६१–६२ में (१५ सितम्बर, १९६१ तक) संभवतः २,३०,००० रुपये खर्च होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा

†*११६३. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भारत आने वाले पर्यटक अनेक मामलों में विदेशी मुद्रा बैंकों को न देकर निजी एजेंसियों को दे देते हैं जो चोर बाजार में चलती हैं ;

(ख) क्या ऐसी अनेक बातों की सरकार को सूचना मिली है जिनके परिणामस्वरूप सरकार को विदेशी मुद्रा की हानि होती है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर आधारित वर्तमान नियमों के अधीन यह जरूरी नहीं है कि देश में आने वाले यात्री अपने साथ में जो बैंक ड्राफ्ट, यात्री चैक आदि लाते हैं उनका ब्यौरा बता दें। फिर भी ड्राफ्ट आदि अधिकृत एजेन्टों के जरिये ही भुनाना पड़ता है। अनधिकृत गेर सरकारी एजेन्सी के ज़रिये किया गया कोई सौदा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन दंडनीय है। जब कभी विदेशी मुद्रा की हानि होने वाले कोई कदाचार सरकार की नजर में आते हैं तो उनकी जांच पड़ताल के लिए कार्यवाही की जाती है। जांच पड़ताल के फलस्वरूप जहां प्रथमतः कोई मामला सिद्ध होता है तो उसका न्यायालय में फैसला होना है या मुकदमे के लिए उसे भेज दिया जाता है। जहां कहीं जरूरी होता है कि अपराधियों को कड़ी सजा दी जाती है।

लन्दन में यातायात नियन्त्रण का अध्ययन करने के लिये अधिकारी

†*११६४. { श्री कोड़ियान :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें सिफारिश की गई है कि बड़े-बड़े नगरों और उप नगरों में, विशेषकर लन्दन में यातायात नियंत्रण के नवीनतम ढंगों का अध्ययन करने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ब्रिटेन भेजा जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैक्निकल संस्थाओं के अध्यापकों के लिये क्वार्टर

†*११९५. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में टैक्निकल संस्थाओं के अध्यापकों के लिए क्वार्टरों के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या कोठागुडियम में खनन संस्था को इस प्रयोजन के लिए कोई राशि दी गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी मास्को

†*११९६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामंत :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विद्यार्थियों ने बहुत बड़ी संख्या में पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी मास्को में प्रवेश के लिए सीधे प्रार्थना-पत्र भेजे हैं;

(ख) क्या सरकार के नामनिर्देशित विद्यार्थियों के अतिरिक्त इन में से और कोई विद्यार्थी प्रवेश के लिये चुने गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के ऐसे चुनाव को स्वीकार किया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). सरकार को कोई जानकारी नहीं है लेकिन उसने इस आशय के समाचार देखे हैं ।

(ग) जी नहीं ।

छावनी अधिनियम

†*११९७. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ अप्रल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी अधिनियम में संशोधन करने में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस मामले में इतनी अधिक देर होने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) छावनी अधिनियम, १९२४ की २९२ धाराओं में से धारा २८२ के संशोधनों तक की छानबीन पूरी हो चुकी है ।

(ख) व्यापक संशोधनों के पेचीदे और महत्वपूर्ण रूप को देखते हुए तथा इसी प्रकार के आधुनिकतम नगरविधियों पर विचार करने की आवश्यकता को देखते हुए, इस मामले में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण

†*११९८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने भारत को कोई ऋण दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि क्या है और यह विशेष रूप में किस प्रयोजन के लिए दिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां ।

(ख) वह राशि ६ करोड़ डालर है (२८.५७ करोड़ रुपये) इस ऋण का उपयोग मुख्यतः ६९० मील राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण और पुर्ननिर्माण में किया जायगा । इस ऋण का कुछ हिस्सा बम्बई शहर की यातायात समस्याओं के तकनीकी तथा आर्थिक अध्ययन के लिए भी काम में लाया जायगा ।

वैज्ञानिक शिक्षा केन्द्रीय संगठन

†*११९९. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वैज्ञानिक शिक्षा के समूचे प्रोग्राम के समन्वय, मार्ग दर्शन और निदेशन तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक केन्द्रीय संगठन बनाने की योजना भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हा, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस बारे में क्या प्रगति हुइ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रूस की अन्तरिक्ष उड़ान

†*१२००. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांकृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस सरकार ने कोई ऐसा विचार प्रकट किया है कि वह हाल में मेजर भेरमेन टिटोव द्वारा की गई अन्तरिक्ष उड़ान की वैज्ञानिक जानकारी उन सब को उपलब्ध कर देगी जो उसे पाने के इच्छुक हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी जानकारी शीघ्र प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने कोई प्रयास किया है या कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). अन्तरिक्ष अनुसन्धान सम्बन्धी समिति (कॉस्पार) के एक संकल्प के अनुसार यह जरूरी है कि सभी अन्तरिक्ष उड़ानों की वैज्ञानिक जानकारी समिति और वर्ल्ड डैटासेन्टर को दी जाये। मेजर टिटोव की उड़ान के सम्बन्ध में, भारतीय राष्ट्रीय समिति को अन्तरिक्ष वायुयान की उड़ान के तुरन्त बाद ही अंतरिक्ष वायुयान के उड़ान की तथा उसके प्रेषण व्यवस्था के बारे में सुसंगत आंकड़ों की जानकारी सूचित कर दी गयी।

कोयला खानों में रज्जु मार्ग

†*१२०१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला-खानों में ६ केन्द्रीय रज्जु-मार्ग स्थापित करने का हाल में निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी कितनी लागत होगी और वे कहां कहां लगाये जायेंगे; और

(ग) निर्णय कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) कोयला खानों को रेत सप्लाई करने के लिए कोयला बोर्ड ने झरिया और रानीगंज कोयला क्षेत्रों में सात रज्जु-मार्ग स्थापित करने का काम शुरू किया है। इस सम्बन्ध में, वर्ष १९६०-६१ के लिए खान और ईंधन विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय १ के पैरा ४६ और ४७ की ओर ध्यान दिलाया जाता है। इस रिपोर्ट की प्रतियां सदस्यों को पहले ही दी जा चुकी हैं।

(ख) जब सभी जगहों से टेन्डर मंगाये गये हैं तब इस दिशा में ठीक ठीक लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। फिर भी संपूर्ण परियोजना की अस्थायी लागत करीब १८ करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) झरिया क्षेत्र में पहला रज्जुमार्ग बनाने के लिए ठेका दिया जा चुका है। रानीगंज क्षेत्र में तीन रज्जुमार्ग बनाने के सम्बन्ध में टेन्डर प्राप्त हो चुके हैं और सरकार उनकी छानबीन कर रही है। झरिया क्षेत्र में बाकी तीन रज्जुमार्गों के सम्बन्ध में टेन्डर संभवतः अक्तूबर, १९६१ के मध्य तक प्राप्त हो जायेंगे

टैंकों का निर्माण

†*१२०२. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टैंकों का निर्माण करने के लिए लन्दन के विकर्स आर्मस्ट्रोंन्स के साथ एक करार किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अवाड़ी के पास एक कारखाना बनेगा; और

(ग) करार की मोटी मोटी बातें क्या हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) टैन्क के विभिन्न पुर्जे (अर्थात् गन, इंजन गिअर बॉक्स, गन कन्ट्रोल इक्वीपमेन्ट और इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेन्ट) तैयार करने के लिए वॉर ऑफिस, मेसर्स विकर्स लिमिटेड, लेलैन्ड मोटर्स, मेसर्स सेल्फचेन्जिंग गिअर बॉक्स और मेसर्स असोसियेटेड इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज के साथ करार किये गये हैं।

करारों की विस्तृत शर्तें बताना लोकहित में उचित नहीं है।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ब्रिटिश ऋण

†*१२०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आरम्भिक सहायता के रूप में ब्रिटेन द्वारा दिये गये ऋणों का प्रयोग करने के विस्तृत प्रबन्ध पूरे हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २३]**

भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी

†*१२०४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पुलिस सेवा में चुने गये नवयुवक भारतीय प्रशासन सेवा में चुने जाने के लिए उम्मीदवार होते हैं;

(ख) क्या उन नवयुवकों को, जो चुने जाने पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों या सेवा कर रहे हों, बिना पक्षपात के अनुमति दी जाती है और उनके बारे में विचार किया जाता है; और

(ग) क्या उनके भारतीय प्रशासन सेवा में चुने जाने पर उनसे उनके प्रशिक्षण पर व्यय किया गया धन वापस लिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क). और (ख). जी हां।

(ग) राज्य सरकारों के परामर्श से इस विषय पर अभी विचार हो रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में राष्ट्रीय बाल संग्रहालय

†*१२०५. **श्री कोडियान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय बाल संग्रहालय बनाने में क्या प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : राष्ट्रीय बाल संग्रहालय की योजनाओं और अनुमानों पर तदर्थ समिति ने अपनी मंजूरी दे दी है, जो इसी प्रयोजन के लिए कायम की गयी थी। इन पर अब बाल भवन बोर्ड विचार करेगा और अपनी मंजूरी देगा। संग्रहालय के लिए एक संचालक नियुक्त किया गया है और आशा है कि वह शीघ्र ही अपना कार्यभार संभाल लेगा।

भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष भर्ती

†१२०६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए भारतीय प्रशासन सेवा में विशेष भर्ती करने की पद्धति को जारी रखने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ; और

(ग) उल्लिखित पद्धति को जारी रखने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

इस्पात का निर्यात

†*१२०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को इस्पात का निर्यात करने और विश्व बाजार में स्थान प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस्पात के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :—

(१) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को पत्र लिखे गये हैं और विभिन्न देशों में इस्पात के उत्पादन, उपभोग और लोहा और इस्पात के आयात/निर्यात की प्रवृत्तियों के बारे में आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं।

(२) हमारे व्यापारिक करारों में, सामान्यतः अतिरिक्त श्रेणियों के लोहा तथा इस्पात के निर्यात के लिए व्यवस्था की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात कारखाने

†*१२०८. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कुन्हन् :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार प्रत्येक बड़े सरकारी इस्पात कारखाने को, विदेशी सहयोगियों से सहायता न मिलने पर बड़ी गड़बड़ी उत्पन्न होने की दशा में, सहायता देने के लिए स्थायी व्यवस्था करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

शिक्षा समस्याओं का अध्ययन

†*१२०९. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने संघ की सरकार से शिक्षा सम्बन्धी अपनी अनेक समस्याओं का गहन अध्ययन करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो जिन समस्याओं का सुझाव दिया गया है वे ठीक ठीक क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार

†३११५०. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर भारतीय प्राधिकारियों द्वारा कितने पाकिस्तानी तस्कर व्यापार करते हुए पकड़े गये ; और

(ख) कितने व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए और उन्हें क्या दण्ड दिया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) भारतीय प्राधिकारियों ने १९६०–६१ में पश्चिमी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार के २३८ मामलों का पता लगाया ।

(ख) ११ व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए और उन्हें निम्न कारावास दण्ड दिया गया :

१ व्यक्ति को १ मास

---

†मूल अंग्रेजी में

१ व्यक्ति को ३७ दिन

१ व्यक्ति को २ मास

३ व्यक्तियों को ३ मास

५ व्यक्तियों को ६ मास

भारत सेवक समाज

†३१५१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब की भारत सेवक समाज (दक्षिणी ज़ोन) को कितनी राशि दी गई ; और

(ख) यह राशि किन मद्दों पर खर्च की गई ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार नई दिल्ली स्थित भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय को विभिन्न राज्यों में कार्य को बढ़ाने के हेतु अनुदान देती है। १९६०–६१ में पंजाब की भारत सेवक समाज (दक्षिणी ज़ोन) के लिये प्रत्यक्ष रूप में अथवा केन्द्रीय कार्यालय के ज़रिये कोई अनुदान नहीं दिये गये थे। उस वर्ष समाज के केन्द्रीय कार्यालय ने पंजाब के दक्षिणी ज़ोन में विभिन्न गतिविधियों पर ६२१५२ रुपये ६९ नये पैसे खर्च किये गये।

(ख) यह राशि मुख्यत: निम्न मदों पर खर्च की गई थी :—

(एक) श्रम और समाज सेवा कैम्पों का आयोजन।

(दो) जन सहयोग केन्द्रों के संगठन पर।

(तीन) प्रचारकों और मुख्य प्रचारकों पर।

(चार) लोक कार्य क्षेत्रों के संचालन पर।

(पांच) प्रयोगात्मक कल्याण विस्तार परियोजना, गुड़गांव।

पंजाब में केन्द्र द्वारा चलायी जाने वाली पौलीटैक्नीक संस्थायें

†३१५२. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में केन्द्र द्वारा कितने पौलिटैक्नीक स्थापित किये गये ; और

(ख) १९६०–६१ और १९६१–६२ में पंजाब को इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) केन्द्रीय सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में पंजाब में केन्द्र द्वारा संचालित दो पौलिटैक्निक खोलने की अनुमति दी। आशा है कि पौलिटैक्निकों में १९६२–६३ तक कार्य आरम्भ हो जायेगा।

(ख) **१९६०–६१** : केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिए जिनमें केन्द्र द्वारा संचालित तीन पौलिटैक्निक भी हैं २ ६८ लाख रुपये अस्थायी तौर पर स्वीकृत किये गये हैं।

१९६१–६२ : अभी कोई राशि आवंटित नहीं की गयी है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन

†३१५३. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनीलाल :

(क) **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की सिफारिश के अनुसार एक केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन की स्थापना के विषय में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) इमारतों के निर्माण सम्बन्धी योजनायें तैयार की जा रही हैं। (दो) इंडो-स्विस केन्द्र की चंडीगढ़ में स्थापित करने का विचार है। (तीन) केन्द्र के लिये उपकरण मंगवाने की कार्यवाही स्विस फाऊंडेशन द्वारा की जा रही है (चार) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के लिये संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की शासी परिषद् ने ६३५,५०० डालर की मंजूरी दी है : (पांच) विकास केन्द्रों की सहायक अनुदान देने के नियम बनाये जा चुके हैं। (छै) मरम्मत और देखरेख विभाग के लिये उपकरण का आदेश दिया जा चुका है।

दिल्ली नगर निगम के लिये भवन

†३१५४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री चुनीलाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रामलीला ग्राउंड के सामने सर्कुलर रोड पर दिल्ली नगर निगम की १९ मंजिलों की इमारत के निर्माण के मामले में क्या प्रगति हुई ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : निगम ने इस मामले पर रिपोर्ट देने के लिये इसे स्थायी समिति को सौंप दिया है और समिति इस परियोजना पर होने वाले खर्च आदि सम्बन्धी आंकड़े एकत्र कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को दिया गया ऋण

†३१५५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान पंजाब को कुल कितना केन्द्रीय ऋण दिया गया; और

(ख) द्वितीय योजना काल में दिये गये ऋण में से राज्य सरकार ने कितना ऋण लौटाया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १,२०,१९,६४,२१४ रुपये ।

(ख) ६,६४,७६,१५८ रुपये (मार्च, १९६१ तक)

पंजाब में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क

†३१५६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ से लेकर पंजाब में प्रतिवर्ष तम्बाकू का कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) १९५८ से वर्ष वार कुल कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २४]**

बैलून कार

†३१५७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनीलाल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३००० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच बैलून कार के बारे में ब्यौरा प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में इसका प्रयोग करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) 'मोबेल' नामक इस आविष्कार का प्रयोग समुद्र की तह में तेल की पाइपलाइन की मरम्मत करने, और समुद्र को मीन क्षेत्र के योग्य बनाने के काम में ही लाया जाता है । आविष्कारकर्ता अभी एकस्व के प्रार्थनापत्र आदि देने में व्यस्त । है

(ख) ब्रिटेन में विशषज्ञों की यह राय है कि आविष्कार से तुरन्त कोई वाणिज्यक लाभ होने की संभावना नहीं है । भारत में इस के प्रयोग की संभावना इस समय बहुत कम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तानी नोट

†३१५८. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :

क्या वित्त मंत्री १० अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तानी मुद्रा के नोट पकड़े जाने सम्बन्धी मामले की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) न्यायनिर्णयन कार्यवाही आरम्भ हो गई है ।

पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज

†३१५९. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच पश्चिम बंगाल में तेल की खोज की भावी प्रस्थापनाओं पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा ; और

(ग) पश्चिम बंगाल में तेल की खोज पर अब तक कुल कितना खर्च किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इंडो स्टैनवैक पैट्रोलियम परियोजना द्वारा एकत्र किये गये भूगर्भीय तथा भूकम्पीय आंकड़ों का अध्ययन आरम्भ किया है । इस अध्ययन के पश्चात् तेल की खोज के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

(ग) इंडो स्टैनवैक पैट्रोलियम परियोजना द्वारा पश्चिम बंगाल में तेल की खोज पर ७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक व्यय होने का अनुमान लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विकिरण उपचार संस्था

†३१६०. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनीलाल :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में विकिरण उपचार संस्था (रेडियेशन मेडिसिन इंस्टीट्यूट) स्थापित करने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) यह संस्था दिल्ली में स्थापित की जायेगी और प्रारम्भ में इस पर लगभग ९ लाख रुपये खर्च होंगे । इसमें अनुसन्धान उपचार और रोगियों का रेडियो सक्रिय आइसोटोप द्वारा निदान के लिये प्रयोगशालायें होंगी ।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक

†३१६१. श्री पांगरकर : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक के कार्य को पूरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उस पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) : (क) और (ख) कृपा १४–८–१९६१ को दिये गये श्री दी० चं० शर्मा के अतारांकित प्रश्न संख्या ९३८ के उत्तर को देखें ।

पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी

†३१६२. श्री पांगरकर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन मास में पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर कितने पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी गिरफ्तार अथवा घायल हुए; और

(ख) उन से प्राप्त हुए माल का क्या मूल्य है ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मई से जुलाई, १९६१ के ३ मास में पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पर ८ पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी गिरफ्तार हुए । एक की मृत्यु हुई ।

(ख) १२,८४५ रुपये ५० न० पै० ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गांजे की खेती

†३१६३. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के किन किन जिले में गांजे की खेती की जाती है; और

(ख) क्या प्रतिषेध के कारण इसकी खेती में काफी कमी हो गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) महाराष्ट्र में गांजे की खेती नही होती है। १९४८ में वह बन्द कर दी गई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महाराष्ट्र से वसूल किये गये कर

†३१६४. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में केन्द्र ने महाराष्ट्र से विभिन्न करों की कुल कितनी राशि एकत्र की ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १९६०–६१ में महाराष्ट्र राज्य में प्रत्यक्ष करों, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमाकर, आदि के रूप में २७८.४० करोड़ रुपये वसूल किये गये ।

हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता

†३१६५. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमला में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश प्रशासन के उन कर्मचारियों को जो शिमला से भी ऊंचे स्थानों अर्थात् रामपुर और रोहीन में काम करते हैं प्रतिकर भत्ता नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). शिमला से ऊपर कुछ दूर-दूर के स्थानों अर्थात् कोटगढ़ और कोटखाई इलाकों, जुब्बल और चोपाल तहसीलों और जिला महासू की रामपुर और रोहड़ तहसीलों में काम करने वाले हिमाचल प्रदेश प्रशासन के कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता दिया जाता है। अन्य क्षेत्रों में जहां पहुंचना कठिन नहीं है यह भत्ता नहीं दिया जाता है। इन स्थानों पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता देने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी क्षेत्र की परियोजना के धन का कथित गबन

†३१६६. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री स० मो० बनर्जी : }

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र की एक परियोजना के बहुत से धन के गबन की, जिसके बारे में २१ जून, १९६१ के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड (कलकत्ता) में समाचार छपा था। जांच करने के लिये सरकार ने एक समिति बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबीर) :** (क) और (ख). सरकार को पश्चिम बंगाल में इस मंत्रालय की किसी परियोजना में बहुत से धन के गवन के बारे में कोई जानकारी नहीं है अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंजाब में लड़कियों की शिक्षा

†**३१६७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में प्रति वर्ष पंजाब को लड़कियों और स्त्रियों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का विकास करने के लिये अलग-अलग कितनी राशि दी गई ;

(ख) अब तक क्या सफलता मिली है; और

(घ) तृतीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य को इस काम के लिये कितनी राशि दी जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २५]**

वेतन आयोग की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद

३१६८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद अभी तक नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका हिन्दी अनुवाद कब तक कराया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) दूसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद कराने का विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों को वेतन वृद्धि

३१६९. श्री क० भे० मालवीय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने श्रेणी १ और २ के ऐसे प्रत्येक पदाधिकारी को एक वेतन-वृद्धि देने का निश्चय किया है जिसकी पदोन्नति १ अप्रैल १९६१ या उस के बाद हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस आदेश को किसी पिछली तारीख से लागू करने के प्रश्न पर विचार करने का आश्वासन दिया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो कब किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत सरकार ने वेतन आयोग की यह सिफारिश मान ली है कि पहली श्रेणी के स्तर (लेवल) तक किसी ऊंचे पद पर तरक्की होने पर, जिस में मौजूदा दूसरी श्रेणी से की जाने वाली तरक्कियां शामिल हैं, कर्मचारी को पहले नीचे के वेतनमान (स्केल) में एक अतिरिक्त वार्षिक वृद्धि (इनक्रिमेण्ट) दी जाय और तब उसकी तनख्वाह ऊंचे वेतन मान में अगले चरण (स्टेज) पर निर्धारित की जाय और इस प्रयोजन के लिये इस आधार पर कोई भेदभाव न किया जाय कि कर्मचारी नीचे के पद पर स्थायिवत् (क्वासी-परमानेट) या अस्थायी रूप से काम कर रहा था —स्थायी रूप से नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

तृतीय योजना में हिन्दी का विकास

३१७०. श्री क० भे० मालवीय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में हिन्दी के विकास तथा प्रसार की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस के लिये कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २६]**

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनायें

३१७१. श्री क० भे० मालवीय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र की अनुसूचित आदिम-जातियों तथा विमुक्त जातियों के लिये कौन सी आवास योजनायें स्वीकार की गयी थीं ;

(ख) उक्त दोनों प्रकार की जातियों के लिये उक्त योजनाओं के अधीन कितने मकान बनाये गये और उन पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) कितने मकान बनाने का लक्ष्य था और उन में से कितने बने ;

(घ) लक्ष्य के अनुसार मकान न बनने के क्या कारण हैं;

(ङ) बैलों की जोड़ी तथा कृषि कार्य के हेतु धनराशि देने का क्या लक्ष्य था;

(च) क्या यह सच है कि लक्ष्य पूरे न हो सके ;

(छ) उस के क्या कारण थे ; और

(ज) क्या यह भी सच है कि ये योजनायें इस लिये पूरी न हो सकीं कि सब कामों के हेतु ऋण नहीं मिल सका ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ज). सूचना राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है, तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमुक्त जातियां

३१७२. श्री क० भे० मालवीय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भारत क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों एवं विमुक्त जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास की कौन-कौन सी योजनायें बनाई गई थीं ;

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत ऋण एवं सहायता की बजट में कितनी-कितनी व्यवस्था की गयी थी ;

(ग) बजट में की गयी व्यवस्था के अनुसार ऋण की धन राशि कितनी मंजूर हुई थी; और

(घ) यदि राज्य को कोई ऋण नहीं दिया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) तथा (ख). सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) तथा (घ). द्वितीय योजना के पिछड़े वर्ग संबंधी भाग में ऋण देने के लिए राज्य सरकारों को साहाय्य अनुदान (Grant-in-aid) का कोई प्रबंध नहीं था। प्रोग्राम के अधीन ऋणों को राज्य सरकारों को अन्य मदों (Provisions) से पूर्ण करना पड़ा था ।

नाम-पट्ट

३१७३. श्री क० भे० मालवीय : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आदेश निकाला है कि सभी सरकारी कार्यालयों तथा अधिकारियों के नामों की तख्तियां हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में हों ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या आदेशों को क्रियान्वित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग) : इस विषय पर कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं, लेकिन केन्द्रीय सचिवालय और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नामों की तख्तियों को हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में लगाना अब आम दस्तूर हो गया है।

उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा

†३१७४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये विधान बनाना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब अधिनियमित किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). इस विषय पर उड़ीसा बुनियादी शिक्षा एक्ट, १९५१ पहले से विद्यमान है। राज्य सरकार निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये इस अधिनियम का पुनरीक्षण करने के बारे में विचार कर रही है।

अन्धों की शिक्षा

†३१७५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अन्धों की संख्या क्या है ?

(ख) अन्धों की संख्या किस राज्य में सब से अधिक है;

(ग) उनकी शिक्षा और अन्य दस्तकारी के कामों का प्रशिक्षण देने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). १९३१ की जनगणना के अनुसार देश में अन्धों की संख्या ६०१३७० थी। उत्तर में उनकी संख्या सब से अधिक थी। अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि बाद की जनगणना में इनकी गणना नहीं की गई थी ?

(ग) भारत सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में अन्धों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये ९४ संस्थायें हैं। लगभग सभी दस्तकारी सिखाती है।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्

†३१७६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् ने जनशक्ति समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो जन शक्ति समिति के उड़ीसा राज्य सम्बन्धी प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या प्रस्थापनायें अपनाई गई हैं ; और

(ग) इस बारे में उड़ीसा राज्य की विशेष शिकायतें क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा की विशेष आवश्यकता डाक्टरों और इंजीनियरों की कमी है। जन शक्ति समिति ने इस कमी को दूर करने के लिये सिफारिशें की थीं। परिषद् ने अपनी गत बैठक में इस विषय पर विचार किया था और यह स्वीकृत किया गया था कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(एक) उड़ीसा सरकार डाक्टरों के नियुक्त करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार से मांग करे ; और

(दो) उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गये विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिये अन्य राज्यों में सुविधायें दी जायें ।

जनशक्ति समिति ने यह भी सिफारिश की कि उड़ीसा में एक रीजनल मैडिकल कालेज और एक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज खोला जाये । परिषद् इस बात से सहमत हुई कि समिति की पूर्वोक्त सिफारिश भारत सरकार को भेज दी जाये । उत्तरोक्त के बारे में परिषद् ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में एक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज खोलना स्वीकार कर लिया है ।

उड़ीसा में माध्यमिक शक्षा

†३१७७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ में अब तक उड़ीसा राज्य को उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन देने और उस के पुनर्गठन के लिये कोई राशि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई; और

(ग) किस प्रकार की योजनायें मंजूर की गईं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). वर्ष १९६१–६२ में सभी विभागों के विकास के लिये मूल चूक १९ करोड़ रुपये दे दिये गये हैं । इसे किन किन मदों पर व्यय किया जायेगा, इसका हिसाब अभी नहीं लगाया गया । केन्द्र द्वारा दी गई सहायता का तीन चौथाई वित्त मंत्रालय प्रति मास "मार्गोपाय पेशगियों" के रूप में दे रहा है । यह मंत्रालय वित्तीय वर्ष के अन्त में अन्तिम भुगतान की मंजूरी देते समय आवश्यक समायोजन कर लेगा ।

(ग) माध्यमिक शिक्षा के बारे में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं की एक सूची संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २७**]

"इंडेक्स टु एजुकेशनल पीरियोडिकल्स"

३१७८. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (१) "इंडेक्स टु एजुकेशनल पीरियोडिकल्स" (२) "इंडियन एजुकेशन एब्स्ट्रेक्टस" और (३) "एजुकेशन क्वार्टली" केवल अंग्रेजी में ही छपते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें अब तक केवल अंग्रेजी में क्यों प्रकाशित किया गया;

(ग) क्या सरकार उन्हें हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिए कदम उठायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

(१) जी, हां ।

(२) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) जी, नहीं, "एजूकेशन क्वार्टरली" मुख्यतः अंग्रेजी में प्रकाशित होता है लेकिन इसमें एक हिन्दी खण्ड भी होता है जिसमें हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में समीक्षा हिन्दी में ही दी जाती है।

(ख) (१) शैक्षणिक पत्रिकाएं, जिनके सारांश और अनुक्रमणिकाएं तैयार की जाती हैं, अधिकतर अंग्रेजी भाषा में ही होती हैं।

(२) सारांश और अनुक्रमणिकाओं का वितरण विश्वविद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों और अधिकारियों में किया जाता है तथा अमेरिका, इंगलैण्ड, आस्ट्रेलिया और केनेडा से प्रकाशित लगभग २०० शैक्षणिक पत्रिकाओं के साथ सारांश का आदान-प्रदान किया जाता है।

प्राप्ति-कर्त्ताओं के लिए अंग्रेजी की अनुक्रमणिकाएं और सारांश बहुत उपयोगी होते हैं।

(ग) जी, हां, (१) और (२) के लिए। 'एजूकेशन क्वार्टरली' के संबंध में 'एजूकेशन क्वर्टिरली' के अनुरूप ही हिन्दी में एक शैक्षणिक पत्रिका निकालने का प्रस्ताव है, जिसमें मंत्रालय की सभी अंग्रेजी पत्रिकाओं के चुने हुए लेखों के हिन्दी अनुवादों के साथ साथ हिन्दी के मूल लेख भी होंगे। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जैसे ही काफी बड़ी संख्या में हिन्दी में शैक्षणिक पत्रिकाएं प्रकाशित होंगी, अनुक्रमणिकाएं और सारांश हिन्दी में प्रकाशित किए जाएंगें। 'एजूकेशन क्वार्टरली' के अनुरूप पत्रिका प्रकाशित करने के विषय में निर्णय होते ही, प्रकाशन आरंभ कर दिया जाएगा।

असम वित्त निगम

†३१७९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम वित्त निगम के क्षेत्राधिकार के बारे में मनिपुर प्रशासन और असम सरकार के बीच कोई करार हुआ है; और

(ख) करार की यदि कोई मुख्य बातें हैं तो वे क्या हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). नहीं श्रीमान्। मह मामला मनिपुर प्रशासन और असम सरकार के विचाराधीन है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को आवास अनुदान

†३१८०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने कॉ कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में आवास अनुदानों के लिए अनुसूचित जातियों के कितने प्रार्थना-पत्र मिले और अब तक मनिपुर में कितनी राशि दी गई?

†**गृह-कार्य नंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) तथा (ख). मनिपुर प्रशासन से आवश्यक जानकारी मंगवाई गई है और मिलने पर सभा पटल पर रखी जायेगी।

चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना

†३१८१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत छः महीनों में भारत में चोरॉ छिपे लाई गई कितनी घड़ियां पकड़ी गई और तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध कितने और मामले चलाये गये या दर्ज किये गये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सीमा शुल्क, भ-सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों ने ३१ जुलाई, १९६१ को समाप्त छः मास में १२,६५,००० रुपये की १६,७३७ चोरी छिपे लाई गयी घड़ियां पकड़ीं। इसी काल में लगभग १०३६ मामले तस्कर व्यापारियों के विरुद्ध चलाये गये या दर्ज किये गये।

पूर्वी अफ्रीका में जीवन बीमा निगम का विनियोजन

†**३१८२. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने पूर्वी अफ्रीका में काम करने वाले समवायों में कुल कितनी धन राशि लगायी है ;

(ख) ऐसे समवायों की संख्या क्या है और

(ग) समवायों और उनके मालिकों के नाम क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) पूर्वी अफ्रीका में जीवन बीमा निगम के विनियोजन सरकार और नगरपालिकाओं के ऋणों प्रतिभूतियों और जमीन जायदाद आदि में ही हैं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारत में गोरखा लोग

३१८३. श्री मानवेन्द्र शाह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन से राज्यों में गोरखाओं को, जो कि भारत के नागरिक हैं, पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के स्कूलों में सामाजिक ज्ञान की पाठ्य पुस्तक

†**३१८४. श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के स्कूलों की ५वीं कक्षा के लिए विहित सामाजिक ज्ञान की पाठ्यपुस्तक के अन्तिम तीन अध्याय शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं लिखे गये ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). दिल्ली में विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें चुनने के बारे में कुछ सामान्य प्रकार की शिकायतें मिली हैं। दिल्ली प्रांसन को यथा शीघ्र तेजी से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। जांच द्वारा यह भी निश्चित किया जायेगा कि क्या विहित पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग कालेज वारंगल

†३१८५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालेज वारंगल के लिए भवनों के निर्माण में कुल कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कब तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) तथा (ख). निर्माण का प्रथम भाग जिसमें भोजनकक्ष कार्यशालायें, इंजीनियरिंग प्रयोगशालायें और कर्मचारियों के कुछ क्वार्टर शामिल हैं, तैयार किया जा रहा है और अब नवम्बर–दिसम्बर १९६१ में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता

†३१८६. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, १९६१ के महीनों में भारत सरकार और अन्य दफ्तरों में कर्मचारियों को अतिरिक्त समय काम करने के लिए कितना भत्ता दिया गया;

(ख) अतिरिक्त समय काम करने का यह भत्ता कहां तक क्लर्कों आदि की भर्ती पर रोक लगाने के कारण है; और

(घ) अनुशासन के कठोरता से पालन और काम के सामान्य समय में काम करवा कर अतिरिक्त समय काम के भत्ते को निरोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) से (ग). मांगी गई जानकारी एकत्र की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता जो अपनी इच्छा से अतिरिक्त समय काम करते हैं। यह केवल उस समय दिया जाता है जब एक सक्षम प्राधिकारी के विशेष निदेश के अधीन अतिरिक्त समय काम किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी ऐसा निदेश देने से पूर्व स्वयं यह पता लगाता है कि काम इतना आवश्यक है कि उसका निबटारा अगले दिन के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। ये हिदायतें भी जारी की गई हैं कि सब दफ्तरों में काम की व्वस्था ऐसी होनी चाहिये कि सामान्यत: दफ्तर के सामान्य समय में काम हो सके और केवल विशेष परिस्थितियें में अतिरिक्त समय काम करने की आवश्यकता पैदा होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर में कोयले की कमी

†३१८७. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी कश्मीर में कोयले की कमी है; और

(ख) यदि हां तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदा स्वर्ण सिंह) :** (क) तथा (ख). जुलाई से काश्मीर में कोयले के संभरण की स्थिति काफी सुधर गई है । उस मास उस राज्य को ७२ माल डिब्बों के अभ्यंश के बदले ११५ डिब्बे कोयला भेजा गया था । अगस्त में में भी कोयले के ११५ डिब्बे भेजने का कार्यक्रम बनाया गया था ।

नई दिल्ली में बाल भवन

†३१८८. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नई दिल्ली में बाल भवन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** प्रशासन सम्बन्धी खण्ड का निर्माण जिस में बच्चों के शौक सम्बन्धी ८ कमरे, पुस्तकालय, झूले, बिना छत का थ्येटर और कार ठहराने का स्थान शामिल है, पूरा कर लिया गया है । भीतरी सड़कें आंगन की दीवार, निदेशक, चार कर्मचारियों और श्रेणी ४ के आठ कर्मचारियों के क्वार्टर तैयार कर लिये गये है । कार्यशाला भवन का निर्माण किया जा रहा है और आशा है कि और एक मास में यह निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा । इस के अतिरिक्त जमनाजियम और बिना छत के थ्येटर के निर्माण के लिए टेंडरों की जांच की जा रही है ।

सांस्कृतिक समारोहों के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान

†३१८९. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक समारोहों का संगठन करने के लिए अनुदान दिया गया था ;

(ख) कलकत्ता विश्वविद्यालय को इस कार्य के लिए १९५६–५७, १९५७–५८ १९५८–५९, १९५९–६० तथा १९६०–६१ में अलग अलग कितनी धनराशि दी गई ; और

(ग) विश्वविद्यालय ने उसका किस प्रकार उपयोग किया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) १९५६–५७ . . . रुपये ४१५०
१९५७–५८ . . . रुपये ४५३१
१९५८–५९ . . . रुपये ४५००

१९५९–६० तथा १९६०–६१ में कोई अनुदान नहीं दिया गया था ।

(ग) अन्तर-कालिज युवक समारोहों का संगठन करने के लिए ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में उर्दू का विकास

†३१९०. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९६०–६१ में उर्दू भाषा के विकास के लिए अनुदान मांगें हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितना अनुदान दिया गया ; और

(ग) यह अनुपात कैसे उपयोग में लाया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) :** (क) नहीं, श्रीमन् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक

†३१९१. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषतः बीकानेर चुरू और गंगा नगर में १९६०–६१ के अन्त तक कितने भूतपूर्व सनिक थे ; और

(ख) ऐसे कितने भूतपूर्व सैनिक है जो या तो नियुक्त किये जा चुके हैं या जिन्हें पुनर्वास के लिए भूमि दी जा चुकी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) १ अप्रैल से ३० जून, १९६१ तक ४३ भूतपूर्व सैनिक राजस्थान राज्य में सरकारी अथवा गैरसरकारी सेवा में नियुक्त पाये गये । ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की संख्या उपलब्ध नहीं है जिन्हें पुनर्वास के लिए भूमि दी गई ।

मनीपुर में अपहरण के मामले

†३१९२. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और अगस्त में विद्रोही नागाओं द्वारा अपहरण के कितने मामले हुए ;

(ख) इसकी तुलना में १९६० की इसी कालावधि में कितने मामले हुए थे ;

(ग) क्या इन मामलों में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या पग उठाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ४।

(ख) ४ ।

(ग) नहीं श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़ौदा में खनिज निक्षेप

†३११९३. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री आसर : }

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसी बातों का पता लगा है जिन से गुजरात में बड़ौदा जिला के छोटे उदयपुर स्थान के कुछ भागों में यूरेनियम आदि खनिज पदार्थों के भारी निक्षेपों का पता लगता है ;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों के ढूंढने और उनकी उपलब्धि की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) ऐसे कदम उठाने का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूभौतिकीय सर्वेक्षण विभाग ने बड़ौदा जिले के अम्बा डूंगरी स्थान पर और उसके आस पास के क्षेत्र में बहुत खनिज पदार्थों का पता लगाया गया है । छोटे उदयपुर के आसपास अभ्रक पेगनेराइट और डोलेमिटिक संगमरमर का पता लगा है ?

(ख) तथा (ग). भारत के भूभौतिकीय सर्वेक्षण विभाग ने १ : ३००० के हिसाब से खनिज पदार्थों के १.१४ वर्ग किलोमीटर प्रदेश के बड़े पमाने पर विस्तृत नक्शे तैयार करने आरम्भ किये थे । निक्षेपों के अनुमान लगाने के लिए खोज सम्बन्धी गढ़े खोदे गये थे । (फ्लोर स्थान चट्टान की ऊपरी सतह की जांच से उस में २० से ५० प्रतिशत निक्षेपों अर्थात् लगभग १० लाख टन का अनुमान लगाया गया ।

अन्य खनिज पदार्थों, यदि कोई उपलब्ध हों, के निक्षेपों का पता लगाने के लिए इस क्षेत्र का १:६३,३६० के हिसाब से प्रादेशिक नक्शा तैयार करने की योजना बनाई गई है ।

बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज

†३११९४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री २२ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बहुप्रयोजनीय माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए चार प्रादेशिक कालेज खोलने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : देश के चार खण्डों में चार प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने का विचार है जिनमें से प्रत्येक के साथ अभ्यास के लिए एक-एक

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूल होगा । कौन-कौन से विषयों में प्रशिक्षण दिया जायेगा और प्रत्येक विषय में कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा इसका व्यौरा इस प्रकार है :—

१. औद्योगिकी	२५
२. कृषि	२५
३. वाणिज्य	२५
४. घरेलू विज्ञान । ललितकला	२५
५. औद्योगिक कलायें/शिल्प	२५
६. वज्ञानिक शिक्षा	७५
	कुल ३०० प्रति कालेज प्रतिवर्ष अथवा चार कालेजों में ८००

यह भी आशा है कि प्रत्येक कालेज में प्रतिवर्ष सारे विषयों के लिए लगभग अध्यापकों के हेतु अल्पकालीन सेवा का कार्यक्रम रखा जायेगा ।

समवायों द्वारा जारी पूंजी

†३१९५. { श्री प्र० गं० देब :
श्री सं० अ० मेहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समवायों को ६ मई, १९६१ से पूंजी जारी करने की अनुमति दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, १९६१ से अगस्त, १९६१ तक प्रत्येक समवाय को कितनी पूंजी जारी करने की अनुमति दी गई थी ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १२८ समवायों को ६ मई, १९६१ से अगस्त, १९६१ तक पूंजी जारी करने की अनुमति दी गई ;

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २८]**

निर्वाचन याचिका

†३१९६. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दलजीत सिंह : }

क्या विधि मंत्री २८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौधरी बलबीर सिंह बनाम चौ० अमर सिंह की निर्वाचन याचिका जो १९५५ से विचाराधीन है का अन्तिम निर्णय हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया,

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निर्णय किये जाने की आशा है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) हां, श्रीमान, १८ जुलाई, १९६१ को।

(ख) निर्वाचन न्यायाधिकरण ने चौधरी बलबीर सिंह द्वारा चौ० अमर सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई निर्वाचन याचिका को खारिज कर दिया है और लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ के अधीन श्री प्रताप सिंह कैरों और मास्टर दलजीत सिंह के नाम जारी किये गये आदेश भी रद्द कर दिये हैं।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड को ऋण

†३१९७. **श्री रामकृष्ण गुप्त ।**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री १७ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड द्वारा अधिक व्यय ऋण के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) तथा (ख). भारत के औद्योगिक वित्त निगम से ९५.२४ लाख रुपये के छोटे चरखा द्वारा वित्तीय सहायता के लिए ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड का पुनरीक्षित प्रार्थना पत्र निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया है किन्तु अभी सरकार को मंजूरी देनी है। निगम की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

सेवाओं में हरिजनों की भर्ती

†३१९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवाओं में हरिजनों की भर्ती के लिए आयु की सीमा बढ़ा देने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत

३१९९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य-क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों मे इस वर्ष कितने प्रतिशत छात्र विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुत्तीर्ण हुए;

(ख) गत वर्ष की तुलना में यह आंकड़े कहां तक सन्तोषजनक हैं; और

(ग) अनुतीर्ण छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिये सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). उपलब्ध अंतिम आंकड़े १९५७-५८ और १९५८-५९ वर्षों के है। इनका तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट १ में दिया जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २९]**।

(ग) स्थिति का स्पष्टीकरण परिशिष्ट २ में दिया जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**।

न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

†३२००. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने में क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार) :** न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने में राज्य सरकारों द्वारा की गई और प्रगति का विवरण संलग्न है।

विवरण

न्याय पालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण

१ अगस्त, १९६१ को राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रगति :—

१. **बिहार**—राज्य सरकार को और ५० मुनसिफ भर्ती करने के लिए लोक सेवा आयोग की सिफारिशें मिली हैं और अनुमान है कि शीघ्र ही भर्ती कर ली जायेगी।

२. **मध्य प्रदेश** :—न्यायपालिक में भर्ती के लिए कर्मचारी चुनने के कदम उठाये जा रहे हैं। न्यायालयों के मार्ग दर्शन के लिए हिदायतें तैयार की जा रही हैं और शीघ्र ही राज्य के उच्च न्यायालय की मंजूरी के लिए भेज दी जायेंगी।

३. **उड़ीसा**—१ मई, १९६१ से तीन और ज़िलों अर्थात् सम्बलपुर, मयूरभंज और ढेंकानल में न्याय-पालिका को कार्यपालिका से पृथक करने की योजना लागू कर दी गई है।

४. **राजस्थान** :—राज्य सरकार शनै शनै दण्डकाधीशों के न्यायालयों को मुनसिफ के न्यायालय बना रही है जिनका प्रबंध न्यायिक अधिकारी करते हैं।

---

†मूल अंग्रज़ी में

५. **उत्तर प्रदेश** :—चालू वित्तीय वर्ष में १३ और ज़िलों में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की योजना लागू कर दी गई है। अब राज्य के ४७ ज़िलों में योजना लागू है और सिवाय कुमायूं और उत्तर खंड के पहाड़ी ज़िलों के सारे प्रदेश में लागू हो चुकी है।

केन्द्रीय जीवन बीमा निगम का केन्द्रीय कार्यालय

†३२०१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार जीवन बीमा निगम के केन्द्रीय कार्यालय को बम्बई से हटा कर किसी अधिक उपयुक्त जगह ले जाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यालय कहां ले जाया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत के जीवन बीमा निगम के बारे में उनहत्तर सिफारिशें की हैं जिनमें से एक सिफारिश निगम के केन्द्रीय कार्यालय को हटाकर अन्यत्र ले जाने के बारे में है। जीवन बीमा निगम से इस संबंध में राय मांगी गई है। आशा है कि उसकी राय हमें शीघ्र ही ज्ञात हो जायेगी। राय प्राप्त होते ही सरकार प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की अग्रेत्तर जांच करेगी और उन पर निर्णय करेगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिये जाना

†३२०२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालिसी होल्डरों को ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया जटिल है और ऋण पर लिये जाने वाले ब्याज की दर अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया को सरल बनाने और ब्याज की दर घटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या जीवन बीमा निगम की पालिसियों के अभ्यर्पण अर्हा[1] को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेक्निकल शिक्षा के लिये विदेशी सहायता

†३२०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई छोटे यूरोपीय और एशियाई देशों ने भारत को टेक्निकल शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Surrender Value.

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं और उनका विवरण (देशवार) क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयले का भूमिगत वायुकरण[1]

†३२०४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** : **श्री त० ब० विट्ठलराव** :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयले के भूमिगत वायुकरण के लिये उपयुक्त स्थानों की सूची तैयार करने के लिये जो विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी क्या उस ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये हस्तांतरित सम्पत्ति शुल्क

†३२०५. **श्री रामकृष्ण गुप्तः** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन को निदेश दिया है कि पुनर्वास मंत्रालय द्वारा विस्थापितों को हस्तान्तरित की जाने वाली सम्पत्ति पर ४ प्रतिशत शुल्क की छूट दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं । निगम ऐसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८६६ द्वारा लगाये गये स्टाम्प शुल्क पर अधिकर के तौर पर अगर निगम अधिनियम के उपबन्ध के अधीन ४ प्रतिशत शुल्क वसूल करता है । इसलिये पुनर्वास मंत्रालय द्वारा हस्तान्तरित सम्पत्ति पर यह शुल्क नहीं लिया जा सकता । अतीत में जहां कहीं कानून का गलत अर्थ लगाने के फलस्वरूप ऐसी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर शुल्क वसूल किया गया हो वह निगम द्वारा दिल्ली प्रशासन से तिमाही वसूली प्राप्त होने पर लौटा दिया जायेगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'फ्लाईंग साइकल'

†३२०६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** : **श्री नेकराम नेगी** :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १० मार्च, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२१ के उत्तर के संम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री आर० ए० पारासर

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Under ground Gasification of coal

ने इस बीच 'फ्लाइंग साइकल' के बारे में कोई उपयुक्त योजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को प्रस्तुत की है ?

†**वैज्ञाक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : जी, नहीं ।

दिल्ली में गैरसरकारी स्कूल

†३२०७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री नेकराम नेगी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री १० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी स्कूलों को मान्यता देने या न देने और ऐसी संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सेवा की शर्तों के विनियमन का अधिकार और ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में ऐसे अन्य [illegible] एने के लिये दिल्ली नगर निगम ने जो प्रस्ताव किया था उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अन्तिम निर्णय शीघ्र किये जाने की संभावना है ।

ईसाई धर्म-प्रचारक

†३२०८. **श्री हेम राज :**
श्री तंगामणि :
श्री प्रभात कार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) ईसाई धर्म-प्रचारकों को १९६० में और १९६१ में जनवरी से लेकर जुलाई तक विदेशों से कितनी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई ;

(ख) सहायता किन-किन देशों से प्राप्त हुई ; और

(ग) भारत में प्रत्येक राज्य में किन-किन ईसाई मिशनों को यह सहायता प्राप्त हुई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

सालारजंग संग्रहालय

†३२०९. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सालारजंग संग्रहालय की इमारत के निर्माण पर जुलाई, १९६१ के अन्त तक कितना धन खर्च किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : भूमि का अर्जन और प्रारंभिक व्यय––२,७८,२५७ रुपये; निर्माण पर कुछ नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुध कारखाने

†३२१०. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में अधिक से अधिक ५० प्रतिशत दिहाड़ीदार[1] लगाने की जो सीमा निर्धारित की गई थी वह हटाई जा रही है ;

(ख) क्या उन दिहाड़ीदारों को, जिन की मंजूरी इस प्रतिबन्ध के फलस्वरुप काटली गई थी, बकाया मंजूरी दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग) इस विषय में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

नई दिल्ली में तिब्बतियों के लिये विश्राम-गृह

†३२११. { **श्री भक्त दर्शन:**
श्री नवल प्रभाकर : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में बेला रोड पर तिब्बतियों के लिये जिस विश्राम–गृह की योजना स्वीकार की गई थी, उस के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संम्भावना है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) काफी प्रगति हुई है और उम्मीद है कि विश्राम-गृह अक्टूबर, १९६१ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक

३२१२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में अफ़ज़लगढ़ की भूतपूर्व सैनिक बस्ती के विकास-कार्य में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिसम्बर, १९६० से जुलाई, १९६१ तक की अवधि में अफजलगढ़ में भूतपूर्व सैनिकों के उपनिवेश के विकास में और निम्न प्रगति हुई है :—

१. लगभग ६१९ एकड़ भूमि को उपजाऊ बनाया गया है ।

२. ५२५ एकड़ वन्य भूमि से झाड़-झांकर साफ कर दिए गए हैं ।

३. ६२ भूतपूर्व सैनिक बसाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Piece Workers

४. खेती बारी के लिए कुछ छोटी नहरें बन रही हैं ।

५. उपनिवेश में भूमि सम्बन्धी तीन और सहायक समितियां बनाई गई हैं ।

६. एक मील कच्ची सड़क बनाई गई है ।

७. चिकित्सालय में एक दाई रखी गई है ।

८. मुर्गीखाना बर्द्धन केन्द्र में अण्डे सेने वाला एक यन्त्र लगाया गया है ।

९. भिक्कावाला कुएं पर एक बिजली का इंजन लगाया गया है ।

दुर्गापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का अधिवेशन

†३२१३. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने हाल में दुर्गापुर में हुये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के लिये आवास, बसें, वातानुकूलित यंत्र और अन्य साधनों की व्यवस्था की थी ;

(ख) यह सुविधायें किन शर्तों पर दी गईं ;

(ग) क्या दुर्गापुर इस्पात क्षेत्र की एक सड़क भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन के लिये पक्की की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्य का व्यय किसने दिया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की स्वागत समिति द्वारा प्रार्थना की जाने पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अतिथि-भवन और छात्रावास में रहने और बिजली तथा पानी की व्यवस्था की ।

(ख) आवास के लिये जो जगह दी गई थी उसका उतना ही किराया लिया गया जितना कि बाहर वालों से लिया जाता है । बिजली और पानी का भी किराया लिया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में इस्पात पुनर्बेलन मिल

†३२१४. { **श्री नारायणनकुट्टि मेनन** :
श्री पुन्नूस
श्री मे० क० कुमारन : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को जिस इस्पात पुनर्बेलन मिल के लिए लाइसेंस दिया गया था, क्या उसका निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या मिल की मशीनरी के लिए आवश्यक विदेशी मद्रा और आयात लाइसेंस प्राप्त कर लिए गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख), से (घ). फर्म ने मशीनरी के आयात के लिए, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे वे स्वीकार नहीं किये जा सके। फर्म अब आयात के सम्बन्ध मे ऐसी शर्तें खोज निकाल रही हैं जो स्वीकार की जा सकें ।

विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोग

†३२१५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अमेरिका तथा भारत को सहायता देने वाले अन्य देशों से अनुरोध किया है कि उनके द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का कुछ भाग तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वय हेतु कच्चे माल और पुर्जे आयात करने के लिए काम में लाने दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सही ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत को सहायता देने वाले देशों की सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने मित्र देशों के समूह और संस्थाओं को अनुरोध किया है कि उनके द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए सहायता का जो आश्वासन दिया गया है उसका कुछ हिस्सा परियोजना के आधार पर सामान के आयात के अलावा अन्य कार्यों के लिए काम में लाने दिया जाये ।

(ग) प्रतिक्रिया अनुकूल रही है । जिस सहायता का आश्वासन मिल चुका है उसमें से कुछ ऋण ऐसे हैं जिनकी शर्तों के अनुसार नकद धन प्राप्त किया जा सकता है या पुर्जों और विशिष्ट वस्तुओं का आयात किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश में सी० पी० एम० ओ० कम्पनी

†३२१६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर जिले में खानों से खनिज निकालने के लिए सेंट्रल प्राविंसेज मेंगनीज ओर कम्पनी के साथ सहयोग के प्रश्न के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या इस समय हो रही वार्ता भंग हो गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह कम्पनी पूर्ण रूप से विदेशी व्यापार संस्था है ; और

(ङ) कम्पनी की अंश पूंजी कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). मामला न्यायाधीन है क्योंकि कम्पनी ने सरकार द्वारा उसे भविष्य में पट्टे देने से इंकार के विरूद्ध सम्बन्धित उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें दायर कर दी हैं और ३१–५–१९६१ को व्यादेश प्राप्त कर लिये हैं ।

(घ) कम्पनी ग्रेट ब्रिटेन में निगमित है और उसका स्वामित्व विदेशियों के हाथ में है ।

(घ) कम्पनी की अंशपूंजी १५ लाख पौंड है ।

उड़ीसा के लिए कच्चा लोहा

†३२१७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को १९५९–६० और १९६०–६१ में क्रमशः कुल कितना कच्चा लोहा मंजूर किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में वास्तव में कितना कच्चा लोहा दिया गया; और

(ग) कच्चे लोहे के कम संभरण के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क), से (ग). कच्चे लोहे के आवण्टन की प्रणाली १–७–१९५९ से समाप्त कर दी गयी है। १–७–१९५९ से राज्य सरकारों द्वारा इकट्ठी मांगें प्राप्त नहीं होतीं और निर्धारित अवधि के बाद आवण्टन नहीं किया जाता । उपभोक्ताओं से इन्डेंट सीधे प्राप्त होते हैं और लोहा और इस्पात नियंत्रक इन्डेंट प्राप्त होने पर उनकी जांच कर के फाउन्ड्री की क्षमता ध्यान में रखते हुए उन्हें उत्पादकों के पास भेज देता हैं । उपभोक्ताओं को स्टाक रखने वालों से बिना किसी अधिकार-पत्र के कच्चा लोहा प्राप्त करने दिया जाता है । १९५९ के अन्त तक भेजे गये कच्चे लोहे के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनवरी, १९६० से मार्च, १९६० तक ६५५५ टन कच्चा लोहा और १९६०–६१ में १४,१५८ टन कच्चा लोहा दिया गया।

कच्चे मैंगनीज पर रायल्टी

†३२१८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे मैंगनीज़ के व्यापार और उद्योग ने रायल्टी और नियत भाड़ा घटाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इस समय जो रायल्टी है वह १९६० के आरम्भ में घटाकर इतनी की गई थी । मैंगनीज उद्योग ने हाल में मैंगनीज की रायल्टी की दर कम करने का सुझाव दिया है किन्तु नियत भाड़ा घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

(ख) उद्योग ने रायल्टी दर कम करने का सुझाव इसलिए दिया है कि इस खनिज का निर्यात मूल्य विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता के लिये अधिक उपयुक्त हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम के स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों की आदिम जातियों की लिपि

†३२१९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के स्वायत्तशासी जिलों के आदिमजाति के लोग किसी लिपि का प्रयोग करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कौन सी लिपियों का प्रयोग होता है और रोमन लिपि का प्रयोग करने वाले आदिम जाति के साक्षर लोगों का प्रतिशत कितना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). असम के स्वायत्तशासी जिलो में आदिम जातियों की विभिन्न भाषायें लिखने के लिये सामान्यतया रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता रहा है । मिकिर भाषा लिखने के लिये असमी लिपि का भी प्रयोग होता है और इसी प्रकार उत्तर कछार में बंगाली लिपि का प्रयोग किया जाता है । रोमन लिपि का प्रयोग करने वाले आदिम जाति के साक्षर लोगों के प्रतिशत के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी विदेशी पूंजी

†३२२०. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगाई गई अपनी पूंजी का ब्यौरा तैयार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह ब्यौरा तथा गत तीन वर्षों में जिन देशों में इस प्रकार पूंजी लगाई गई उनके नाम बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र की विदेशी आस्तियों सम्बन्धी आंकड़े, जिसमें भारत के रिजर्व बैंक की आस्तियां शामिल हैं, नियमित रूप से एकत्र किये जाते हैं और भारत के रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन "फारेन इनवेस्टमेंट इन इंडिया" में प्रकाशित किये जाते हैं। इस विषय पर नवीनतम लेख इस बुलेटिन के मई के अंत में छपा है । उसमें प्रकाशित निम्नलिखित सारणी में गत तीन वर्ष के अन्त में सरकारी क्षेत्र की विदेशी आस्तियां दी गई हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

देश	निम्नलिखित वर्षों के अन्त में		
	१९५८	१९५९	१९६०
ग्रेट ब्रिटेन .	२१४.८	२१८.७	१४९.९
अमेरिका . . .	३२.३	५२.९	४५.८
पाकिस्तान* . . .	३००.८	३००.८	३००.८
अन्य देश .	१९.३	२०.६	३१.३
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें	२४.८	५२.३	५६.७
योग . .	५९२.०	६४५.३	५८४.५

†मूल अंग्रेजी में

*इस राशि में विभाजन के समय का ३०० करोड़ रुजये का ऋण भी शामिल है ।

अमेरिका के वाणिज्यिक बैंकों में भारतीय सप्लाई मिशन के जमा धन का कुछ हिस्सा निक्षेप के तौर पर वहां है इसके सिवाय गैर-सरकारी क्षेत्र में कोई सरकारी पूंजी नहीं लगी हुई है ।

बैंकिंग प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन

†३२२१. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकिंग प्रणाली की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक उच्चस्तरीय बैंकिंग आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह आयोग कब नियुक्त किया जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). रिज़र्व बैंक बैंकिंग से सम्बन्धित समस्याओं की निरन्तर समीक्षा करता है और देश की बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये वह वाणिज्यिक बैंकों तथा भारत सरकार से निकट सम्पर्क बनाये रहता है । आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्यवाही करने के लिये बैंक और सरकार को आवश्यक शक्तियां दे दी गई हैं । इसलिये देश की बैंकिंग प्रणाली की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक बैंकिंग आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

सौराष्ट्र में औरतों द्वारा आत्महत्या

†३२२२. **श्री आसर :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सांस्कृतिक समारोह अध्ययन दल ने सौराष्ट्र में औरतों की आत्महत्या की घटनाओं को कम करने के लिये एक उपाय के तौर पर विवाह-विच्छेद सम्बन्धी विधियों को शिथिल करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी, नहीं । सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

बिहार में स्कूल छात्रावास

†३२२३. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को १९६०–६१ में स्कूल छात्रावास बनाने के लिये कोई ऋण स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में प्रत्येक स्कूल को कुल कितना धन स्वीकार हुआ है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान । ८०,००० रु० स्वीकार किये गये थे ।

(ख) बिहार सरकार ने निम्न चार स्कूलों में से प्रत्येक को २०,००० रु० दिये थे :—

(१) दयानन्द कन्या विद्यालय, मीठापुर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) आर्य कन्या विद्यालय, नया टोला ।

(३) राजेन्द्र विद्यालय, गया ।

(४) डी० ए० वी० स्कूल, सिवां ।

भारत में विदेशी विशेषज्ञ

३२२४ **श्री खुशवक्त राय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, वे किस देश के हैं और उनकी विशेष योग्यतायें क्या हैं ;

(ख) क्या उन में कोई चीनी भी है; और

(ग) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं और वे क्या काम कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) विवरण संलग्न है । उनकी विशेष योग्यताओं के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

विवरण

संख्या	देश
८२	इंगलैंड
१	यू० एस० ए०
१	आस्ट्रेलिया
१	कनेडा
५	फ्रांस
४४७	रूस
२	चीन
११	जापान
१	सीलोन
४	जर्मनी
२	आयरलैण्ड
१	ब्रिटिश वैस्ट इंण्डीज़
३	पाकिस्तान
२	यूगोस्लाविया
१	बर्मा (एंग्लोबर्मीज़)
योग ५६४	

(ख) हां, उनमें दो चीनी हैं।

(ग) सर्वश्री वाई० वाई० यांग, और तान चुंग } नई दिल्ली के स्कूल आफ़ फारेन लैंग्वेजेज़ में लैक्चरर के पद पर कार्य कर रहे हैं।

गैर-सरकारी फर्मों को करों से छूट

†३२२५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर चेम्बर आफ कामर्स ने मृत्यु और गैर-सरकारी फर्मों द्वारा दिये जाने वाले सेवा-निवृति उपदान पर आय-कर से छूट मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) हां, श्रीमान। उसने अपना यह सुझाव आय-कर विधेयक, १९६० सम्बन्धी प्रवर समिति को दिया था।

(ख) आय कर विधेयक, १९६१ (जो २८ अगस्त, १९६१ को लोक-सभा में पारित हो चुका है) के खंड १० (१०) में इस के लिये एक उपबन्ध किया गया है। इउ उपबन्ध के अनुसार यह प्रस्ताव किया गया है कि गैर-सरकारी उद्योग-क्षेत्र में कर्मचारी को मिले उपदान पर अर्थात् पूरी सेवा-अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये आधे महीने के वेतन पर, जिसकी गणना उपदान के भुगतान वाले वर्ष से तुरन्त पहिले के तीन वर्षों के औसत वेतन के आधार पर की गई है, जो २४,००० रु० से अधिक न हो या इस प्रकार गणना की गई १५ मास की तनख्वाह जो भी कम हो, आय कर नहीं लिया जायेगा।

प्रारम्भिक स्कूलों के लिए द्विभाषी पुस्तकें

†३२२६. **श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारम्भिक स्कूलों के लिये द्वि-भाषी पुस्तकें मंजूर हो कर छप गई हैं और बिक रही हैं ;

(ख) द्वि-भाषी पुस्तकें कितनी भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं ;

(ग) द्वि-भाषी प्राइमर बनाने की योजना मंत्रालय ने कब स्वीकार की थी; और

(घ) क्या उपरोक्त प्राइमरों द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार करने का ध्यान रखा गया है और यदि हां, तो कैसे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जून, १९६१ में हिन्दी तामिल की पाण्डु-लिपि और हिन्दी-कन्नड़, हिन्दी-मलायालम तथा हिन्दी-तेलगू, की प्रारम्भिक पुस्तकों का नमूना-भाग केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में आया था। ये वस्तुयें दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास से आई थीं जिसे द्वि-भाषी प्राइमर तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। हिन्दी-तामिल पाण्डुलिपि कुछ सुझावों सहित सभा को लौटा दी गई हैं। सभा से प्रार्थना की गई है कि हिन्दी-तामिल प्राइमर के बारे में दिये गये सुझावों को ध्यान में रख कर अन्य प्राइमरों में भी संशोधन किये जायें। उनके प्राकाशन तथा बिक्रय की व्यवस्था सभा करेगी इस में कितना व्यय होगा, इसके बारे में सभा से अभी प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) २३-१२-१९५९ ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालिज[1]

†३२२७. **श्री कालिका सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज देहरादून के पाठ्यक्रम क्या क्या हैं ;

(ख) कालिज में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितने विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में कालिज में उच्चतम उपाधि प्राप्त करके कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने सेना-सेवा में प्रवेश किया है ;

(घ) क्या कालिज के कार्य का आगे विस्तार करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसाका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज, देहरादून में निम्न पाठ्यक्रम हैं :—

(१) भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ;

(२) कालिज डिप्लोमा परीक्षा ;

(ख) कालिज में आजकल २०० छात्र सैनिक हैं। सब सुपात्र छात्र सैनिक कालिज डिप्लोमा परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी योग्यताकारी परीक्षा देते हैं और कुछ छात्र सैनिक इनके अतिरिक्त भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा देते हैं।

(ग) यद्यपि भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा कालिज की उच्चतम परीक्षा है, अधिकतर लड़के यह परीक्षा नहीं देते अपितु कालिज डिप्लोमा परीक्षा पास करके राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश पाने का प्रयत्न करते हैं। जिन छात्र सैनिकों ने १९५७, १९५८ और १९५९ में कालिज डिप्लोमा परीक्षा पास की थी उनमें से ९१.६७ प्रतिशत लड़कों ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश ले लिया है।

(घ) और (ङ). हां, श्रीमान। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालिज में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

३२२८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय तथा उस से संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग ऐसे हैं, जिन में हिन्दी जानने वालों की बहुतायत है; और

(ख) कितने अनुभाग ऐसे हैं, जिन में हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग करने की अनुमति दे दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

[1]Rashtriya Indian Military College.

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ९० अनुभागों में से २५ अनुभागों में ।

(ख) कोई अनुभाग हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग नहीं करता है क्योंकि कर्मचारियों की बहुतायत संख्या ऐसा करने की आवश्यक योग्यता नहीं रखती है । तो भी, इस मंत्रालय में एक हिन्दी सेल (Hindi Cell) है; जहां पर हिन्दी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग किया जाता है ।

हिन्दी निदेशालय में नये कर्मचारी

३२२९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत ६ महीने में हिन्दी निदेशालय में कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में काम कर रहे कर्मचारियों में से, जिन्हें अंग्रेज़ी में हो रहे दफ्तरी काम का ज्ञान है, हिन्दी निदेशालय में नियुक्त करने की कोशिश की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) ३४ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों को बाहर भेजना

३२३०. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारियों के लिये आदेश निकाल दिये हैं कि वे एक वर्ष में एक से अधिक बार किसी अन्य पद के लिये आवेदन पत्र नहीं भेज सकते ;

(ख) क्या यह नियम गजेटेड तथा गैर-गजेटेड सभी कर्मचारियों पर लागू होता है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रतिबन्ध को तीसरी श्रेणी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों पर से, जिन्हें तुलनात्मक दृष्टि से कम वेतन मिलता है, हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) सामान्य तः यह सुविधा वर्ष में एक बार देना पर्याप्त है । बहुत ही विशिष्ट मामलों में जहां पर सार्वजनिक हित की हानि नहीं होती, अस्थायी कर्मचारियों को वर्ष में एक से अधिक बार आवेदन पत्र भेजने की अनुमति दी जा सकती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपरोक्त उत्तर को देखते हुये (क) सुझाये गये उपबन्धों के शिथलीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

खजाने की पेटियों का टूट जाना

३२३१. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पिछली २० मई को टोंक जा रही सरकारी खजाने की पेटियां सवाई माधोपुर स्टेशन पर मालगाड़ी का शंटिंग होते समय जोर से टक्कर लगने के कारण टूट गई और नोट रेलवे लाइन पर यत्र-तत्र बिखर गये ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना से सरकार को कितनी क्षति उठानी पड़ी; और

(ग) इस दुर्घटना के लिये मुख्य रूप से किन लोगों को दोषी ठहराया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) २५ सन्दूक , जिन में नोट और सिक्के थे, १४ मई, १९६१ को सवाई माधोपुर स्टेशन पर रेल की पटरी की तरफ उतारे गये थे और उन में से एक सन्दूक चलती माल गाड़ी की टक्कर से टूट गया था ।

(ख) दस-दस रुपय के २०० नोटों को क्षति पहुंची थी, लेकिन जांच हो जाने के बाद , रिजर्व बैंक ने उन्हें भुगतान के लिए ठीक करार दे दिया । सरकार को कोई हानि नहीं हुई ।

(ग) इस मामले की जांच की गयी उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

लाजपतनगर, नई दिल्ली के दुकानदार

३२३२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है, जिस में कहा गया है कि लाजपत नगर, नई दिल्ली के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने पुलिस की अकर्मण्यता के विरुद्ध हड़ताल कर दी ;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार को कोई स्मरण-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग), लाजपत नगर के दुकानदारों के हड़ताल करने के बारे में जो खबर समाचार -पत्रों में छपी थी वह सही नहीं है । १८ मई, १९६१ को ४ व्यक्तियों ने सैन्ट्रल मार्किट , लाजपतनगर के एक दुकानदार पर लाठियों से आक्रमण किया । पुलिस ने उसी दिन मामला दर्ज कर लिया था । १९ मई को दोनों पक्षों ने समझौते करने का प्रयत्न किया लेकिन ये कोशिशें बेकार रहीं और आक्रमण की एक और वारदात हुई । पुलिस ने एक और मामला दर्ज कर लिया । दोनों मामलों के सभी अभियुक्तों को पुलिस ने पहला मामला दर्ज करने के बाद ९२ घंटों के अन्दर गिरफ़तार कर लिया । दोनों मामले न्यायालय को भज दिये गये । हैं । लाजपतनगर में पुलिस पैदल, साइकलों और गश्ती गाड़ियों में गश्त कर रही है ।

पंजाब में विज्ञान क्लब

†३२३३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के माध्यमिक स्कूलों में कोई विज्ञान क्लब चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उन के क्या क्या काम हैं ?

†शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान ।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) ऐसे २१ क्लब चल रहे हैं और उन के काम निम्न हैं :—

(१) शिष्यों में वैज्ञानिक विचार उत्पन्न करना।

(२) शौक के रूप में विज्ञान के अनुसरण को प्रोत्साहित करना।

(३) विज्ञान जानने में शिष्यों को भाग लेने और पहिल करने को बढ़ावा देना।

(४) वातावरण और दैनिक अनुभव में बुद्धिमानी से रूचि लेने में शिष्यों को प्रोत्साहन देना।

(५) वैत्तिक और दलीय पहल को बढ़ावा देना।

(६) अन्य विज्ञान क्लबों से संबंध स्थापित करना और जानकारी तथा कार्यवाही का आदान प्रदाल करना।

जन्तर मन्तर, नई दिल्ली

†३२३४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में जन्तर मन्तर की मरम्मत करने के लिए अब तक **क्या प्रयास किया गया है** ; और

(ख) इसका क्या परिणाम रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास** (क) और (ख) वार्षिक तथा विशेष मरम्मत हो रही है और अब तक निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) यंत्रों की दीवारों पर आंशिक प्लास्टर करना ; और

(२) अहाते की पूर्वी दीवार बनाना।

भारत को टैक्नीकल सहायता

३५३५. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विस्तत टेक्निकल सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, १९६० से अब तक भारत को कितने विशषज्ञों की सेवायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) क्या कोई उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो कितने ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) १९६०—१४५

१९६१—इस वर्ष के कार्यक्रम के अनुसार १९४ विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त होनी हैं। इस समय वास्तव में ९० विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां। १९६० में ४०६,६३७ डालर के मूल्य का साजसामान प्राप्त हुआ था।

१९६१ के लिए ६०३,५०० डालर के मूल्य का साजसामान प्राप्त होने का कार्यक्रम है। १९६१ में प्राप्त होने वाले साजसामान के वास्तविक मूल्य का पता १९६२ के शुरू में लगेगा।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

३२३६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष बजट में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और समाज

†मल अंग्रेजी में

कल्याण के विभिन्न क्षेत्रों में स्वेच्छा से कार्य कर रही कितनी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई थी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : चालू वित्त वर्ष के लिए २,६०,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है। चालू वित्त वर्ष में १५ अगस्त, १९६१ तक कुल १८८८ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी गई है।

वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर को अनुदान

३२३७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर को सरकार ने १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में कितने रुपये का अनुदान दिया और १९६१–६२ के लिये कितनी धन-राशि की व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(१) १९५८–५९	३,३५,००० रु०
१९५९-६०	३५,००० रु०
१९६०–६१	५५,००० रु०

(२) १९६१–६२ वर्ष के लिए अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा के लिये स्वयं सेवी शिक्षा संगठनों को सहायता

३२३८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सेवी शिक्षा संकगठनों के लिये १९६०–६१ में जो साढ़े छः लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी उस में से अब तक कितनी धन राशि की अदायगी इन संगठनों को की गयी ; और

(ख) क्या यह सही है कि बहुत से शिक्षा संगठनों को अनुदान तो मंजूर किये गये किन्तु उनकी अदायगी अभी तक नहीं की गयी ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९६०–६१ वर्ष के दौरान मूल बजट में जो ६.३० लाख रु० की व्यवस्था थी, उसे संशोधित प्राक्कलनों में घटा कर ३.२५ लाख रु० कर दिया गया था। इस मे से १.८१ लाख रु० की राशि स्वैच्छिक संगठनों को उसी वर्ष दे दी गई थी।

(ख) जी, नहीं

लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा तथा अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण

३२३९. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिये केन्द्र चालित योजना के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के दौरान विभिन्न राज्यों को जो धन राशि मंजूर की गई, उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : यह योजना तीसरी पंच वर्षीय आयोजना में राज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई है यद्यपि इन योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। विभिन्न योजनाओं के लिये किस रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाएगी, इसके बारे में

अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । फिर भी १९६१-६२ के लिये राज्य आयोजन के सभी क्षेत्रों के लिये नियत की गई केन्द्रीय सहायता का तीन-चौथाई भाग 'उपाय और साधन अग्रिम' के रूप में प्रत्येक राज्य सरकार को बराबर की किश्तों में देने की व्यवस्था की जा रही है ।

दिल्ली अनैतिकता विरोधी आन्दोलन

†३२४०. { श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के विरुद्ध कोई विशेष आन्दोलन आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मोटी मोटी बातें क्या हैं; और

(ग) इस में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) पुलिस स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों को लागू करने के लिये ज़ोरदार कार्यवाही कर रही है ।

(ख) नौ पुलिस इन्स्पैक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वे स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य रोकने के लिये कुछ परिस्थितियों में अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों को बन्दी बना लें ।

(ग) हाल में ही दो स्थानों का पता लगा है जो चकलों के रूप में चलाई जा रही थी । अब तक ६६६ व्यक्तियों पर स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य दमन अधियिनयम के अन्तर्गत मुकद्दमा चलाया गया है । इनमें से २०३ का दोष सिद्ध हो गया है, ९५ को छोड़ा गया है और ३६८ के मामले अनिश्चित पड़े हैं ।

कछार में निर्वाचक नामावलियां छापना

†३२४१. श्री अरविन्द घोषाल : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कछार में निर्वाचक नामावलियां केवल असमिया भाषा में ही छपी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). कछार जिले में (हेलाकन्डी और कतलीचेरा के विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़ कर जो हेलाकन्डी सब-डिविज़न पंजीज पहाड़ियों में आते हैं) विधान-सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों में निश्चित निर्वाचक-नामावलियां केवल बंगला में तैयार की गई हैं । जिले के अधिकतर लोग इसी भाषा को समझते हैं ।

विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्र हेलाकन्डी और कतलीचेरा के उन भागों में निर्वाचक नामावलियां **केवल बंगला में** तैयार की गई हैं जो हेलाकन्डी की पंजीज पहाड़ियों में आते हैं । इसका कारण यह है कि उन क्षेत्रों में अधिकतर आदिवासी लोग रहते हैं जिन को असमिया या बंगला शिक्षा नहीं मिली है और जिनकी भाषा अंग्रेजी लिपि में लिखी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुपारी का अवैध आयात

†३२४२. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में लाखों रु० के मूल्य की सुपारी का अवैध आयात होता है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में सुपारी का अवैध आयात रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) पश्चिम बंगाल और बिहार से सुपारियों के कुछ अवैध आयात की सूचना मिली है। उड़ीसा से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) अवैध आयात की गई वस्तु पकड़ ली जाती है और उनके खिलाफ विधि-कार्यवाही की जाती है। सीमाओं पर हमारे रोक थाम के उपाय और बढ़ा दिये गये हैं।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों की भर्ती

†३२४३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-निरीक्षक और निरीक्षक श्रेणी के केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों की भर्ती के लिये नाम केवल पटना के काम दिलाऊ दफ्तर से मांगे जाते हैं, राज्य में किसी अन्य काम दिलाऊ दफ्तर से नहीं; और

(ख) यदि हां, तो पटना का पक्ष लेने और अन्य की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नहीं, श्रीमान। यह सच नहीं है। सही स्थिति यह है कि उप-निरीक्षकों तथा निरीक्षकों सहित सारी श्रेणियों की मांग पटना के प्रादेशिक काम दिलाऊ दफ्तर को भेज दी जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे समूचे बिहार से उम्मीदवार भेजें। प्रत्येक भर्ती में समूचे बिहार से उम्मीदवार भेजे जाते हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में चीन निवासी

†३२४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चीन के कितने निवासी हैं ;

(ख) चालू वर्ष में अब तक दिल्ली में कितने चीन-निवासियों से उनकी अनुचित कार्यवाही के कारण देश से चले जाने के लिये कहा गया था; और

(ग) क्या इस बीच वे सब चले गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २२ अगस्त, १९६१ में ३४२।

(ख) २।

(ग) हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगलौर में सोने की खानें

†३२४५. { **श्री प्र० गं० देब :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने बंगलौर के पास सोने की पुरानी खान को पुनः चालू करने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस खान से कितना सोना मिलने की आशा है ?

†**खान, तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) मैसूर सरकार ने बताया है कि बंगलौर के पास किसी पुरानी खान में काम नहीं हो रहा है परन्तु मंगलौर के पास कार्य हो रहा है। राज्य सरकार का विचार पुरानी खानें चालू करने का नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†३२४६. { **डा० राम सुभग सिंह :**
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन का कोई रिकार्ड निर्धारित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अनुभागों में उसका क्या व्यौरा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । यह बताने में मुझे हर्ष है कि अगस्त, १९६१ में भिलाई में अच्छा उत्पादन हुआ । प्रारम्भिक आंकड़ों से पता लगता है कि अगस्त में भिलाई में ८४,१०१ टन लोहा और ६८,६३१ टन इस्पात की ईंटों का उत्पादन हुआ । ९ अगस्त, १९६१ को, जबकि पांच खुली भट्टियां चालू थीं, ३,५६० इस्पात–पिण्ड बनाये ।

लखीमपुर क्षेत्र में बाढ़

†३२४७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरा नदी में पानी न समा सकने के कारण जुलाई, १९६१ के आरम्भ में लखीमपुर में भयंकर बाढ़ आई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें जान व माल का कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) क्षेत्र में बाढ़-सहायता कार्यों पर कितना व्यय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) हां ।

(ख) कोई जान नहीं गई । उत्तर ट्रंक रोड और कुछ पुलों की टूट फूट के अतिरिक्त लगभग ६,६०० रु० की अन्य सम्पत्तियों को क्षति पहुंची ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्षेत्र के लिये उपदान सहायता के रूप में राज्य सरकार ने २,५०० रु० मंजूर किये थे ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का पुनरीक्षण

३२४८. श्री जांगड़े : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों से सुझाव मांगे गये हैं कि आधारभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन किये बिना उन अनुसूचित जातियों के नाम शामिल कर लिये जायें या निकाल दिये जायें जो दफ्तरी गल्तियों या अन्य छोटे-मोटे कारणों से रह गये थे या शामिल कर लिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की लिस्टों को दुबारा जांच करने के लिये प्रस्ताव भेजने को कहा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था, कि उन लिस्टों में अगर कहीं अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को शामिल करने या अलग करने में कोई गल्ती हुई हो, तो उस भूल को ठीक किया जा सके।

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार की सिफारिशों को बताना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

उड़ीसा में टैगोर शताब्दी समारोह

†३२४९. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में टैगोर जन्म दिवस शताब्दी समारोह आयोजित करने के लिये उस राज्य को कुल कितना धन दिया गया ;

(ख) यह धन किसको उपलब्ध किया गया ; और

(ग) इस अवसर पर किस किस ऐसे लेखक को, जिसने टैगोर-साहित्य का उड़िया भाषा में अनुवाद किया है, धन दिया गया ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). टैगोर जन्म शताब्दी समारोह के लिये उड़ीसा सरकार को कोई धन नहीं दिया गया । परन्तु भुवनेश्वर में टैगोर नाट्यशाला बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अपने अंश के रूप में १,७५,००० रु० दिये।

(ग) निम्नलिखित लेखकों को टैगोर के कुछ छटे साहित्य का उड़िया में अनुवाद के लिए धन साहत्यि अकादमी से मिला :—

१. श्री सोची रौव राय

२. श्री कालिन्दी चरण पाणिग्रही

३. श्री चितरंजन दास

४. श्री गोपी नाथ महन्ती

५. श्री सुनन्दा कार

६. श्री प्रभात मुकर्जी

७. श्री यतिन दास

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य छोटी बचत

†३२५०. **श्री आसर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उद्योगों को यह आदेश जारी किये हैं कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन में से अनिवार्य रूप से कुछ रकम छोटी बचत योजना के अधीन इकट्ठा करें ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार जानती है कि सेन्चुरी मिल तथा इसी प्रकार की दूसरी मिलें अपने कर्मचारियों के वेतन में से उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ रकम काट लेती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रथा रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को बताया गया है कि मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ की आवश्यकता के अनुसार कटौती कर्मचारियों द्वारा लिखित रूप में अधिकार दिये जाने पर ही की जाती है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय सेना छात्र दल और सहायक सेना दल शिविर

३२५१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६१ में देश में राष्ट्रीय सेना छात्र दल और सहायक सेना दल के कितने कैम्प लगे ;

(ख) उन पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(ग) क्या सरकार ने इन कैम्पों में किये गये कार्य का गुणात्मक मूल्यांकन किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा करना चाहती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) १ अप्रैल १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक, राष्ट्रीय सेना छात्रदल और सहायक सेना छात्र दल के, लगाए गए शिविरों की संख्या क्रमशः ६३७ और २५५ है ।

(ख) सहायक सेना छात्रदल शिविरों पर १९,३१,६१३ रुपये व्यय हुआ था । राष्ट्रीय सेना छात्रदल शिविरों पर सारा खर्च पहले राज्य सरकारों द्वारा ही संभाला जाता है । राज्य सरकारों ने अभी तक १९५९–६१ का वास्तविक खर्च सूचित नहीं किया है ।

(ग) साधारण प्रशिक्षण के अतिरिक्त, सभी सहायक सेना दल के शिविरों में और राष्ट्रीय सेना छात्रदल के ज्येष्ठ विभाग के कुछ शिविरों में, काम भी किया जाता है ।

प्रत्येक शिविर के अन्त में उसका गुणात्मिक मूल्यांकन किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इसमें मिट्टी का काम जैसा कि सड़कें बनाने, कुंओं और तालाबों की खुदाई और भराई, स्थानीय बांध बांधना, चिकित्सा-छात्रों और छात्राओं द्वारा, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता, स्वास्थ्य और सफाई का काम, वयस्कों का अध्यापन आदि शामिल है ।

मिट्टी के काम का गुणात्मिक मूल्यांकन, काम का रुपयों में मूल्य आंकते हुए किया जाता है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†३२५२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाना तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें पूरी क्षमता से इस्पात उत्पादन संभवतः कब आरम्भ होगा ; और

(ग) तैयार इस्पात का वर्तमान उत्पादन कितना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) जी नहीं । एकमात्र एकक जो अभी पूरा होना बाकी है वह है हॉटडिप टिनिंग प्लान्ट ।

(ख) साधारणतया इस्पात कारखानों को अपनी निर्धारित क्षमता तक पहुंचने के लिए दो तीन साल लगते हैं ।

(ग) अप्रैल, १९६१ से तैयार इस्पात का औसत मासिक उत्पादन करीब ८४०० टन रहा है ; और छड़ों का औसतन मासिक उत्पादन करीब २२,६०० टन प्रतिमाह रहा है ।

पंजाब में स्कूलों के छात्रावास

†३२५३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६१–६२ में अब तक स्कूल के छात्रावास बनाने के लिए पंजाब सरकार को कोई ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब राज्य में प्रत्येक संस्था के लिए कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब के लिये इस्पात

†३२५४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में पंजाब को भेजे गये इस्पात की मात्रा संतोषजनक नहीं है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह असंतोषजनक स्थिति दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) जाब को भेजे गये इस्पात की मात्रा असन्तोषजनक नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में साइकिल सवार

†**३२५५. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च से अगस्त, १९६१ तक दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न यातायात अपराधों के अधीन कितने साइकिल सवारों पर अभियोग चलाया गया और उन्हें दंड दिया गया ; और

(ख) इसी अवधि में विभिन्न यातायात दुर्घटनाओं में कितने साइकिल सवार आहत हुए और मारे गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). १–३–१९६१ से

१२–८–१९६१ तक जितने साइकिल सवारों पर अभियोग चलाया गया उनकी संख्या	३३९२४
कितने साइकिल सवारों पर जुर्माना किया गया उनकी संख्या	३३११३
आहत साइकिल सवारों की संख्या	२९६
मृत साइकिल सवारों की संख्या	१८

पंजाब में छावनी बोर्ड

†**३२५६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में पंजाब के छावनी बोर्डों ने किन-किन विकास योजनाओं को लिए कितनी-कितनी रकम मांगी थी ;

(ख) प्रत्येक छावनी बोर्ड की प्रत्येक विकास योजना के लिए अन्तिम रूप से कितना-कितना अनुदान देना मंजूर हुआ ; और

(ग) इन विकास योजनाओं को पूरा करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है । **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ग) सभी योजनाएं संभवतः ३१ मार्च, १९६२ तक पूरी हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर

†३२५७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में खड़गपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में भरती के लिए विभिन्न राज्यों से कितने प्रतिशत उम्मीदवार चुने गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :**

राज्य	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
	में भरती की प्रतिशतता	
१. आंध्र	१.३	१.७
२. असम	२.०	२.५
३. बिहार	९.५	१.७
४. दिल्ली	१३.२	१०.९
५. गुजरात	..	..
६. केरल	१.३	..
७. मध्य प्रदेश	१.३	..
८. मद्रास	२.०	२.५
९. मनीपुर	..	..
१०. महाराष्ट्र	१.३	२.५
११. मैसूर	२.४	..
१२. उड़ीसा	४.१	५.०
१३. पंजाब	७.१	५.८
१४. राजस्थान	०.७	०.८
१५. त्रिपुरा	..	..
१६. उत्तर प्रदेश	९.५	४३.४
१७. पश्चिम बंगाल	४४.०	१८.३
१८. हिमाचल प्रदेश	..	..
१९. जम्मू तथा काश्मीर	०.२	..
२०. नागालैंड		..
२१. विदेश	..	५.०
जोड़	१००.०	१००.०

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सांस्कृतिक कार्यों के लिये अनुदान

†३२५८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब में सांस्कृतिक कार्यों की उन्नति के लिए किन-किन संगठनों को अनुदान दिये गये ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में प्रत्येक संगठन को कितनी-कितनी रकम दी गयी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख)

	संगठन का नाम	रकम
		रुपये
१.	खालसा कालेज, अमृतसर	१,५००
२.	विश्वेश्वरानंद वैदिक रिसर्च इंस्टिट्यूट, होशियारपुर	८९,०००
३.	इंडियन एकेडेमी आफ फाइन आर्टस्, अमृतसर	२०,०००
४.	हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज, गुडगांव	२००
५.	दी इंडियन कल्चरल सोसाइटी, अमृतसर .	७,५००
६.	थियेटर क्राफ्स (क्षेत्रीय कार्यालय), अम्बाला	७,५००
७.	जालियान वाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, अमृतसर	१३,८१२

पंजाब विश्वविद्यालय को अनुदान

†३२५९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने १९६०-६१ में पंजाब विश्वविद्यालय को कितना अनुदान दिया; और

(ख) उस वर्ष में विभिन्न मदों पर कितनी-कितनी रकम खर्च की गयी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). विवरण संलग्न है। **[देखिए परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३३]**

दिल्ली में अवैध अफीम की जब्ती

†३२६०. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० और १९६१ में अब तक दिल्ली में कितनी अवैध अफीम जब्त की गयी ; और

(ख) कितने व्यक्ति अपराधी पाये गये और उन्हें सजा दी गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) १९६० में २२०.८ किलोग्राम और १९६१ में ३१ जुलाई, १९६१ तक १९६.८ किलोग्राम अफीम जब्त की गयी।

(ख) १९६० में १५४ व्यक्ति और १९६१ में (३१ जुलाई तक) ९९ व्यक्ति ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अवैध शराब बनाना

†३२६१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में दिल्ली में अवैध शराब बनाने और रखने के जुर्म में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ; और

(ख) उन में से कितने आदमियों को दण्ड दिया गया ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) १-१-६१ से ३१-७-६१ तक ८४८ ।

(ख) ३५६ ।

बच्चों के क्लब

†३२६२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में दिल्ली पुलिस बच्चों के कितने कल्ब चला रही थी ;

(ख) इन क्लबों ने क्या-क्या काम किया ; और

(ग) सरकार ने इन क्लबों को किस प्रकार की सहायता दी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती वायलेट आल्वा)** : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिक

†३२६३. **सरदार इकबाल सिंह** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के प्रत्येक ज़िले में ३१ मार्च, १९६१ तक कितने भूतपूर्व सैनिक थे ;

(ख) कितने सैनिकों ने १९५२ से पहले पेन्शन ली और कितने सैनिकों ने १९५२ के बाद पेन्शन ली ; और

(ग) कितने सैनिक ३१ मार्च, १९६१ तक लाभप्रद पदों पर नियुक्त थे ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) . (क) आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ३१-३-६१ तक, १,१०,९१३ भूतपूव सैनिकों ने ३१-१२-५२ से पहले पेन्शन ली और ३१,९७१ भूतपूर्व सैनिकों ने उस के बाद पेन्शन ली ।

(ग) मई, १९५१ से ३१ मार्च १९६१ तक की अवधि में १७,६८८ भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी मिली और ९७१ सनिकों को भूमि बस्तियों में बसाया गया ।

दिल्ली की अदालतों में बकाया मामले

†३२६४ **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६०-६१ में दिल्ली में जिला और सेशन्स जज, सब जज और मुन्सिफ की अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या बढ़ गयी है ; और

(ख) १९५८-५९ , १९५९-६० और १९६०-६१ में इन अदालतों ने कितने-कितने मामले फाइल कर दिये और निबटा दिये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) वर्ष १९६०–६१ में यद्यपि जिला और सेशन्स जज की अदालत में विचाराधीन मामलों की संख्या कुछ बढ़ गयी थी और फिर दिल्ली के सब जजों की अदालतों में विचाराधीन मामलों की संख्या घट गयी है। दिल्ली में कोई मुन्सिफ कोर्ट नहीं है ।

(ख) जिला और सेशन्स जज

वर्ष	दर्ज किये गये / मामलों	निबटाये गये की संख्या
१९५८–५९	३७०९	३३८०
१९५९–६०	४५८१	३२८०
१९६०–६१	५१८४	४९५७
	अधीनस्थ न्यायाधीश (सबोर्डिनेट जजेज़)	
१९५८–५९	९५९९	८५६८
१९५९–६०	७४९०	८४३९
१९६०–६१	६९२४	७८८४

राष्ट्रीय उपाधियां

३२६५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपाधियों से सम्मानित किये गये व्यक्तियों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस रूप में ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) भारत रत्न और पद्म जैसी असैनिक उपाधियों से सम्मानित किये गये व्यक्तियों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है, किन्तु संस्कृत, अरबी तथा फारसी के प्रतिष्ठित विद्वानों को उपाधि के साथ आजीवन काल तक डेढ़ हजार रुपया वार्षिक दिया जाता है ।

त्रिपुरा में भूमि हस्तान्तरण पर विस्थापित व्यक्तियों से प्रीमियम

†३२६६. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में सहायता तथा पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को दी गयी जमीनों का नामान्तरण करने के लिये त्रिपुरा सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों से कोई प्रीमियम मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रीमीयम अर्थात् नजराने के बगैर शरणार्थियों को नामोन्तरण देने का सरकार का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास

३२६७. श्री जांगड़े : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में गृह-मंत्रालय द्वारा किन संस्थाओं को हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास बनाने के लिये अनुदान दिये गये ;

(ख) ये संस्थायें किन स्थानों पर हैं; और

(ग) अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ईश्वर शरण आश्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय

(ख) इलाहाबाद ।

(ग) भारत सरकार ने अनुदान तब दिये जब उसे छात्रावासों की उपयोगिता तथा आवश्यकता के बारे में संतोष हो गया ।

पालम हवाई अड्डे पर रोके गये पाकिस्तानी

†३२६८. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ जुलाई, १९६१ को पालम पर ब्रिटेन के लिए हवाई जहाज पर चढ़ते हुए दो पाकिस्तानियों को रोक लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां । लेकिन १३ जुलाई, १९६१ को ।

(ख) उन्होंने जाली पाकिस्तानी पारपत्रों पर भारत में प्रवेश किया था ?

नहरकटिया का अशोधित तेल

†३२६९. { श्रीमती मफीदा अहमद :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नहरकटिया के अशोधित तेल का मूल्य सूत्र तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) मूल्य सूत्र भारत सरकार, बर्मा तेल कम्पनी, आँयल इंडिया लिमिटेड और असम तेल कंपनी के बीच एक करार में दिया हुआ है । जब तक कि करार के दूसरे पक्षों ने इस विषय पर विचार किया हो और परामर्श दिया हो कि उसे घोषित किया जाये, एकाकी तौर पर ऐसा करना सरकार के लिए उचित नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में रोजगार

†३२७०. { **श्री वं० च० मल्लिक :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के तथाकथित इस प्रस्ताव की ओर कि रोजगार केवल राज्य के लोगों को ही दिया जाये, सरकार ने कोई ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) राज्य सरकार का प्रस्ताव यह था कि निचले पदों पर भरती के लिए स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता दी जाये । इस संबंध में उसका ध्यान संविधान के अनुच्छेद १६(१) तथा सरकारी रोजगार (निवास संबंधी आवश्यकता), अधिनियम, १६५७ के उपबन्धों की ओर दिलाया गया था ।

कलकत्ते में आयकर कार्यालय की इमारत

†३२७१. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते में आयकर कार्यालय की इमारत का निर्माण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उस पर कितना खर्च हुआ ;

(ग) क्या सरकार अब उसे इस्तेमाल कर रही है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) उस इमारत के बनाये जाने से सालाना बचत कितनी होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). कलकत्ते में जो आयकर कार्यालय की इमारत बनाई जा रही है उसके दो हिस्से हैं, एक तो मुख्य इमारत और दूसरा उसका परिशिष्ट । यह परिशिष्ट ३१ दिसम्बर, १६६० को पूरा हो गया था और नीचली चार मंजिलों में मुख्य इमारत ३१ जुलाई, १६६१ को पूरी हो गई थी । आशा है कि मुख्य इमारत का शेष भाग शीघ्र ही पूरा हो जायगा । अब तक इस पर ५८,६८,६६३ रुपया खर्च हुआ जिसमें १०,१४,००० रुपया जमीन की कीमत भी शामिल है ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ) परिशिष्ट १ जनवरी, १६६१ से कब्जे में आ गया था और मुख्य इमारत के चार निचले मंजिल १४ अगस्त, १६६१ से ।

(ङ) अभी आजकल दिये गये किराये में संभवत: ३.६८ लाख रुपये की सालाना बचत होगी ।

तेल मंत्रणा समिति

†३२७२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मंत्रणा समिति ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्पादन की मांग का अनुमान बदल दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उसके क्या निष्कर्ष हैं और उनका आधार क्या है; और

(ग) क्या मांग के अनुसार तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान और भावी उपभोग की प्रवृत्तियों के आधार पर समिति ने यह अस्थायी निष्कर्ष निकाला है कि १९६६ तक कुल मांग करीब १४० लाख टन हो जायगी ।

(ग) अभी इस पर विचार हो रहा है ।

दिल्ली में लड़कियों के सरकारी स्कूलों में शिक्षक

†३२७३. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में लड़कियों के सरकारी स्कूलों में पुरुष शिक्षकों को नियुक्त करने का निश्चय किया है, ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निश्चय किन कारणों से किया गया ;

(ग) इस प्रकार निम्न आयु-वर्गों में कितने पुरुष शिक्षक नियुक्त किये गये हैं : (१) २५ या उससे नीचे, (२) २६--३५ , (३) ३६--४५, (४) ४६---५५ और (५) ५५ से ऊपर ;

(घ) इन स्कूलों में कितने पद खाली पड़े हुये हैं; और

(ङ) इन पदों पर भरती के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां, उन मामलों में जहां शिक्षिकाओं की कमी है ।

(ख) विज्ञान, गणित तथा गृह-विज्ञान जैसे खास खास विषयों में योग्यता प्राप्त शिक्षिकाएं न उपलब्ध होने के कारण ।

(ग)	(१) २५ या उससे नीचे	२३
	(२) २६ और ३५ के बीच .	२७
	(३) ३६ और ४५ के बीच .	३
	(४) ४६ और ५५ के बीच	कोई नहीं
	(५) ५५ से ऊपर	२

(घ) ४८ ।

(ङ) अखिल भारतीय आधार पर इन पदों के लिये विज्ञापन दिया गया था लेकिन आवश्यक संख्या में उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं । इन पदों के लिये पुनः विज्ञापन देने का विचार है । इन पदों पर नियुक्ति के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता कम करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है । दो स्कूलों में एक अध्यापक से काम चलाने की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि पढ़ाई में रुकावट न पैदा हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात कारखाने के लिये लौह अयस्क

†३२७४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात कारखाने की आवश्यकता का कितना प्रतिशत लौह अयस्क अभी बरसुआ खानों से मिल रहा है ;

(ख) क्या इस कारखाने की प्रयोगात्मक दशा अब समाप्त हो चुकी है; और

(ग) बरसुआ खानों में मशीनें लगाने में कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) बरसुआ में मशीनीकृत संयंत्र अभी भी प्रयोगात्मक रूप से चल रहा है। उसे बड़े पैमाने पर चलाना तथा लौह अयस्क की नियमित सप्लाई प्राप्त करना संभव बनाने में कुछ समय लगेगा ।

(ग) अनुमान है कि मशीनीकृत खान की लागत करीब ९.८ करोड़ रुपये होगी जिसमें से ८.५ करोड़ रुपये अब तक खर्च किये जा चुके हैं ।

संघ लोक सेवा आयोग के जरिये भर्ती

†३२७५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९३९ से १९४५ तक भारत सरकार सचिवालय के सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अलग-अलग युद्ध रक्षित रिक्तियों को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कितने कमचारी भर्ती किये गये ;

(ख) उन्हें किस-किस वष में भर्ती किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि युद्ध रक्षित रिक्तियों में लगाये जाने पर उन्हें वेतन, वरिष्ठता और पदौन्नतियों के लिये वही सुविधायें दी जायेंगी जो १९४५ से पूर्व स्थायी किये गये कर्मचारियों को दी जायेंगी ;

(घ) क्या सभी सम्बन्धित विभागों ने उस आश्वासन को पूरा किया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन्हें वरिष्ठता, पदौन्नति आदि की क्या सुविधायें दी गई हैं और युद्ध रक्षित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों का उच्च ग्रेड में (चुनाव से भरी जाने वाली नौकरियों समेत) कितना वेतन हो गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मजदूर संघों को मान्यता

†३२७६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन मजदूर संघों की हाल की देश व्यापी हड़ताल के परिणामस्वरूप मान्यता रद्द कर दी गई थी उन्हें पुनः मान्यता दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जुलाई, में केन्द्रीय सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल से सरकार को कितनी हानि हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार प्राक्कलित हानि ४,८९,६९,४०० रुपये की हुई, जिसका व्योरा निम्न प्रकार है :—

	रुपये
(क) न हुये कार्य का मूल्य	७४,६५,०००
(ख) राजस्व की हानि	४,०६,५६,०००
(ग) आकस्मिक प्रबन्धों पर व्यय	७,६१,५००
(घ) अन्तध्वर्स तथा अन्य कारणों से हुई हानि	२६,९००

आर्मी बेस वर्कशाप द्वारा की गई खरीद

†३२७७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में दिल्ली छावनी, मेरठ, बंगलौर, आगरा, जबलपुर, इलाहाबाद और कंकीनाड़ा आर्मी बेस वर्कशापों में स्थानीय खरीद पर कितनी राशि खर्च की गई ;

(ख) क्या इन वर्कशापों में होने वाला अपव्यय आर्मी हैडक्वार्टर्स द्वारा निर्धारित स्केल के अनुकूल है और इस पर कैसे निगरानी की जाती है ; और

(ग) क्या व्यर्स इंस्पैक्शन रिपोर्ट हर एक आर्मी बेस वर्कशाप द्वारा तैयार की जाती है और स्टोर अपव्यय के अनुसार ही मांगा जाता है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) दिल्ली कैन्ट, मेरठ , बंगलौर, आगरा, जबलपुर, इलाहाबाद और कांकीनाडा की आर्मी बेस वर्कशापों में १९५९–६० और १९६०–६१ में लगभग क्रमशः १७ लाख और ४३ लाख रुपये के स्टोर की स्थानीय खरीद की गई ।

(ख) और (ग) इन वर्कशापों में स्टोर का अपव्यय नहीं होता है । स्टोर की खपत वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करती है । जो पुराने पुर्जे मरम्मत नहीं हो सकते उन्हें लौटा दिया जाता है और नये पुर्ज़े ढाल दिये जाते हैं । स्टोर की मांग में अधिक कमी-बेशी के कारण का ध्यानपूर्वक पता लगाया जाता है । सभी पुर्जों को ध्यान से देखा जाता है ।

औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

†३२७८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ और १३ अगस्त, १९५७ को वार्ता मशीनरी की उच्च स्तर पर हुई सातवीं बैठक में हुई चर्चा के अनुसरण में अखिल भारतीय प्रतिरक्षा कर्मचारी संघ और प्रति रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक तदर्थ समिति प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक तथा गैर औद्योगिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को समान बनाने के लिये नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्या समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट प्रतिरक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) कुछ सिफारिशों के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं। अन्य मदों की वेतन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने तक के लिये स्थगित कर दिया गया था। अब उनका परीक्षण किया जा रहा है। उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने का समय अभी नहीं आया।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के लिये कर्म समितियां[1]

†३२७९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद एक्ट, १९४७ के अन्तर्गत यह स्वीकार्य है कि नियमों में उपबन्धित कर्म समिति की दो वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली कैंट प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों की निर्माण कार्य समिति को दो वर्ष से अधिक समय हो चुका है और वह बिना आगे निर्वाचन किये चल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियमों को ठीक प्रकार लागू करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग). औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ के नियम ५२(१) के अनुसार कर्म समिति में श्रमिकों के उस प्रतिनिधि की पदावधि दो वर्ष होगी जो आकस्मिक स्थान को भरने के लिये न चुना गया हो। दिल्ली कैंट में केवल एक प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान अर्थात् ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप की एक समिति ही इस अवधि से अधिक चल रही है। निश्चित पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी निर्माण कार्य समिति में श्रमिकों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में विलम्ब के निम्न लिखित कारण थे :—

(एक) इस वर्कशाप के एक मजदूर संघ ने प्रबन्धकों को अपेक्षित जानकारी समय पर नहीं दी।

(दो) संघ ने निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न उठाया। और

(तीन) इस वर्कशाप के दो मज़दूर संघों ने निर्वाचनों को रोकने के आदेश प्राप्त कर लिये। अब उस मुकदमें का निर्णय हो गया है और अब शीघ्र ही निमार्ण कार्य समिति के निर्वाचन कर दिये जायेंगे।

विदेशों के कोयला विशेषज्ञ

†३२८०. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने खानों का विस्तार करने के लिये विदेशों से कोयला विशेषज्ञों की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने अपने कोयला विशेषज्ञों को भेजना स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Works Committees.

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). तृतीय योजना में कोयले का उत्पादन कार्यक्रम में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सहायता करने के लिये ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी ने विशेषज्ञ भेजना स्वीकार किया है। विशेषज्ञ भारत आ कर कार्य आरम्भ कर चुके हैं।

रिजर्व बैंक के एक डायरेक्टर की घर की तलाशी

†३२८१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९६१ में एनफोर्समैंट डायरेक्टरेट के कर्मचारियों ने रिजर्व बैंक, मद्रास जोनल डायरेक्टर के घर की तलाशी ली ;

(ख) क्या जोनल डायरेक्टर ने विदेशी मुद्रा विनियम एक्ट के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन किया है ;

(ग) उन पर क्या आरोप लगाये गये हैं ;

(घ) एनफोर्समैंट डायरेक्टरेट ने किन-किन बातों का पता लगाया है ; और

(ङ) क्या इस प्राधिकारी को मुअत्तिल कर दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं, एक भूतपूर्व जोनल डायरेक्टर के घर की तलाशी ली गई थी।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रादेशिक सेना के लिए आदिम जातियों के लोग

†३२८२. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या मनीपुर सब-डिवीजन की आदिम जातियों के बहुत से लोग प्रादेशिक सेना में भर्ती हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र के कितने लोगों को इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). अगस्त, १९४९ से अब तक मनीपुर सब डिवीजन के २०८ व्यक्ति इस में सम्मिलित हुए और उन्हें प्रशिक्षित किया गया था।

मनीपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां

†३२८३. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में ठेके, परमिट, देने, नावें, मीन क्षेत्र, चुंगी वाले पुलों और वन महलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो १९६० और १९६१ में अबतक मनीपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों को ये रियायतें दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में भर्ती

†३२८४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के हिन्दी निदेशालय में दिसम्बर, १९६० में कुछ अपर डिवीजन कर्क प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक २८–६–६० के पत्र संख्या १/३/६०-(डी) द्वारा अपर डिवीज़न क्लर्कों की प्रत्यक्ष भर्ती निषिद्ध है ;

(ग) यदि हां, तो इन हिदायतों को ध्यान में न रखने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उस भर्ती के कारण कुछ लोअर डिवीजन क्लर्कों की पदोन्नति नहीं हो सकी ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। चीफ कमिश्नर, दिल्ली द्वारा विहित भर्ती नियमों के अनुसार ६६ २/३ प्रतिशत नौकरियां प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरी जानी थीं।

(ख) गृह-कार्य मंत्रालय के पत्र में यह कहा गया है कि भविष्य में यू० डी० सी० की नौकरियां पदोन्नति कर के भरी जायेंगी और नियम इसके अनुसार संशोधन कर लिया जाये।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने अभी तक इन हिदायतों के अनुसार नियमों में संशोधन नहीं किया है।

(घ) जी नहीं, यह भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती के लिये रक्षित अभ्यंश में से की गई थी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मदुरै को उच्च श्रेणी का करना

†३२८५. **श्री तंगामणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मकान के किराये और प्रतिकर भत्ते के भुगतान के प्रयोजनार्थ मदुरै को 'बी' क्लास में रखा जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि नगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार १९५६ में जनसंख्या साढ़े चार लाख थी ;

(ग) क्या सरकार उद्योगों और तीर्थ यात्रा की दृष्टि से नगर के महत्व पर विचार करेगी ; और

(घ) क्या केवल जनसंख्या के आधार पर ही किसी नगर को ऊंची श्रेणी में रखा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां, जब जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मदुरै की जनसंख्या ५ लाख से अधिक हो जायेगी ।

(ख) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं ।

(ग) और (घ). द्वितीय वेतन आयोग ने यह राय व्यक्त की है कि नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर करना ही ठीक है । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । अतः अब केवल जनसंख्या के आधार पर ही नगरों का वर्गीकरण उच्च श्रेणी में रखा जाता है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक संस्था

†३२८६. **श्री अ० त्रि० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के भीतर आयुर्वेदिक संस्था की स्थापना करने के लिये कुछ चन्दे स्वीकार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो चन्दा देने वालों के नाम क्या हैं ;

(ग) कितनी कितनी राशि स्वीकार की गई ; और

(घ) किन शर्तों पर चन्दा लिया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में इनामी बांडों की बिक्री

३२८७. **श्री मोहन नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ मे उड़ीसा में इनामी बांडों की बिक्री में कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(ख) उड़ीसा में कितने व्यक्तियों ने कुल कितने मूल्य के पुरस्कार प्राप्त किये ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) लगभग १८.८० लाख रुपये ।

(ख) यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

उड़ीसा में पेंशन पाने वाले साहित्यकार

३२८८. **श्री मोहन नायक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने साहित्यकार पेंशन पा रहे हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक को कितनी पेंशन दी जा रही है ; और

(ग) कितने लोगों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) पांच ।

(ख) चार को १०० रुपये माहवार और एक को ५० रुपये माहवार ।

(ग) तीन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैक्शन अफसरों के लिये तालिका

†३२८९. **श्री पन्ना लाल :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९–६० में संघ लोक सभा आयोग द्वारा असिस्टट सुपरिन्टेंडेंट प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले उन उम्मीदवारों की तालिका में से जो क्वालीफाई नहीं कर सके परन्तु उन्होंने कुछ प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे, सैक्शन अफसरों की रिक्तियां भरने के बारे में सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने परीक्षा लेने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को यह बता दिया था कि इस प्रकार की तालिका तैयार की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने के हेतु एक तालिका बनाने के प्रयोजनार्थ नये सिरे से परीक्षा करने में क्या कठिनाई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) सरकार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ऐसी कुछ प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है ;

(ख) जी नहीं ।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में इस प्रकार की तालिका बनाने के लिये परीक्षा लेने की कोई व्यवस्था नहीं है ; और न ही इस की आवश्यकता है ।

स्कूल सुधार योजना

†३२९०. **श्री स० र० अरूमुगम्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास के अतिरिक्त और किन राज्यों ने स्कूल सुधार योजनायें आरम्भ की हैं ;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि एकत्र की गई है ;

(ग) क्या उन राज्यों में से उन्होंने यह योजना आरम्भ की है, किसी ने इस योजना में सुधार करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त निधि की मांग की है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को लोकप्रिय बनाने के हेतु इस का अध्ययन आरम्भ किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस योजना की ओर वर्ष १९६१–६२ में ही अन्य राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है अतः इस के परिणामों के बारे में अभी से कोई जानकारी नहीं दी जा सकती ।

(ख) स (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ?

---

†**मूल अंग्रेजी में**

स्कूल की पुस्तकें

†३२६१. **श्री स० र० अरूमुगम्** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है कि इस प्रकार की पुस्तकें तैयार की जायें जिन में स्वतंत्रता के पश्चात् देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का विस्तृत ब्यौरा दिया गया हो ; और

(ख) क्या ऐसी पुस्तकें राज्यों द्वारा तैयार की जाती है या कि केन्द्र द्वारा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय आदर्श पुस्तकें तैयार करने की योजना पर विचार कर रहा है जिन में इस बात का पूरा ध्यान रखा जायेगा ?

दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां

†३२६२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों ने लगभग २ वर्ष पहले जमीन खरीदी और दिल्ली प्रशासन के पास रुपया जमा करवा दिया था।

(ख) यदि हां, तो क्या उन समितियों को जमीन दे दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) दो गृह-निर्माण सहकारी समितियों ने अपने आप जमीन खरीदी थी और दिल्ली प्रशासन से कहा था कि कुछ अतिरिक्त भूमि अर्जित कर दी जाये । भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि अर्जित करने के बारे में अधिसूचनायें निकाल दी गई थीं और अर्जन की अनुमति लागत दिल्ली के पास जमा करवा दी गई थी।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह भूमि अब "दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जित करने, विकास तथा निवटान", के अन्तर्गत जिस का ब्यौरा श्री प्र० गं० देव द्वारा नियम १९७ के अन्तर्गत दी गई अधिसूचना के उत्तर में २३ मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया था, शामिल है । क्योंकि सरकार ने इस योजना के बारे में कुछ मास पूर्व ही निर्णय किया है इसलिये भूमि अर्जित करने का कार्य अब तक समाप्त करना संभव नहीं था ।

टैक्नीकल कर्मचारी

†३२९३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितनी टैक्नीकल नौकरियां निकली ;

(ख) उसी अवधि में विभिन्न टैक्नीकल संस्थाओं में से कुल कितने व्यक्ति प्रशिक्षण पा कर निकले ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन में से कितने को नौकरियां मिली?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) गृह-कार्य मंत्रालय के जन शक्ति निदेशालय से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो अतिरिक्त टेक्नीकल नौकरियां निकली उन का व्यौरा नीचे दिया जाता है :--

	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय सनातक	४२,५६०
	डिप्लोमा होल्डर . .	६८,७६०
(ख)	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीय सनातक	३९,०७०
	डिप्लोमा होल्डर . . .	४६,३३०

(ग) अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं हैं उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि जितनी टैक्नीकल नौकरियां निकली उन से कम कर्मचारी उपलब्ध हुए।

दिल्ली छावनी में जमीन के अन्दर नालियां

३२९५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में जमीन के अन्दर नालियां बनाने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) लगभग किस तिथि तक इस योजना को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). दिल्ली छावनी मे भूगर्म नालियों की योजना, वृहत् दिल्ली योजना के अन्तर्गत दिल्ली नगर-पालिका निगम की, गन्दे पानी के निकास की, योजना के साथ मिल कर बनाई जा रही हैं और इस समय यह बताना कठिन है, कि यह किस तिथि तक मुकम्मल हो पायेगी ।

अरकी और सोलन में कत्ल

†३२९६. **श्री शि० न० रामौल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महासू हिमाचल प्रदेश के निचले भाग में बहुत से कत्ल हुए और यदि हां तो १९६० में उस क्षेत्र की अरकी और सोलन तहसीलों में कितने कत्ल हुए; और

(ख) क्या इन कत्लों के अपराधियों का पता लगा और वे गिरफ्तार किये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) नहीं श्रीमान् । १९६० में महासू के निचले भाग में चार व्यक्तियों के कत्ल के दो मामले हुए । ये सोलन तहसील में हुए । अरकी में कोई कत्ल का मामला नहीं हुआ ।

(ख) एक मामले में अपराधी गिरफ्तार किया गया और उस पर अभियोग चला कर उसे मृत्यु दंड दिया गया । दूसरे मामले में अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया ।

भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारी

†३२९७. **पंडित मु० बि० भार्गव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ नवम्बर, १९६१ को भूतपूर्व अजमेर राज्य के राजस्थान राज्य के साथ विलय

---

†मूल अंग्रेजी में

के समय उक्त अजमेर राज्य की सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवा की शर्तों, वेतन आदि, और पदों के समानीकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कुछ हिदायतें भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने ऐसी हिदायतों का पूरी तरह पालन किया; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) पुनर्गठन से पैदा हुए सभी राज्यों को जिन में राजस्थान राज्य भी शामिल है कुछ सामान्य हिदायतें दी गई थीं ।

(ख) सेवा की शर्तों और वेतन आदि के बारे में हिदायतें न पालन किये जाने के किसी मामले का हमे पता नहीं लगा । न ही पदों के समानीकरण के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अन्तिम आदेश के न पालन किये जाने का कोई मामला पता लगा है । किन्तु इन हिदायतों में से एक के बारे में अभी तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्रव्यवहार हो रहा है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

'सैनिक समाचार'

†**३२९८. श्री केशव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में 'सैनिक समाचार' द्वारा पत्र-पत्रिकाएं तथा पुस्तकालय की पुस्तकें खरीदने तथा लेख लिखने वालों को पारिश्रमिक देने के लिये कितनी रकम स्वीकृत की गई थी;

(ख) इस मद के अधीन पत्र-पत्रिकाएं तथा पुस्तकें खरीदने और प्रत्येक भाषा में पारिश्रमिक देने पर अलग अलग कितना खर्च किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना अंग्रेजी पर; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३४]** ।

(ग) जी नहीं । प्रकाशन सामग्री अधिकतर अंग्रेजी में उपलब्ध होती है । इस का अनुवाद किया जाता है और इसे प्रादेशिक भाषाओं के काम में लाया जाता है । फिर भी प्रत्येक भाषा के अंक में चार पृष्ठ कहानी आदि मौलिक सामग्री के लिये निश्चित हैं ।

जो पारिश्रमिक अंग्रेजी के अंक के लिये दिया गया है उस में फोटो, चित्र तथा और इस प्रकार के दृष्टान्त सब भाषाओं के अंकों में छपते हैं । उन का पारिश्रमिक भी शामिल है । इसी प्रकार सैनिक समाचार की अंग्रेजी की पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग अन्य भाषाओं में अंक निकालने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाता है क्योंकि इन में से अधिकांश पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रतिरक्षा लेखा कार्यालयों के कर्मचारी

†**३२९९. श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में कितने प्रतिरक्षा लेखा कार्यालय हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन दफ्तरों में से प्रत्येक में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सब कर्मचारियों को जिन श्रेणी ४ के कर्मचारी और क्लर्क शामिल हैं उनकी वरिष्ठता के अनुसार ऐसे स्थानों पर तबदील किया जाता है जो लोकप्रिय नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या यह विचार रखा जाता है कि सरकारी कर्मचारी को उसके घर के नगर के निकट तबदील करना चाहिये; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) प्रतिरक्षा लेखे महानियंत्रक का एक दफ्तर है और प्रतिरक्षा लेखे नियंत्रकों के १० दफ्तर हैं जिन के ४०० छोटे बड़े उपकार्यालय सारे भारत में फैले हुए हैं।

(ख) प्रत्येक दफ्तर के कर्मचारियों की संख्या बताना लोकहित में नहीं है। कुल कर्मचारी (जिन में श्रेणी ४ के कर्मचारी शामिल हैं) गभग १५००० हैं।

(ग) नहीं श्रीमान्। ठीक स्थिति यह है कि प्रतिरक्षा लेखे विभाग में सेवा की शर्तें ये हैं कि सब अधिकारियों और गज़ेट न हुए हुए कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर भारत में और विदेश में कहीं भी विभाग में काम करने के लिए भेजा जा सकता है। श्रेणी ४ के कर्मचारियों को प्रायः तबदील नहीं किया जाता। दूसरे लोगों का तबादला प्रायः प्रशासनिक आवश्यकताओं से विनियंत्रित होता है किन्तु साथ ही विशेष खण्ड में किसी व्यक्ति की सेवावधि का ध्यान रखा जाता है। तबदीली का आदेश देते समय समान न्याय को दृष्टिगत रखते हुए लोकप्रिय और "न लोकप्रिय" स्थानों का ध्यान रखा जाता है।

(घ) कृपया उपरोक्त भाग (ग) को देखिये। प्रशासनिक आधार पर और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सारे भारत में दफ्तर फैले हुए हैं जिन में कई प्रकार का काम होता है, कम वेतन वाले कर्मचारियों को उनकी सेवा की समाप्ति के समय उनके घर के नगरों के निकट तबदील करने का प्रयत्न किया जाता है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार

†**३३००. श्री नरसिंहन् : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार को किन कारणों से अपने पद से त्यागपत्र देने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सभापतित्व स्वीकार करने के लिए अनुमति दी गई;

(ख) उसके स्थान पर पूरा समय काम करने वाला अधिकारी क्यों नहीं चुना गया;

(ग) पूरा समय काम करने वाले वैज्ञानिक सलाहकार के न होते हुए प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा और अनुसंधान के लिए नित्य प्रति परामर्श देने और नियंत्रण के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) प्रतिरक्षा मंत्री के भूतपूर्व अवैतनिक वैज्ञानिक सलाहकार को शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सभापति नियुक्त किया था। उस ने वैज्ञानिक सलाहकार के पद से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार आयोग का सभापति पूरे समय के लिए ही हो सकता है।

(ख) तथा (ग). भारतीय वैज्ञानिक संस्था के निदेशक डा० भगवंतम् को १ जुलाई १९६१ से प्रतिरक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

पलाई सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी संघ

†३३०१. **श्री मणियंगाडन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई सेन्ट्रल बैंक कर्मचारी संघ ने एक ज्ञापन दिया है जिस में प्रार्थना की है कि बैंक के समापन के कारण नौकरी से निकाले गये कर्मचारियों को रोजगार दिलाने के लिए कदम उठाये जायें;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को रोज़गार दिलाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं और यदि हां तो वे क्या हैं;

(ग) क्या भारत के राज्य बैंक और अन्य बैंकों से प्रार्थना की गई है कि वे पलाई केन्द्रीय बैंक के कर्मचारियों को आयु और न्यूनतम अर्हता सम्बन्धी नियमों में छट दें; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पलाई सेन्ट्रल बैंक के १६५ कर्मचारियों को भारत के राज्य बैंक और सहायक बैंकों तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों में लगा लिया गया है और ८५ कर्मचारियों को जुलाई १९६१ के तीसरे सप्ताह तक पलाई सेन्ट्रल बैंक के समापक के दफ्तर में लगाया गया है ।

(ग) तथा (घ). कोई औपचारिक निदेश नहीं दिया गया क्योंकि यह विषय प्रत्येक बैंक के निर्णय और स्वविवेक पर निर्भर करता है । किन्तु बैंकों को यह बता दिया गया है कि पलाई सेन्ट्रल बैंक के कर्मचारियों को काम पर लगाने की आवश्यकता है । और जितने लोगों को नौकरी मिल चुकी है उनकी संख्या से परिणाम सूचित होता है ।

शनिवार के दिन छुट्टी

३३०२. **श्री बलराज मधोक** :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रति दूसरे शनिवार को सब सरकारी दफ्तरों में छुट्टी रहे;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस के बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार कब तक निर्णय करेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मचारी वर्ग प्रत्येक सप्ताह में ५ दिन की बजाये एक सप्ताह में ५ दिन और दूसरे सप्ताह में ६ दिन काम करें । इस प्रकार एक शनिवार को पूरा दिन काम होता और दूसरे को पूरी छुट्टी रहती ।

(ख) और (ग). यह निश्चय किया गया है कि महीने के दूसरे शनिवार को पूरी छुट्टी रहे और अन्य शनिवारों को पूरे दिन काम किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में सर्वाधिक यातायात समय

३३०४. श्री बलराज मधोक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में २२ सड़कों पर सवेरे ९ से ११ और शाम को ५ से ७ बजे के बीच में तागों और रेहढ़ों का यातायात बन्द रहता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय से दिल्ली के हजारों तांगों वालों की आमदनी लगभग खत्म हो गई है क्योंकि यही समय सर्वाधिक यातायात का होता है।

(ग) क्या यह भी सच है कि इस के विरोध में दिल्ली के तांगे वालों ने आन्दोलन किया था जिस के फलस्वरूप उन में से बहुत से गिरफ्तार कर लिये गये ;

(घ) क्या सरकार इस स्थिति में अपना निर्णय बदलने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि ऐसे नियमों के कारण लोगों को सस्ती सवारी न मिलने से अधिक खर्च पड़ता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बी० एन० दातार): (क) यातायात के सर्वाधिक यातायात समय में भीड़-भाड़ कम करने के लिये सवेरे ९ से साढ़े दस बजे तक तथा शाम के पांच से सात बजे तक के लिये नई दिल्ली की २१ सड़कों पर और पुरानी दिल्ली की एक सड़क पर तांगे चलाना तथा नई दिल्ली की ३१ सड़कों व दिल्ली की २ सड़कों पर रेहड़े चलाना बन्द कर दिया गया है।

(ख) सरकार के पास ऐसी आंकड़ेवार सूचना नहीं है।

(ग) डिस्ट्रक मैजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध तांगे, रेहड़े और बैलगाड़ियां चलाने वालों ने २२ मई, १९६१ को चीफ कमिश्नर की कोठी के सामने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शक सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात की प्रगति में रुकावट हुई। वे हिंसात्मक हो गये और उन्होंने ईंटें फैंकना शुरू कर दीं, तथा कुछ पुलिस अधिकारियों पर वार किया। भारतीय दंड संहिता के अनुबंध १४७/१४९/१८६/३३२/३५३ के अधीन साठ व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, तथा अदालत में (उनके विरुद्ध) कार्यवाही हो रही है।

(घ) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

(ङ) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

सवारी भत्ता

३३०५. श्री बलराज मधोक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को जिनके पास अपनी कारें हैं, कार पर किये गये खर्च के अनुपात में आयकर से छूट मिलती है ;

(ख) गत एक वर्ष में ऐसे अधिकारियों को आयकर की कुल कितनी छट दी गयी ; और

(ग) जब वरिष्ठ आधिकारियों को इस प्रकार सवारी के लिये वित्तीय सहायता दी जाती है तो कम वेतन वाले कर्मचारियों को सवारी भत्ता क्यों नहीं दिया जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जिन वेतनभोगी कर्मचारियों पर आयकर अधिनियम की धारा ७ के अनुसार कर लगाया जाता है उनको निजी गाड़ियों के इस्तेमाल के संबंध में, आयकर अधिनियम १९२२ की धारा ७(२) (११ ए) के अनुसार छूट दी जाती है।

यह छूट केवल वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों या एक वर्ग के रूप में सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन सभी वेतनभोगी करदाताओं को दी जाती है —— चाहे वे सरकारी नौकरी में हों या गैरसरकारी नौकरी में —— जो उपयुक्त धारा के अधीन उसके हकदार समझे जाते हैं।

(ख) जो सूचना मांगी गयी है वह इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभ की मेज पर रख दिया जायगा।

(ग) आयकर अधिनियम के अनुसार जो छूट दी जाती है वह वेतनभोगी कर-दाताओं की आय का हिसाब लगाने में निजी गाड़ी के इस्तेमाल के सबंध में कटौती के रूप में होती है। यह छूट सवारी भत्ता नहीं होती।

सवारी भता उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें सरकारी काम से सदर-मुकाम में या उससे थोड़े फासले के अन्दर कम से कम २०० किलोमीटर से ज्यादा सफर करना पड़ता है। यह भत्ता ओहदे का विचार किये बिना ऐसे सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। भत्ते की दरें अफसर द्वारा की जाने वाली दूरी पर निर्भर होती हैं, उसके ओहदे पर नहीं।

स्टाफ कारें

३३०६. श्री बलराज मधोक : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी मंत्रालयों को स्टाफ कारें दी गई हैं; और

(ख) इन स्टाफ कारों का कितने प्रतिशत प्रयोग गजेटेड अफसर करते हैं और कितने प्रतिशत नानगजेटेड ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) स्टाफ कारों के बारे में जो नियम हैं उन के अनुसार गजेटेड तथा नान-गजेटेड कर्मचारी, उनके मोहय्या होने पर वास्तविक सरकारी काम के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। स्टाफ कारों के गजेटेड तथा नान-गजेटेड कर्मचारियों द्वारा गिये गये प्रयोग का प्रतिशत निकालने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, उनके संलग्न व अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनसे संबद्ध संस्थाओं में रखी गई लाग-बुकों का विस्तृत निरीक्षण करना होगा। इस कार्य में बहुत अधिक परिश्रम, समय और व्यय लगेगा, जोकि परिणाम के उपयुक्त नहीं होगा।

बीकानेर स्टेशन पर चोरी से लाये गये सामान का पकड़ा जाना

३३०७. श्री प० ला० बारूपल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन मास में एक मुस्लिम तस्कर व्यापारी के पास बीकानेर स्टेशन पर चोरी छिपे लाया गया सामान काफी मात्रा में पकड़ा गया था;

(ख) यह सामान कहां से लाया गया था और संभवतः कहां ले जाया जा रहा था; और

(ग) पकड़े गये सामान में क्या-क्या वस्तुयें थीं और अनुमानतः उनका मूल्य क्या था ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) यह सामान, बम्बई में बेचने के लिए पाकिस्तान से चौरी-छिपे लाया जा रहा था ।

(ग) पकड़े गये सामान और उसके मूल्य का ब्योरा इस प्रकार है ।

सामान का विवरण	लगभग मूल्य (रुपयों में)
(१) स्पेन के केसर के एक-एक पौंड वजन के ६१ डिब्बे	२४,०००
(२) ९२ दर्जन थर्मामीटर	४,७००
(३) २७ दर्जन क्यूटीक्यूरा मलहम	१,६००
जोड़	३०,३००

भारतीय खान स्कूल, धनबाद

†३३०८. **श्री हेम राज** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अगस्त १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५८३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावहारिक भूगर्भ विज्ञान, पैट्रोलियम टेक्नालोजी और व्यावहारिक भूभौतिकीय विज्ञान के १९६१ के स्नातकों को नौकरी न मिलने के कारण इस पाठयक्रमों में प्रवेश पानेवाले नये लोगों को निराशा अनुभव हो रही है और वे भारतीय खान स्कूल धनवाद में खनन के पाठयक्रम के लिए विकल्प दे रहे हैं ;

(ख) इन पाठयक्रमों को पढ़ाने के लिये कितने विदेशी विशेषज्ञ आध्यापक नियुक्त किये गये हैं और उन्हें प्रति वर्ष कितना वेतन आदि दिया जाता है ; और

(ग) इग पाठयक्रमों में १९५७ में कितने छात्र प्रविष्ट हुए और १९५८, १९५९, १९६० और १९६१ में कितने छात्र प्रविष्ट हुए ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि पैट्रोलियम टैक्नालोजी और व्यावहारिक भूभौतिकी विज्ञान के छात्र चिंतित हैं क्योंकि १९६१ के ऐसे सभी स्नातकों को नौकरी नहीं मिली। किन्तु व्यावहारिक भूगर्भ विज्ञान के छात्रों को ऐसी कोई चिन्ता नहीं है क्योंकि इस वर्ग का कोई स्नातक बेकार नहीं है ।

पैट्रोलियम टेक्नालोजी और व्यावहारिक भूभौतिक विज्ञान के छात्रों के लिये चिंता का कोई कारण नहीं है। इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने अभी सिद्धांत रूप में हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है कि पेट्रोलियम टेक्नालोजी के स्नातकों को रोजगार दिया जाये । प्रशिक्षण और रोजगार के ब्योरे की जांच की जा रही है और भारतीय खान स्कूल धनबाद को इस संबंध में निरंतर सूचना दी जा रही है। इस बात से जो कुछ छात्र चितावश खनन या व्यावहारिक भूभौतिक में विज्ञान के पाठयक्रम में अपनी तबदीली करवाना चाहते थे वे अब आशा है तबदीली न करवायेंगे ।

(ख) इस समय स्कूल में दो विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त हैं, एक पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। (जलाशय इंजीनियरिंग) में नियुक्त है और दूसरा पेट्रोलियम भूभौतिकी तथा अन्वेशण

†मूल अंग्रेजी में

में नियुक्त है। पहले व्यक्ति की सेवा कोलम्बो योजना द्वारा प्राप्त की गई और दूसरे की सेवा यूनस्को विस्तृत प्रविधिक सहायता कार्यक्रम द्वारा प्राप्त की गई। इन विशेषज्ञों को वेतन आदि उपरोक्त सहायता कार्यक्रम से दिये जाते हैं।

(क) पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

	पैट्रोलियम टेक्नालोजी	व्यवहारिक भूगर्भ विज्ञान	व्यावहारिक भूभौतिकी
१९५७	२६	६	७
१९५८	२०	११	१३
१९५९	२०	१०	५
१९६०	२०	१६ प्रथम वर्ष की श्रेणी में ४ दूसरे वर्ष की श्रेणी में सीधे	१० प्रथम वर्ष की श्रेणी में ११ दूसरे वर्ष की श्रेणी में सीधे १७
१९६१	२०	२०	(३ और के प्रविष्ट होने की संभावना है।)

पैट्रोलियम टेक्नालोजी के स्नातक

†३३०९. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम टेक्नालोजी के स्नातकों के प्रथम दल ने जिसने १९६१ में पाठ्यक्रम पास किया था तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी ;

(ग) १९६१ में उक्त आयोग ने कनिष्ठ ड्रिलरों और अन्य पदों की कितनी रिक्तियां भरनी हैं ; और

(घ) कितने प्रार्थी चुने गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां श्रीमान्।

(ख) चौबीस ।

(ग) विभिन्न श्रेणियों में कितनी रिक्तियां है यह बताना इस समय संभव नहीं।

(घ) चुनाव को अभी अन्तिम रूप देना है।

मदुरै कालेज के लिए भवन सम्बन्धी अनुदान

†३३१०. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक अनुसंधान सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय द्वारा मद्रास में मदुरै कालेज के भवन निर्माण सम्बन्धी अनुदान के लिए जिस धन राशि की मंजूरी दी गई थी उसका पूरा भुगतान हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितनी मंजरी दी गई और उसमें से कितनी राशि का भुगतान किया गया ; और

(घ) कब तक पूरी राशि दे दी जायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) से (घ). रसायन विभाग के भवन के निर्माण के लिए मंजूर किये गये ६४००० रुपये के अनुदान में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मदुरै कालेज को अब तक ५०००० रुपये दे दिये हैं सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भवन निर्माण के अनुदान किस्तों में दिये जाते हैं और किस्त उस समय दी जाती है जब आयोग को इस बात का प्रमाण पत्र कि भवन मंजूर किये गये नक्शों और अनुदानों के अनुसार तैयार किया गया है, दे दिया जाता है। कालेज से यह प्रमाण पत्र अभी नहीं मिला। अनुमान है कि प्रमाण पत्र दिये जाने पर और राशि का भुगतान किया जायेगा।

मनीपुर के इम्फाल नगर में शराब की रियायत

†३३११. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(अ) क्या यह सच है कि आदिम जातियों को विशेषतः मजोरखुल, कीस्माथोंग और साहब मनाई आदिम जातियों को देशी शराब तैयार करने के लिए दी गई रियायतों के कारण मनीपुर के इम्फाल नगर में शराब खोरी बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अवैध शराब तैयार करने को रोकने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की टेबल पर रख दी जायेगी।

इम्फाल में स्टेडियम

†३३१२. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल में एक क्रीडांगन के निर्माण के लिए चार लाख रुपये की राशि दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह राशि इम्फाल नगरपालिका को दी जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या मनीपुर प्रशासन द्वारा इसकी मंजूरी के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यह क्रीडांगन किस स्थान पर बनाया जायेगा ? और योजना का यदि कोई ब्योरा है तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). तृतीय पंचवर्षीय योजना में इम्फाल नगरपालिका को देने के लिए रखे गये २५ लाख रुपये में से ४ लाख रुपये क्रीडांगन के निर्माण के लिए हैं ;

(ग) तथा (घ). योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है और जगह के चुनाव के बारे में विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर प्रशासन

†३३१३. श्री ले० अचौ सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन ने १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में नियत राशि से अधिक व्यय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना अधिक व्यय किया गया और लेखा परीक्षा विभाग के पूछने पर क्या स्पष्टीकरण दिया गया ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लेखे, आसाम के महालेखापाल द्वारा किये गये व्यय का समायोजन करने के पश्चात् अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं किये गये किन्तु उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के आधार पर मनीपुर क्षेत्र के अनुदान में या मनीपुर से सम्बन्धित सब अनुदानों में किसी अतिरिक्त व्यय का पता नहीं लगा ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तेल की पाइप-लाइनों के लिए मीटर

†३३१४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तेल क्षेत्रों और गोहाटी तथा बरौनी के तेल साफ करने के कारखानों के बीच नई पाइप लाइन में से गुजरने वाली तेल के बहाव की दर और मात्रा का हिसाब लगाने के लिए तैयार किये गये मीटर प्राप्त कर लिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने मीटर प्राप्त किये गये हैं ; और

(ग) वे कहां से प्राप्त किये गये हैं और किस मूल्य पर ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) चार ।

(ग) यह मीटर डी हेवीलैण्ड एयरक्राफ्ट कम्पनी लिमिटेड इंगलैण्ड से तीन हजार छै सौ बीस पौण्ड के मल्य पर लिए गये हैं ।

जाली मुद्रा बनाने वाला गिरोह

†३३१५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में बम्बई में जाली मुद्रा तैयार करने वाले कुछ विदेशियों के गिरोह का पता लगा है ;

(ख) यदि हां तो इस गिरोह के कार्यों में कथित हिस्सा लेने वाले कितने लोग हैं ; और

(ग) गिरोह के बारे में पूरा ब्योरा पाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क),(ख) तथा (ग). सरकार को जाली मुद्रा तैयार करने वाले ऐसे गिरोह के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिन में विदेशी भी है किन्तु केवल सर्वश्री म० वो० ठाकुर और दी० चं० शर्मा द्वारा पूछे गये ९ अगस्त १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५० के सभा में दिये गये उत्तर में उल्लिखित दल का ही पता है ।

†मूल अंग्रेजी में

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में पेट्रोल टैंकों का निर्माण

†३३१६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले ये पैट्रोल टैंक ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में बनाये जाते थे ;

(ख) यहां इनके निर्माण के लिए किस सामग्री की आवश्यकता थी जो उपलब्ध नहीं थी ;

(ग) ये सशस्त्र कारें कब मरम्मत के लिये प्राप्त हुई थीं और कितने मास के पश्चात् ये काम के लिये ठीक हो गई और इनके निर्माण में औसतन कितना समय लगता है और कौन से पुर्जे बेकार टैंकों से निकाल कर ठेकेदार को दिये गये ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) जैसा कि पहले बताया गया है पैट्रोल टैंक कार्यशाला में नहीं तैयार किये जा सकें क्योंकि उपयुक्त सामग्री और कार्यशाला की क्षमता उस समय उपलब्ध नहीं थी । सामग्री में नर्म इस्पात की चादरें उपलब्ध नहीं थीं और क्योंकि इस पर नियन्त्रण था इसे आवश्यकता पूर्ति के लिये उस स्थान से खरीदा नहीं जा सकता था । यदि इस्पात उपलब्ध भी होता तो भी इस का निर्माण नहीं हो सकता था क्योंकि कर्मशाला में इसके लिये क्षमता नहीं थी ।

(ग) सामान्यत : प्रश्नाधीन सशस्त्र कारों की मरम्मत में दो तीन मास लग जाते हैं यदि सब आवश्यक पुर्जे उपलब्ध हों । यह स्पष्ट नहीं कि प्रश्न में 'निर्माण' शब्द का अभिप्राय सशस्त्र कारों से है या पेट्रोल टैंकों से । जैसा पहले बताया गया पेट्रोल टैंक व्यापारियों से खरीदे गये थे । बेकार पेट्रोल टैंकों में से कोई भी पुर्जे नहीं निकाले जा सकते और इस लिये पेट्रोल टैंक देने वाले ठेकेदार को नहीं दिये जा सके ।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में सामान की स्थानीय खरीद

†३३१७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी स्थित ५०५ आर्मी बस वर्कशाप में सामान की स्थानीय खरीद की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ;

(ख) सामान का सम्भरण करने वालों से टेन्डर किस प्रकार मंगाये जाते हैं; और

(ग) क्या टेंडरों की जांच के लिये कोई उपसमिति है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) सामान की स्थानीय खरीद तब की जाती है जबकि सामान आयुध कारखानों में उपलब्ध न हो और मरम्मत के लिये सामान की बहुत आवश्यकता हो । माल का सम्भरण करने वालों से आम तौर पर कम से कम तीन दरें प्राप्त की जाती हैं और सबसे कम दर स्वीकार की जाती है । खरीदे गये माल की मात्रा, किस्म और उपयोगिता की जांच अफसरों के एक बोर्ड द्वारा की जाती है और एक अन्य अधिकारी उसकी कीमत आदि प्रमानित करता है ।

(ख) सामान का सम्भरण करने वालों से दरें लिखित रूप में प्राप्त की जाती हैं ।

(ग) दरों की जांच करने के लिये कोई उप-समिति नहीं है । स्थानीय खरीद की कुल जिम्मेदारी कमान्डेट पर होती है जिसे स्थानीय खरीद की जानकारी रखने वाला एक अफसर सहायता देता है स्थानीय खरीद अधिकारी समय-समय पर बदला जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थानीय खरीद सम्बन्धी सभी कार्यों की जांच लेखा-परीक्षा और लेखा अधिकारियों द्वारा की जाती है ।

कैन्टीन स्टोर विभाग के कर्मचारियों के वेतन-क्रम

†३३१८. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कन्टीनस्टोर विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वेतन आयोग ने वेतन-क्रम तथा अन्य बातों के बारे में जो सिफारिशें की हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिये आदेश दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो आदेश कब दिया गया; और

(ग) क्या उक्त सिफारिशें भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क), (ख) और (ग). कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश २६ अगस्त, १९६१ को जारी किये गये हैं :—

(१) कैन्टीन स्टोर विभाग (१) कर्मचारियों के बारे में, जिनमें उसके सिनेमा कर्मचारी शामिल नहीं हैं, वेतन आयोग की सिफारिशें को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन क्रम और महंगाई-भत्ता, मकान का किराया और प्रतिकरात्मक भत्ता और कर्मचारियों को विभाग की ओर से दिये गये मकान के किराये की दर का संशोधन; ये आदेश १ जुलाई, १९५९ से लागू होंगे ।

(२) कैन्टीन स्टोर विभाग (१) के सिनेमा कर्मचारियों के वेत-क्रमों का संशोधन, उन्हें बम्बई दूकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकरात्मक भत्ता देना और उनका अतिरिक्त कार्य का भत्ता बढ़ाना; ये आदेश एक जून, १९६१ से लागू होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशें कैन्टीन स्टोर विभाग (१) के कर्मचारियों पर वास्तव में लागू नहीं होतीं क्योंकि वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं हैं ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये छुट्टियां

†३३१९. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों की नैमित्तिक और अर्जित छुटटियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकारी आदेश अब तक जारी नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी आदेश जारी न करने के लिये कौनसा विभाग उत्तरदायी है; और

(घ) क्या ये आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) (क), (ख) और (ग). यह प्रश्न अब भी वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन है ।

(घ) प्रस्तावित आदेश इस वर्ष के समाप्त होने से पहले जारी किये गये तो वे १ जनवरी, १९६१ से लागू होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशें

†३३२०. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें में, जिनका केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, सरकार द्वारा रूपभेद किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या नैमित्तिक छुटटी और सवेतन छुटटी, जो कम की गई थीं; बढ़ाई जाने की सम्भावना है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) (ख) और (ग). ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान यात्रा की रियायत

†३३२१. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक कर्मचारियों की छुटटी १५ दिन या इससे अधिक न हो तो वे छुटटी के दौरान यात्रा की रियायत से लाभ नहीं उठा सकते ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अधिकांश औद्योगिक कर्मचारियों को, जिनकी नौकरी दस वर्ष से कम है, एक वर्ष में १० दिन से अधिक छुटटी नहीं मिलती; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियमों को शिथिल करने का इरादा रखती है ताकि उन्हें छुटटी के दौरान यात्रा की रियायत की सुविधा मिल सके ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जब तक औद्योगिक कर्मचारी पन्द्रह दिन से अधिक छुटटी (जिसमें नैमित्तिक छुटटी शामिल नहीं है) न लें तब तक उन्हें यह रियायत नहीं मिल सकती ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक कर्मचारियों की छुटटी के बारे में निर्णय करने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारियों के ताश खेलने पर प्रतिबन्ध

†३३२२. **श्री कं० प० सिन्हा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के घास के मैदानों में तथा कार्यालयों से बाहर ताश खेलने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ; और

(ख) क्या यह प्रतिबन्ध कार्यालय के काम के घंटों के दौरान और कर्मचारियों के काम की जगह के आस पास लागू होता है या वह पूरे २४ घंटों के लिये और सभी स्थानों पर लागू होता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). भारत सरकार के मंत्रालयों को ये हिदायतें देने के लिये कहा गया कि वे सरकारी कर्मचारियों को घास के मैदानों में तथा साउथ ब्लाक, नार्थ ब्लाक तथा अन्य सरकारी इमारतों के बाहर ऐसे अर्ध-सरकारी स्थानों में ताश खेलने से मना करें। उनसे इस बात का ध्यान रखने के लिये भी कहा गया है कि सरकारी इमारतों में ७ म० प० के बाद अन्दर खेले जाने वाले खेल न होने दें और आवश्यक हो तो टूर्नामेंट आदि विशेष अवसरों पर इसके लिये विशेष अनुमति दें। ये हिदायतें केवल सरकारी इमारतों और उनके आस-पास घास के मैदानों के सम्बन्ध में है।

भोपाल की राजधानी परियोजना

†३३२३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल की राजधानी परियोजना के लिये अब तक कितना धन मंजूर किया गया है ;

(ख) इसमें से कितना धन (१) अनुदान (२) ऋण के रूप में मंजूर किया गया ; और

(ग) इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). भोपाल की राजधानी परियोजना के लिये १९५७–५८ तक १४० लाख रु० ऋण के रूप में मंजूर किया गया है। उसके बाद से केवल परियोजना के लिये कोई सहायता नहीं दी गई और उसका वित्त प्रबन्ध मध्य प्रदेश सरकार को उसके विविध विकास योजनाओं के लिये प्रति वर्ष दी गयी इकठ्ठी सहायता से किया जा रहा है।

परियोजना के लिये अनुदान के रूप में अब तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि १९६०–६१ के अन्त तक ५.९७ करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है।

पुलिस अनुसन्धान केन्द्र

†३३२४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में अपराध करने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा उसके परिणामस्वरूप पुलिस की समस्याओं में होने वाली वृद्धि को देखते हुए पुलिस अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये जाने वाले हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों की वास्तविक रचना कैसी होगी और उसके कार्य क्या होंगे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). माउन्ट आबू स्थित केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में एक पुलिस अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किया गया है और कतिपय राज्य सरकारों ने भी अपने केन्द्र स्थापित किये हैं। इन केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य ऐसी जानकारी एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना है जो पुलिस के लिये व्यावसायिक दृष्टि से दिलचस्प साबित हों।

भिलाई स्टील वर्क्स

†३३२५. श्री वारियर : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई स्टील वर्क्स से गत दो वर्षों में कितने प्रशिक्षार्थी सोवियत रूस भेजे गये ; और

(ख) इनमें से कितने प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के लिये अयोग्य होने के कारण वापस भेज दिये गये ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १ अगस्त, १९५९ से लेकर ३१ जुलाई, १९६१ तक भिलाई स्टील वर्क्स से १७० प्रशिक्षार्थी सोवियत रूस भेजे जा चुके हैं।

(ख) कोई नहीं।

नोट आदि की छपाई का व्यय

†३३२६. श्रीमती इला पालचौधरी क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी मूल्यों के नोटों की छपाई पर १९५९–६०, १९६०–६१ के वित्तीय वर्षों में और १ अप्रैल से ३० जून, १९६१ तक कितना धन खर्च हुआ ;

(ख) सभी मूल्यों के दशमिक सिक्के ढालने पर १९५९–६०, १९६०–६१ के वित्तीय वर्षों में और १ अप्रैल से ३० जून, १९६१ तक कितना धन खर्च हुआ ; और

(ग) सभी मूल्यों के एक करोड़ रुपये के नोट छापने और सभी मूल्यों के दस लाख दशमिक सिक्के ढालने की गति क्रमशः कितनी है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई : व्यय का हिसाब लगाने की कोई नियमित प्रणाली नहीं है इसलिये अपेक्षित जानकारी अनुमान के आधार पर ही दी जा सकती है। जानकारी इस प्रकार है :—

(क) :

वर्ष	उत्पादन की लागत (हजार रु० में)
१९५९–६०	१८५,८८
१९६०–६१	२३८,४१
१ अप्रैल से ३० जून, १९६१	६०,५४

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय केवल अलीपुर स्थित टकसाल उत्पादन व्यय का अलग हिसाब रखती है जिसके अनुमित आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	सिक्के ढालने की लागत (हज़ार रु० में)
१९५९–६०	११६,६६
१९६०–६१	१२६,७०
१ अप्रैल से ३० जून, १९६१	४५,८०

(ग) :

मूल्य	सभी मूल्यों के एक करोड़ रुपये के (अभिहित मूल्य) नोट छापने की गति (उत्पादन की लागत) रु०
१ रुपया	८१,०००
२ रुपये	४५,०००
५ रुपये	२५,२००
१० रुपये	१५,५३०
१०० रुपये	२,५४३

मूल्य	सभी मूल्यों के १० लाख सिक्के ढालने की उत्पादन की लागत **(केवल अलीपुर टकसाल के बारे में)** रु०
२५ नये पैसे	७४,१९०
१० नये पैसे	४७,८८०
५ नये पैसे	४२,८९०
२ नये पैसे	३४,३६०
१ नया पैसा	१९,९९०

सशस्त्र सेना मुख्यालय में लोअर डिवीजन क्लर्क

†३३२७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित **प्रश्न** संख्या १४९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय में ऐसे लोअर डिवीजन क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है जिन पर इन नये नियमों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इन नियमों के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) कर्मचारियों की सशस्त्र सेना के प्रधान कार्यालय में नियुक्त होने के पूर्व की सेवा की जांच-पड़ताल विभिन्न यूनिटों के परामर्श से की जा रही है जहां उन्होंने काम किया है । इसलिये उनकी ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है किन्तु वह १३२ से अधिक होने की संभावना नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) उनकी जांच की जा रही है ।

लोअर डिवीजन क्लर्क

†**३३२८. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री १८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ये नये नियम अगस्त, १९५९ में बनाये गये थे ;

(ख) क्या ये नियम अब तक इसलिये लागू नहीं किये थे क्योंकि उनका सशस्त्र सेना के प्रधान कार्यालय के कई लोअर डिवीजन क्लर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था ;

(ग) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय इन नियमों को रद्द करके पदोन्नति, स्थायीकरण और वरिष्ठता के सम्बन्ध में अन्य मंत्रालयों में अपनाये जा रहे सामान्य सिद्धान्तों को स्वीकार करेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश कब जारी किये जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ये नियम १९५९ में गृह-कार्य मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाये गये थे । इन्हें रद्द करने का कोई इरादा नहीं है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निवृत्त कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों[1] को पेंशन

†**३३२९. श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों से ऊंची श्रेणी के निवृत्त अधिकारियों को मासिक पेंशन दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निवृत्त कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों को पेंशन हर तीसरे महीने दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां अधिकांश मामलों में निवृत्त कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों को पेंशन हर तीसरे महीने दी जाती है ।

(ग) (१) पेंशन सम्बन्धी मामलों में कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों को अन्य श्रेणियों के साथ रखा गया है न कि अधिकारियों के साथ । इस मामले में पेंशन याफता कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों और अन्य श्रेणियों के पेंशन याफता कर्मचारियों के बीच भेदभाव करना ठीक न होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Retired J.C. Os.

(२) जहां पेंशन हर महीने दी जाती है वहां भी पेंशन याफता कर्मचारी पेंशन लेने हमेशा ही नहीं आते किन्तु दो या तीन महीने की पेंशन जमा होने देते हैं और इस प्रकार वे पेंशन देने वाले कार्यालय तक आने-जाने का खर्च कम कर लेते हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि कम पेंशन पाने वाले लोगों में से अधिकांश लोग हर महीने पेंशन लेना पसंद करेंगे।

(३) हर तीसेरे महीने पेंशन प्राप्त करने वाले कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की तादाद लाखों में है। ये लोग अपनी पेंशन खजाने या डाकघर से प्राप्त करते हैं। यदि पेंशन तीसरे महीने देने की बजाय हर महीने दी गयी तो इन कार्यालयों का पेंशन बांटने का काम तीन गुना बढ़ जायगा। कार्यालयों के कर्मचारी इतना काम न कर पायंगे और उससे पेंशन याफता लोगों को ही कठिनाई होगी।

लोअर तथा अपर डिवीजन क्लर्क

†३३३०. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अन्तर्गत आने वाले ऐसे लोअर तथा अपर डिवीजन क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है जो इस समय अपने वेतन क्रम का अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) इन्हें पदोन्नति देकर अधिक ऊंचे पदों पर नियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इन लोगों का अपनी उन्नति करने का उत्साह और प्रयत्न समाप्त न हो जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) अपेक्षित जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकती।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में दो श्रेणियां हैं—अश्रेणी १ (अपर डिवीजन क्लर्क) और श्रेणी २ (लोअर डिवीजन क्लर्क)। स्थायी लोअर डिवीजन क्लर्क पदोन्नति पाकर अपर डिवीजन (श्रेणी १) में आ सकते हैं और अपर डिवीजन क्लर्क पदोन्नति पाकर असिस्टंट की श्रेणी में आ सकते हैं। पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है और अयोग्य कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जाती। निचली श्रेणी में प्राप्त वेतन ऐसी पदोन्नति का आधार नहीं है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

†३३३१. **श्री स०मो०बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मंत्री १० अगस्त, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के पैरा ३ (४) के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सचिवालय (पुनर्गठन और पुनः लागू करना) योजना के गठित केन्द्रीय लिपिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर योजना, केन्द्रीय सचिवालय श्रेणी ४ (असिस्टेन्ट) आदि विभिन्न सेवा योजनाओं को पृथक् करना चाहती है;

(ख) यदि प्रश्न के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उपरोक्त सेवाओं के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित विषय कौन से हैं जिनपर गृह-कार्य मंत्रालय का यह निर्णय लेने से पहले नियंत्रण था; और

(ग) सेवा सम्बन्धी विभिन्न मामले और विषय कौनसे हैं जिन पर अब तक गृह-कार्य मंत्रालय का नियंत्रण था और जिन्हें अब मंत्रालयों को हस्तान्तरित्त किया जाने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी, नहीं; किन्तु केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सेक्शन अफसर और सेक्शन अफसर तक के कर्मचारियों पर इस समय गृह-कार्य मंत्रालय का जो नियंत्रण है उसे सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार है ।

(ख) भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता, अनुशासन और सेवा की अन्य शर्तें ।

(ग) ब्योरे अभी तैयार नहीं किये गये हैं ।

अंकलेश्वर और खम्भात क्षेत्र में कोयला

†३३३२. श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात और अंकलेश्वर क्षेत्रों में तेल के लिये छिद्रण करते समय कोयले के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला की किस्म का विश्लेषण किया गया है ; और

(ग) क्या इन निक्षेपों की मात्रा का पता लगाने के लिये इन क्षेत्रों में आगे पूर्वेक्षण और खोज कार्य किया जायेगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सुपरसोनिक विमानों की खरीद

†३३३३. श्री बी० चं० शर्मा : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका द्वारा पाकिस्तान को सूपरसोनिक (ध्वनि की गति से भी अधिक तेज चलने वाले) विमानों की सप्लाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायु बल भी सूपरसोनिक विमान खरीदने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). प्रतिरक्षा व्यवस्था के ब्यौरे सभा में बताना लोकहित में नहीं है ।

नापथा

†३३३५. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में नापथा की उपलब्धता के लिये भारत में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) सर्वेक्षण कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

¹Naphtha

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). नाफ्था की वार्षिक उपलब्धता के अनुमान बनाये जा रहे हैं; आशा है कि मामले पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

गर्ल्स सीनियर बेसिक स्कूल, लाजपत नगर, नई दिल्ली

†३३३६. **श्री कुन्हनः** क्या शिक्षा मन्त्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम० सी० गर्ल्स सीनियर बेसिक स्कूल, लाजपत नगर नई-दिल्ली में कितनी अध्यापिकायें हैं;

(ख) क्या यह सच है कि यह स्कूल सवेरे सात बजे से १२ बजे दुपहर तक लगता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सवेरे ७ बजे बच्चों को स्कूल आने में बड़ी कठिनाई होती है;

(घ) क्या ऐसे आदेश दिए गए हैं कि स्कूल में प्रार्थना सवेरे ६.४५ बजे शुरू होनी चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ४९

(ख) जी हां ।

(ग) निगम को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-क्रम

†३३३७. **श्री कुन्हनः** क्या शिक्षा मन्त्री १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अध्यापकों को वेतन क्रम देने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इन पर अन्तिम निर्णय लेने में उनको कितना समय लगेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम तथा नई-दिल्ली नगर पालिका ने अपने अध्यापकों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन क्रम देना स्वीकार कर लिया है ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†३३३८. { **श्री तंगामणि** :
श्री कुन्हन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वेतन आयोग की किसी सिफारिश को क्रियान्वित कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन क्रमों का पुनरीक्षण कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने वेतन आयोग की निम्नलिखित सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है :—

१. आकस्मिक छुट्टी के बारे में आदेश का पुनरीक्षण ।

२. शनिवार को काम के घंटों में पुनरीक्षण ।

३. गजटेड छुट्टियां देना तथा रस्ट्रिक्टेड छुट्टियां देना ।

(ग) जी हां, आर्डर जारी किए गए हैं;

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था, पटियाला

†३३३९. { **श्री तंगामणि :**
श्री कुन्हन : }

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खेल कूद संस्था, मोती महल, पटियाला के भवन में फरनीचर आदि लगाने का कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमानित व्यय क्या है; और

(ग) कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). जी नहीं । परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खेल कूद संस्था का प्रशासन गवर्नरों का एक स्वायत्तशासी बोर्ड कर रहा है तथा भारत सरकार द्वारा उनको दी गई धनराशि में से वह भवन में फरनीचर आदि लगवाने के लिये व्यय स्वीकार कर सकती है ।

दिल्ली में कोयला तथा कोक

†३३४०. **श्री राम गरीब :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोयले तथा कोक का कोटा फरवरी १९६१ से समाहार अभिकरणों द्वारा आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के लिये कोयले तथा कोक का कोटा आयात करने में कितने अभिकरण अथवा वर्ग लगे हुए हैं ;

(ग) प्रत्येक कोयला विक्रेता को कोयला तथा कोक का आवंटन करने की क्या प्रक्रिया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या यह सच है कि कुछ अभिकरणों पर ऐसे व्यक्तियों का नियन्त्रण है जिनका कोटा गलत लदान के कारण रद्द कर दिया गया था ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) सात।

(ग) आवंटन की अवधि दिखाने वाला कोटा कार्ड कोयला विक्रेताओं को जारी किया गया जहै। यह कार्ड रखने वाले अपना कोटा अपनी पसन्द के समाहार अभिकरण से ले सकते हैं।

दिल्ली में कोयला तथा कोक

†३३४१. श्री राम गरीब : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल सप्लाइज़ दिल्ली प्रशासन ने समाहार अभिकरणों को कोयला तथा कोक का स्वयं आयात तथा वितरण करने का अधिकार दिया है जबकि इस समय इसका आयात 'ब्लाक रेक स्कीम' के अधीन हो रहा है;

(ख) क्या कुछ सहकारी समितियों को चुना गया है; यदि हां, तो यह चुनाव किस आधार पर किया गया है, क्या यह समितियां पहले से कोयले का विक्रय कर रही थीं;

(ग) क्या यह सच है कि फरवरी १९६१ में दिल्ली में स्टीम कोल तथा हार्डकोक की कमी है; और

(घ) क्या यह सच है कि समाहार अभिकरण स्टीम कोल तथा हार्ड कोक कोल बाजार में बेच रहे हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां। परन्तु घरेलू सौफ्ट कोक' तथा 'छोटे पैमाने के उद्योग' की श्रेणियों के सम्बन्ध में।

(ख) सरकार की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की नीति के अनुसार दो सहकारी समितियों को चुना गया है।

(ग) जी हां।

(घ) अब तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

दिल्ली के लिये कोयले तथा कोक का कोटा

†३३४२. श्री राम गरीब : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के लिये कोयले तथा कोक का कोटा हाल में ही बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रकार के कोयले तथा कोक के कितने वैगन;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे कोयला विक्रेता जिन्होंने कोटा बढ़ाने की प्रार्थना की थी, उनका कोटा नहीं बढ़ाया गया है; और

(घ) बढ़े हुए कोटे के अधीन कितने कोयले तथा कोक के वैगन बढ़ा दिये हैं तथा किन व्यक्तियों को ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विभिन्न राज्यों को ऋण

†३३४३. { डा० क० ब० मेनन :
श्री ग्रमजद ग्रली :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ ग्रगस्त, १९४७ से ग्रप्रैल १९६१ तक केन्द्र से भारत के विभिन्न राज्यों ने कितनी धनराशि का ऋण लिया; ग्रौर

(ख) ग्रप्रैल १९६१ में विभिन्न राज्यों पर कितना केन्द्रीय ऋण बकाया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ख). जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, ग्रनुबन्ध संख्या ३५]**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार ग्रादेश

†वैज्ञानिक ग्रनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य उप-मंत्री (डा० म० मो० दास): मैं श्री हुमायून कबिर की ग्रोर से प्रतिलिप्याधि र ग्रधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के ग्रन्तर्गत दिनांक १६ ग्रगस्त, १९६१ को ग्रधिसूचना संख्या एस० ग्रो० १९२९ में प्रकाशित ग्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्या धिकार (दूसरा संशोधन) ग्रादेश, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३१८९६१]**

संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी ग्रादेश में संशोधन

†विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं बम्बई पुनर्गठन ग्रधिनियम, १९६० की धारा १९ की उप-धारा (६) ग्रौर दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) ग्रधिनियम, १९६१ की धारा ७ की उपधारा (२) के ग्रन्तर्गत संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी ग्रादेश, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ ग्रगस्त, १९६१ की ग्रधिसूचना संख्या एस० ग्रो० १८९७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३१९०९१]**

†विधि मंत्री (श्री ग्र० कु० सेन): मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम चुनावों के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रकार के ग्रल्प सूचना प्रश्नों का उत्तर देने को तत्पर हैं। चाहिये भी यही कि इसी सत्र में इस बारे में सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाये। बाद में यह काफी लेट हो जायेगा।

†ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को ग्रल्प सूचना प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिएं।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

वित्तीय समितियां १९६०-६१

एक समीक्षा

†सचिव : श्रीमान जी, मैं "वित्तीय समितियां १९६०–६१––एक समीक्षा" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से संदेश

†सचिव : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि राज्य सभा ने अपनी १ सितम्बर, १९६१ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया है :—

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा प्रत्यर्पण विधेयक से संबंधित दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त समिति में कार्य करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें :—

(१) श्री अख्तर हुसैन

(२) श्री सुरेश जे० देसाई

(३) श्री एम० गोविन्द रेड्डी

(४) डा० ए० सुब्बाराव

(५) श्री के० के० शाह

(६) श्री विजय सिंह

(७) श्रीमती लक्ष्मी मेनन

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

†सचिव : मैं ७ अगस्त, १९६१ को लोक सभा में दी गयी सूचना के बाद वर्तमान सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति द्वारा निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

१. संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प तथा कोर्ट फीस विधियां) विधेयक, १९६१

२. नमक उपकर (संशोधन) विधेयक, १९६१

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

कार्यवाही-सारांश

†सरदार हुकम सिंह (भटिंडा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की चौदहवें सत्र में हुई (तेंतीसवें और चौंतीसवें) बैठकों का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बारहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक १ सितम्बर, १९६१ को हुई थी । तथापि गणपूर्ति न होने के कारण उन्होंने कोई औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया ।

मैं कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों को यह अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि बैठकों में गणपूर्ति हो ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : सभा ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें सभा में परिचालित किया जाये जिससे हम उन पर विचार कर सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कल इसे परिचालित कर दूंगा ।

लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री हजरनवीस द्वारा ३१ अगस्त, १९६१ को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

मैं इस सम्बन्ध में श्री रघुरामैया को कुछ कहने का अवसर दूंगा ।

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने अपने भाषण के दौरान उड़ीसा के चुनावों के लिये कुछ जीपें खरीदने का जिक्र किया है । श्री देव ने बीच में बोलते हुए यह कहा था कि इन्हें प्रतिरक्षा मंत्रालय को बेच दिया गया था । मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह आरोप एकदम मिथ्या है ।

सेना सदैव नयी जीपें ही खरीदती है । हम इस सम्बन्ध में संभरण और निपटान के महानिदेशक को आर्डर देते हैं । क्योंकि श्री महीन्द्रा एन्ड महीन्द्रा देश में जीपों के एकमात्र निर्माता हैं । अतः संभवतः यह आर्डर उन्हें दिया गया । महीन्द्रा एन्ड महीन्द्रा को जीपों का अन्तिम आर्डर १९६० में चुनावों के बहुत पहिले दिया गया था ।

सेना के लिये जो जीपें खरीदी जाती हैं उनका सेना के निरीक्षकों द्वारा कड़ा निरीक्षण किया जाता है । अतः पुरानी जीपें खरीदने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : उन्होंने वह प्रक्रिया बतलाई जिसके अधीन सरकार जीपें खरीदती है । उन्होंने कुछ जीपें अस्वीकृत कर दीं उन्हें कांग्रेस दल को उपलब्ध कर दिया गया जिन्होंने उनका उपयोग किया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदयः** : अब श्री रंगा अपना भाषण देंगे।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : सरकार ने अभी अभी भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक पारित किया है तब मेरे विचार से इस विधेयक को पारित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः सरकार के पास स्वयं ही इतनी अधिक शक्तियां हैं कि वह, धर्म जाति, समुदाय इत्यादि के आधार पर चुनावों में प्रचार करने वालों को दंड दे सकती है।

सरकार ने खंड २३ की उपधारा ३-क और ३ को इस विधेयक में शामिल कर एक नये अपराध की सृष्टि की है। वस्तुतः सार्थकता तब है कि इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाये। यद्यपि कई सदस्यों ने इसके प्रमाव भी प्रस्तुत किये हैं कि शासकदल इन शक्तियों का उपयोग राजनैतिक लाभ प्राप्त करने में करेगा। तथापि गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं करने दिया जायेगा।

इस प्रकार के उपबंधों के रहते हुए कोई भी व्यक्ति विशेषतः आसाम, पंजाब तथा अन्य स्थानों में जहां भाषा सम्बन्धी वाद-विवाद चल रहे हों, अपनी भाषा संस्कृति इत्यादि की सुरक्षा संवर्द्धन और विकास के लिये प्रचार या प्रसार नहीं कर सकता है यदि वह ऐसा करेगा तो उससे निस्संदेह इन उपबंधों का खंडन हो जायेगा।

इसी कारण हमने राजा जी के नेतृत्व में यह सुझाव दिया था कि चुनाव आयोग की तरह एक निश्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था कम से कम चुनावों के छः महीने पहिले से कायम की जाय जो इस प्रकार के विधियों को निश्पक्षता से पालन कर सके। सरकार अपना पद छोड़ देवे और राष्ट्रपति चुनावों से छः मास पहले सम्पूर्ण प्रशासन अपने हाथों में ले लेवे।

राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय की कुछ सीमा होनी चाहिये। उड़ीसा के चुनावों में सत्ता दल ने बहुत अधिक व्यय किया। सरकार सरकारी उपक्रमों या इन उपक्रमों के चलाये जाने के फलस्वरूप लाभ उठाने वाले लोगों से जैसे कि ठेकेदार आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दान न ले।

आंध्र प्रदेश के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि एक राज्य उपक्रम ने वहां के राजनैतिक दलों को, जो कि लोगों के विचार से वर्तमान शासकीय दल ही है, १,३०,००० रु० दान दिया। यह बात २६ अगस्त, १९६१ की "अमृत बाजार पत्रिका" में प्रकाशित हुई थी।

इसके अतिरिक्त चुनाव न्यायाधिकरण ने एक सत्तारूढ़ मंत्री के विरुद्ध यह आरोप सिद्ध हो जाने पर कि उसने एक राज्य उपक्रम से काफी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता ली है उसके विरुद्ध निर्णय दिया फलस्वरूप उसे मंत्रीपद से भी इस्तीफा देना पड़ा।

हमारे पक्ष ने बार बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि कोई भी समवाय राजनैतिक दल को अधिक दान न देवे। समवाय संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने संशोधन भी प्रस्तुत किये थे। दुख की बात है कि प्रवर समिति ने सभा की सलाह अथवा उसकी सिफारिशों की परवा नहीं की। अतः उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं की।

मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि इस विधेयक द्वारा जिन अपराधों की सृष्टि की गयी है उनके कारण किसी भी व्यक्ति के लिये अपने को खतरे में डाले बिना प्रचार करना असंभव होगा।

अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि उन्हें सभी साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये और इसके लिये सभा द्वारा स्वीकृति या निन्दा सुनने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि पहिले तो यह विधेयक पारित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और यदि यह विधेयक पारित ही किया जाए तो इसे चुनावों के पहिले लागू करने की आवश्यकता नहीं है । यदि कोई व्यक्ति या संस्था चुनावों के दौरान ऐसे कार्य करते हुए पाये जायें तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की पहली और आवश्यक शर्त है तथापि इसके लिये चार शर्तें आवश्यक हैं । पहिला समस्त देश के लिये एक रूप नियम हों, दूसरा मतदान के उपयोग पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो । तीसरे ऐसी कोई अपील नहीं की जाये जिससे कि उनके निर्णय पर आघात पहुंचे चौथे चुनाव व्यय कम से कम किया जाये ।

यद्यपि चुनावों के लिये हमारे देश में इस समय एक चुनाव आयोग है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम भी इसी उद्देश्य से पारित किया गया है तथापि इनसे स्वतंत्र चुनावों का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है । उदाहरणार्थ काश्मीर में चुनाव सम्बन्ध नियम प्रयुक्त नहीं होते हैं । वहां की जनता लोक सभा के लिये अपने उम्मीदवार नहीं चुन सकती है उनका नाम निर्देश किया जाता है । चिह्न लगाने की प्रक्रिया यद्यपि सभी राज्यों में लागू की जा रही है तथापि उसे काश्मीर में लागू नहीं किया गया है ।

अभी हाल सरकारी कर्मचारियों के लिये इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है कि उन्हें चुनाव सभाओं में उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं है । मेरे विचार से ऐसे अनुदेश जारी करना उनकी मतदान स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाना है । जब उन्हें मत देने का अधिकार है तो उन्हें चुनाव के सम्बन्ध में की गयी सभा में उपस्थित होने का भी अधिकार है ।

जहां तक धार्मिक अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का प्रश्न है सरकार को इस संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिये । इसके पहिले कि हम धार्मिक या साम्प्रदायिक अपील को अपराध करार दें हमें ऐसी अपील के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिये कि क्या वह अकस्मात मुंह से निकल गया हुआ कोई शब्द है या विधि योजना बद्ध तरीके से सांप्रदायिक भावना को उभाड़ने का प्रचार ।

आपने कहा है कि धार्मिक चिह्नों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । किन्तु गाय भी देश का एक धार्मिक चिह्न है यदि उसका उपयोग कांग्रेस अपने चुनावों के लिये कर सकती है तो गौहत्या के नाम पर अपील करना किस प्रकार भ्रष्टाचार ठहराया जा सकता है ।

मेरा विचार है कि इस खंड से अधिक कठिनाईयां पैदा हो जायेंगी अतः इस प्रकार के व्यापक खंड को रखना उचित नहीं है ।

इस संशोधन विधेयक में चुनाव खर्चों का कोई उल्लेख नहीं है । मूल विधेयक में खंड ७७ है जिसके अनुसार चुनाव खर्चे की सीमा निर्धारित कर दी गई है । लेकिन यह राशि बहुत अधिक है । यह खर्च जन साधारण के बिसात के बाहर की चीज़ है । भले ही कोई व्यक्ति कितना ही जनप्रिय क्यों न हो लेकिन वह इस अत्याधिक खर्चे के कारण संसद का चुनाव लड़ना नहीं चाहेगा । चुनाव लड़ना आज बड़े आदमियों की चीज़ है या उन लोगों की चीज़ रह गई है जो भ्रष्टाचार के कारण धन कमाना चाहते हैं । सब से खराब बात तो यह है कि राजनैतिक दल भी अपने साधनों का पूरा पूरा उपयोग करते हैं । उड़ीसा में क्या हुआ, वहां शासक दल ने काफ़ी धन व्यय किया जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है । ऐसी स्थिति में चुनावों के लिये अधिकतम सीमा निर्धारित करना कोई

†मूल अंग्रेजी में

मजाक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजनैतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों पर जो धन व्यय किया जाता है उसके लिये अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि चुनाव व्ययों को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इसके लिये उपाय यह है कि सार्वजनिक सभाएं कम से कम हों। संयुक्त सभा हो दोनों ओर के उम्मीदवार अपने अपने विचार एक ही मंच से व्यक्त करें। चुनाव आयोग द्वारा पोस्टर जारी किये जायें। चुनाव व्यय कम करना नितान्त आवश्यक है।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)**: मेरा विचार है कि लोकतंत्रीय युग में शासक दल नाम की कोई चीज नहीं होती। हां इतना अवश्य है कि बहुमत वाला दल अवश्य होता है। श्री राम का कहना है कि अगर कांग्रेस को चुनाव के दौरान में चन्दा न मिले तो इसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। यह कहना गलत है क्योंकि कोई भी दल चन्दा लेने में संकोच नहीं करता। सभी दल चंदा लेते हैं। सभी दल अपने अपने शुभचिन्तकों एवं समर्थकों से चन्दा लेते हैं न तो कोई राजनैतिक दल ही और न कोई सरकार ही यह आश्वासन दे सकती है कि वह चन्दा नहीं लेगी। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने भाषण में कहा है कि कांग्रेस समाजवादी ढोंग रच कर साम्यवाद फैलाना चाहती है। उनका अभिप्राय यह सिद्ध करने का है कि कांग्रेस दल पूंजीपतियों का दल है। लेकिन शायद वह भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि पूंजीपति कांग्रेस की कार्यवाहियों से कितने असंतुष्ट रहते हैं।

यहां जो कुछ भी कहा गया है मेरा विचार है कि वह आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर कहा गया है। अतः जो बातें भी यहां उठाई गई हैं वह इस बात को लेकर नहीं कि हमारे सामने इस समय समस्या क्या है बल्कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर उठायी गईं है।

चुनाव व्यय के सम्बन्ध में जो संविहित सीमा है उस पर अत्यधिक और फजूल खर्च पर रोक आवश्य लग जाती है, किन्तु कई मामलों में इस सीमा की उपेक्षा की जा सकती है और हो सकता है कि इस सीमा से चुनाव के व्यय का जो हिसाब दिया जाता है, उसका सही व्यय का पता न लगे। इसलिये मैं चुनाव आयोग की उस सिफारिश से सहमत नहीं हूं कि चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिये। इसलिये मैं इस पक्ष में हूं कि वर्तमान सीमा को निर्धारित रखा जाये। जहां तक उम्मीदवारों द्वारा दलीय सहायता पाने की बात है कुछ लोगों को तो यह सहायता मिल जाती है और कुछ लोगों को यह सहायता नहीं मिल पाती। इसलिये दल के व्यय को उम्मीदवार के व्यय में सम्मिलित करके उसका अलग अलग हिसाब लगाना इतना जटिल कार्य है कि चुनाव आयोग ने भी ऐसा कर सकना संभव नहीं समझा है अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक खंड २३ और २४ की बात है। जिन माननीय सदस्यों ने "व्यवस्थानुकूल" शब्द रखने की मांग की है ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने संशोधन के उद्देश्य को समझा ही नहीं है। ये संशोधन जो कि हम करने जा रहे हैं उन संशोधनों के परिणाम स्वरूप आवश्यक हैं जो हम भारतीय दंड संहिता में पहले कर चुके हैं। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि वे संशोधन आवश्यक है यदि हम चाहते हैं कि हमारे चुनाव बुराईयों के प्रभाव से मुक्त हों तो हमें यह साफ साफ कहना चाहिये कि वह चुनाव के सम्बन्ध में विभिन्न वर्गों के नागरिकों के बीच वैमनस्य उत्पन्न करे उसे दंड दिया जा सकेगा। क्योंकि धर्म, जाति आदि को बीच में डालकर चुनाव आदि में कार्य करना एवं उसके आधार पर लोगों में वैमनस्य उत्पन्न करना निश्चय ही दंडनीय है।

हम यह नहीं चाहते कि कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचकों से इस आधार पर वोट देने के लिये कहें कि चूंकि वह अमुक भाषा जनता है और उसका प्रतिद्वन्दी अमुक भाषा नहीं अतः उसे मत नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसा कहना गलत है। ऐसा करना दंडनीय होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सन]

प्रवर समिति में मैंने "भाषा" शब्द से पहले 'उसका' शब्द जोड़ दिया था। इससे गलतफहमी दूर हो जाती है और बात भी स्पष्ट हो जाती है। वैसे यह तो ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा आदि का प्रचार करने का पूरा अधिकार है लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह दूसरी भाषाओं की निंदा करे। उसे अपनी भाषा के मुकाबले में छोटा बतायें। अथवा भाषा के आधार पर वैमनस्यता उत्पन्न करे। इसलिये उपखंड (३) में "उसका धर्म, उसकी नस्ल, जाति आति "शब्द इसलिये जोड़ दिये गये हैं कि यह स्पष्ट हो जाये कि हम किस बुराई को रोकना चाहते हैं। इस उपखंड में "उसका" शब्द इसलिये जोड़ दिया गया है कि इस सम्बन्ध में कोई भ्रान्ति न रहे ।

मेरा विचार है कि यह संशोधन बहुत स्वस्थ है। आशा है कि सभा का इसे पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा क्योंकि इसको स्वीकार करने के पश्चात् हमारे चुनाव जातीय अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रभावों से बचे रहेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है।

> "कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले और द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (समापन) अधिनियम १९६१ में कुछ मामूली संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब विधेयक पर खंडवार चर्चा होगी ।

खंड २ के बारे में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

> "कि खंड २ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(धारा २३ के पश्चात नई धाराओं का रखा जाना)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बशिरहाट) : मैं संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करती हूं :

मेरे संशोधन का आशय यह है कि अन्तिम तारीख के बाद नाम अंकित करने के लिये कोई विहित न लिया जाये । इसका कारण यह है कि हमारे गांवों की जनता अशिक्षित है और उनमें राजनैतिक जागरूकता इतनी नहीं है जितनी कि पाश्चात्य देशों में दिखाई देती है और यह भी संभव है कि सूची तैयार करते समय वे लोग अपने मकान में मौजूद न हों । अतः यदि वे बाद में अपना नाम लिखाना चाहेंगे तो उन्हें जिले के कार्यालय तक जाना होगा, यह तकलीफ तो वह किसी प्रकार बरदाश्त कर सकते हैं तथापि इसके ऊपर विहित शुल्क देना उनके बस की बात नहीं है अतः यह शुल्क उस राजनैतिक दल के द्वारा दिया जायेगा जो उनका मत अपने पक्ष में लेना चाहता है इस प्रकार यह उनके मत को बन्धक रखने का तरीका है । अतः मेरे विचार से ये पंक्तियां हटा दी जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** (नवद्वीप) : मैं श्रीमती रेणु चक्रवर्ती का समर्थन करती हूं । मेरे विचार से इससे राजनैतिक कदाचार बढ़ता है अतः यह शुल्क की राशि हटा दी जानी चाहिये ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

अधिनियम के अनुसार मतदाता सूची तैयार की जाती है तदुपरान्त प्रकाशित की जाती है । इसके पश्चात् उनका यथाशक्ति प्रचार किया जाता है और उनके सम्बन्ध में शिकायतें सुनी जाती हैं । उन पर विचार करने के उपरांत अन्तिम सूचियां तैयार की जाती हैं । इसके पश्चात् चुनावों की घोषणा के पूर्व तक एक रुपये का शुल्क लिया जाता है । राजनैतिक दलों के लिये अपना कार्य आरम्भ करने का सब से अच्छा अवसर तभी है जब कि कच्ची सूचियां बन गई हों ।

चुनाव आयोग को यह अनुभव हुआ है कि चुनावों की तारीख घोषित हो जाने पर चुनाव अधिकारियों के समक्ष फारमों का ढेर लग जाता है और उस थोड़े समय में उनके लिये जांच करना बहुत कठिन होता है । कई मामलों में ऐसे व्यक्तियों की ओर से दावे किये जाते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता है अथवा जो जरा भी दिलचस्पी नहीं ले सकता है । इस प्रकार बहुत धन और श्रम व्यय होता है । अतः इस सम्बन्ध में कुछ शुल्क होना चाहिये ।

हमने प्रस्ताविका के कहने पर शुल्क आधा कर दिया है । अब यह शुल्क १ रु० और ५ रु० के स्थान पर केवल ०.५० और ३ रु० रह गया है । चुनाव की घोषणा होने के पश्चात् तथापि चुनाव की उद्घोषणा के पूर्व यदि कोई व्यक्ति अपना नामांकित करवाना चाहेगा तो उसे ३ रु० शुल्क देना होगा । श्रम को देखते हुए यह शुल्क अधिक नहीं कहा जा सकता है ।

तथापि किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नाम छूट गये हों तो चुनाव आयोग को उस विशेष क्षेत्र के लिये नयी सूची बनाने का अधिकार है । कलकत्ता के सम्बन्ध में पिछले चुनावों के दौरान शिकायतें प्राप्त होने पर ऐसा किया गया था इस प्रकार पुनरीक्षण करने के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाता है ।

अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १७ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४ से ६ विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४ से ६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ६-क (धारा ७ का संशोधन)

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करती हूं ।

†**सभापति महोदय** : यह संशोधन विधेयक के क्षेत्र के बाहर है अतः यह नियम बाह्य है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरे विचार से यह नियम बाह्य नहीं है, क्योंकि इससे धारा ७ का संशोधन होता है और धारा ७ पर चर्चा की जा सकती है । इसके अतिरिक्त प्रवर समिति में भी इसकी चर्चा की गई थी और वहां भी मेरा संशोधन नियमानुसार परिचालित किया गया था तथा उस पर चर्चा की गयी थी ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि अनर्हतायें शब्द का वहां सामान्य अर्थ में उपयोग नहीं हुआ है अपितु उसका तात्पर्य उन अर्हताओं से है जो कि चुनाव न्यायाधिकरण के आदेशों से उत्पन्न हुई हैं । तीन विषय इस प्रकार हैं : चुनाव व्यय, चुनाव याचिकायें याचिकायें और चुनाव न्यायाधिकरण के आदेशों से उत्पन्न मतदान और उम्मीदवारी सम्बन्धी अनर्हतायें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं यह जानना चाहती थी कि हमने इस सभा में क्या पारित किया है । अतः मेरा संशोधन सही है ।

†**सभापति महोदय** : मैं इनका संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करती हूं । मेरे संशोधन का आशय यह है कि ऐसे व्यक्ति को जो कि अनैतिकता, भ्रष्टाचार और घूसखोरी के अपराध में दो वर्ष या उससे कम की कैद भुगत चुका हो उसे अवश्य उम्मीदवारी और मतदान के लिये अनर्हत किया जाये तथापि जो व्यक्ति किसी अन्य अपराध के कारण जेल गया हो उसे अनर्हत नहीं किया जाये क्योंकि इससे विरोधी पक्ष के उम्मीदवार पर आघात होता है जिन्हें निवारक निरोध अधिनियम के अधीन निरुद्ध न हो कर दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दंड दिया जाता है ।

†**श्री म० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रश्न प्रवर समिति में उठाया गया था तथा क्या उसे विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत समझा गया था, यदि हां, तो इस प्रश्न पर सभा में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है ।]

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : मैं माननीय सदस्या से सहमत नहीं हूं । मेरे विचार से जो व्यक्ति इस सभा द्वारा बनाये गये अधिनियमों का उल्लंघन करता है वह यहां आने योग्य नहीं है । ऐसे व्यक्ति को जो संविधान के अधीन बनाये गये अधिनियमों का आदर नहीं करता है उसे अनर्हत ठहरा दिया जाना चाहिये ।

†**श्री हजरनवीस** : जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है कि नैतिक कदाचरण की व्याख्या ही जब कठिन है तो उसको लागू करना और भी कठिन होगा । यदि यह प्रश्न चुनाव अधिकारी के सम्मुख आये कि अमुक उम्मीदवार नैतिक कदाचरण का अपराधी है तो वह इसके लिये क्या माप-दंड रखेगा । इसी प्रकार अनैतिकता और भ्रष्टाचार की भी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है । अतः स्पष्ट परिभाषा के अभाव में मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ८ से १८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

नया खंड १८-क

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं संशोधन संख्या २९ प्रस्तुत करता हूं। मेरे विचार से मेरा संशोधन दो अत्यन्त भिन्न दृष्टिकोणों के बीच का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ।

प्रस्तावित खंड (१८क) में यह व्याख्या जोड़ दी जाये कि जिन बातों से विभिन्न वर्गों के बीच वैमस्नय या द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही हो या हो सकती हो उनके निवारण के लिये सद्-भावना से उन्हें बताना अपराध न होगा । इस आशय का संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री हजरनवीस** : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । प्रवर समिति में हमने यह निश्चय किया है कि मूल खंड बना रहेगा । मैं प्रवर समिति के निर्णय के अनुसार ही कार्य करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २९ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १९ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड २० से २२ विधेयक के अंग बनें "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २० से २२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मैं संशोधन संख्या १९, २०, २१ २२ और २३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं संशोधन संख्या ३३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री बी० दास गुप्त** : (पुरुलिया) : मैं संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं संशोधन संख्या ३१ प्रस्तुत करता हूं ।

†**सभापति महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि सरकार वास्तव में साम्प्रदायिकता को समाप्त करना चाहती है तो उसे खंड २३ में यह संशोधन स्वीकार करना चाहिये कि धार्मिक पूजा स्थानों और धार्मिक सभा के स्थानों को चुनाव के प्रयोजन के लिये काम में न लाया जाये । राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक स्थानों का प्रयोग करके जो साम्प्रदायिक प्रचार किया जाता है उसे रोकने के लिये हमारी निर्वाचन विधि में संशोधन करने का यह सब से अच्छा तरीका है ।

केरल और पश्चिम बंगाल में हमारा जो अनुभव रहा है उसके आधार पर हमारा ख्याल है कि कांग्रेस दल ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता है कि इस पर कोई रोक लगे । वस्तुतः चुनावों में उसे साम्प्रदायिक प्रचार से बहुत सहायता मिली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर) : यह कहना गलत है कि कांग्रेस ने पश्चिमी बंगाल में हुए चुनावों में साम्प्रदायिक प्रचार का आश्रय लिया था। सच तो यह है कि साम्यवादी दल ने इस प्रकार का प्रचार किया था और उसने इस प्रयोजन के लिये पैम्फलेट आदि प्रकाशित किये थे ।

उनमें से कुछ पैम्फलेट तो बहुत ही आपत्तिजनक हैं। यदि एक इश्तहार में धर्म के नाम पर मत मांगा गया है तो दूसरे इश्तहार में कहा गया है कि पंडित नेहरू काश्मीर समस्या के नाम पर अल्पसंख्यक लोगों से मतदान मांगते हैं और वे उन्हें दंगे करवाने की धमकी दे कर इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं इत्यादि ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अब मैं संशोधन संख्या २० पर कुछ कहना चाहती हूं। इस सम्बन्ध में बोलते हुए मैं श्री च० का० भट्टाचार्य का भी उत्तर देना चाहती हूं। वस्तुतः कभी भी हिन्दू या मुसलमान के नाम से मत नहीं मांगा जाता है। तथापि स्वयं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस ने मुसलमानों में यह प्रचार किया था कि यदि मुसलमान कांग्रेस को मत नहीं देंगे तो उन्हें मारपीट कर पाकिस्तान भगा दिया जायेगा। इतना ही नहीं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, चुनाव के दिनों में नाखंडा मस्जिद में गये और वहां से उन्होंने मुसलमानों से अपील की। क्या यह साम्प्रदायिक प्रचार नहीं है ?

चुनाव के विषय में किसी पवित्र ग्रन्थ या धार्मिक भावनाओं के आधार पर जनमत को प्रभावित न करने दिया जाये ।

प्रस्तावित खंड २३ में से "अथवा भाषा" ये शब्द हटा दिये जायें । अल्पसंख्यकों की भाषा उनकी संस्कृति आदि प्रश्न राजनीति के माध्यम से निपटाये जाने चाहियें। भाषा का प्रश्न चुनाव सम्बन्धी अपराध नहीं बनाया जा सकता ।

संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने भाषा के प्रश्न को लेकर चुनाव लड़ा है। आज सिल्चर और कचार के कांग्रेसी सदस्यों ने केवल भाषा के नाम पर ही अपने पदों से इस्तीफा दिया है। स्वयं सी० डी० देशमुख ने भाषा के प्रश्न पर ही इस्तीफा दिया था ।

भाशा संबंधी विचारों के कारण किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करे। इस प्रश्न को राजनीतिक प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिये न ही इसे चुनाव संबंधी अपराधी ही बनाया जाना चाहिये। आप तो भाषा को भी साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष राज्य है, निसन्देह साम्प्रदायिकता को यहां खुल कर खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परन्तु भाषा को भी साम्प्रदायिकता के स्तर पर रखना उचित नहीं कहा जा सकता। अल्प संख्यकों की भाषा संस्कृति इत्यादि की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है ही। अतः मेरा निवेदन है कि यह चुनाव संबंधी अपराध वाली बात विधेयक में से निकाल देनी जाहिये।

संशोधन संख्या २२ के संबंध में यद्यपि गृह मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है तथापि यदि अनुसूचित जातियों अथवा आदिवासियों के विरुद्ध सवर्ण हिन्दुओं ने कुछ किया तो यह मामला राजनीतिक स्तर पर आ सकता है। चुनावों में भी इसकी चर्चा हो सकती है। ऐसा होने पर सरकार खंड (३ क) का लाभ उठा कर अपने विरुद्ध कहने वालों को अपराधी घोषित कर सकती हैं। मेरा निवेदन है कि चुनाव के विषय में किसी पवित्र ग्रन्थ अथवा धार्मिक भावनाओं के आधार

---

†मूल अंग्रेजी में

पर जनमत को प्रभावित न करने दिया जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि धारा १२३ के प्रस्तावित खण्ड (३ क) में से "अथवा भाषा" यह शब्द हटा दिये जायें। अल्पसंख्यकों, भाषा उनकी संस्कृति आदि प्रश्न राजनीतिक के माध्यम से निपटाये जाने चाहियें। भाषा का प्रश्न चुनाव संबंधी अपराध नहीं बनाया जा सकता।

धारा १२३ के खण्ड (३ क) के अन्त में यह परन्तुक जोड़ डिया जाना चाहिये कि जिन शिकायतों के कारण किसी जाति या समुदाय अथवा अल्पसंख्यक समूह को कठिनाई होती हो उनकी अभिव्यक्ति अथवा जाति या समुदाय के आधार पर ऐसी प्रथाओं की आलोचना, जिनसे सामाजिक दमन होता हो, चुमाव संबंधी अपराध नहीं माना जाना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि चुनावों में बैल गाड़ियों इत्यादि पर भी पाबंदी लगानी चाहिये। विद्युत से चलने वाली गाड़ियों के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की गाड़ियों को चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। देहाती चुनाव क्षेत्रों में इन बेलगाड़ियों का भी अनुचित रूप में प्रयोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी कहना है कि खंड (५) के प्रथम परन्तुक को हटा दिया जाना चाहिये। इससे कुछ लाभ प्राप्त होने की आशा नहीं।

†**श्री त्यागी** : मेरा निवेदन है कि जब तक साम्प्रदायिकता के विरुद्ध भारी प्रचार आन्दोलन चालू नहीं किया जायेगा, तब तक इसे समाप्त करना सरल नहीं है। इस कार्य को सभी राजनीतिक दलों को मिल कर करना चाहिये। आज की स्थिति के अनुसार मेरा मत यह है कि इस संशोधन विधेयक का प्रभाव अधिकतर अल्पसंख्यकों पर ही होने वाला है। इस विधेयक का यह प्रभाव होगा कि यह साम्प्रदायिक भावना भूमिगत हो जायेगी और फिर इसे निकाल फैंकना बड़ा ही असम्भव हो जायेगा।

(श्री हेडा पीठासीन हुए)

कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विधान को पारित करने की दिशा में केवल इस दृष्टि से ही शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल की ओर से प्रस्तुत किया गया है। सरकार के निर्माण का सारा ढांचा चुनावों पर आधारित होता है अतः चुनाव निष्पक्ष होने चाहियें और इसके लिये सभी दलों से परामर्श किया जाना चाहिये। इस मामले में यदि विरोधी पक्षों की ओर से कोई लाभदायक सुझाव आता है तो उसे रद्द नहीं किया जाना चाहिये। क्योंकि यह दल का प्रश्न नहीं है। सरकार का व्यवहार और नीति इस दिशा में ऐसी ही होनी चाहिये। इससे सरकार का गौरव कम नहीं होगा बढ़ेगा ही।

इस दिशा में मैं एक अन्य बात को ओर भी सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह कि साम्प्रदायिक नेता लोग अपनी सभायें खुले मैदानों में नहीं कर सकते जहां कि सभी तरह के लोग आ सकें, अथवा प्रश्न पूछ सकें या रुकावट डाल सकें। ये सभायें प्राय: धार्मिक स्थानों पर होती हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि किसी भी उपासना स्थान पर चुनाव सभा न हो सके। उपासना स्थानों पर मतदाताओं का अथवा चुनाव कार्यकर्त्ताओं को बैठक बुलाने वाले उम्मीदवार को चुनाव के अयोग्य घोषित कर दिया जाये। और इस प्रकार के कृत्य को भ्रष्टचार के अन्तर्गत लिया जाये। और यह हमारी नीति के अनुसार है और उस लक्ष्य को पूरा करना है जो कि हमने अपने सामने रखा है। प्रधान मंत्री महोदय ने भी अभी हाल कहा है कि धार्मिक अथवा उपासना स्थानों को राजनीतिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री त्यागी]

उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिये । अतः मेरा निवेदन है कि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाना चाहिये उससे वह सारी समस्या सुलझ जायेगी जिसने सरकार को परेशान कर रखा है ।

†**श्री जोगेन्द्र सेन** (मंडी) : मैं इस संबंध में दो तीन बातें कहना चाहता हूं । हम इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि साम्प्रदायिकता से देश को कितनी हानि पहुंची है । हमारा राज्य निरपेक्ष राज्य है । जो कुछ इस दिशा में पूर्व वक्ताओं ने कहा है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं । किसी धर्म अथवा उपासना के स्थान को राजनीतिक प्रयोजनों के लिये प्रयोग में नहीं लाना चाहिये । और इस प्रकार के कृत्यों को टोकने का सम्भव उपाय किया जाना चाहिये । मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि मतदाताओं के चुनाव स्थान पर लाने के लिए साइकलों और बैलगाड़ियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये । इसके साथ ही मैं इस बात पर भी बल देता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को इस बात की अनुमति दी जानी चाहिये कि वे राजनैतिक सभाओं में जाकर नेताओं के विचारों को सुन सके । ऐसा करने पर हो सकता है कि वे पूर्ण विवेक से अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरा विचार यह है कि माननीय सदस्य उन कठिनाइयों का अनुमान नहीं लगा सके जो कि चुनाव के समय सामने आयेंगी । यह बात जो कि श्रीमती चक्रवर्ती ने कही कि चुनाव के समय इस बार भाषग का प्रश्न प्रमुख होगा अक्षरश: सत्य है । यह प्रश्न निस्सन्देह विवादास्पद भी होगा । इसका परिणाम होगा कि कोई भी मान्नीय सदस्य चुनाव के समय किसी विवादास्पद विषय पर नहीं बोल सकेगा । यदि वह एक बात कहेगा तो दूसरे लोग उसके विरुद्ध हो जायेंगे । जो बात भाषा के संबंध में ठीक होगी वह जाति धर्म और समुदाय के बारे में भी ठीक होगी । अत : मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में मैंने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार कर लिया जाये । इससे यह समस्या का अच्छा हल हो जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : मैं अपने संशोधन संख्या ११, १२ और १४ प्रस्तुत करता हूं । मेरे संशोधन भी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती की तरह ही हैं जो कि संख्या २१, २२ और २३ हैं इस सम्बन्ध में काफी कुछ कहा जा चुका है और मैं भी कुछ बातें कहूंगा ।

मेरा निवेदन है कि मूल अधिनियम की धारा १२३ की उपधारा (५) सम्बन्धी उपबन्धों को हटा दिया जाना चाहिए । जहां तक प्रथम परन्तुक का सम्बन्ध है, यह सिद्ध करना कठिन है कि क्या गाड़ियों की व्यवस्था स्वयं उम्मीदवार ने की है अथवा मतदाताओं ने स्वयं उन्हें किराये पर लिया है । इसी तरह हमारा परन्तुक भी शरारत के लिये प्रयोग किया जा सकता है । धारा ११३ में जो 'भाषा' शब्द रखा गया है इससे भी शरारत हो सकने की म्भावना हो सकती है और मेरा मत यह है कि इसे निकाल देना चाहिये । ऐसा सम्भव है कि जहां भाषासम्बन्धी कोई विवाद चल रहा हो, वह इस दिशा में अमना कोई मत व्यक्त करना अहितकर हो सकता है तथा इसे भ्रष्टाचार के अन्तर्गत भी लिया जा सकता है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस स्थिति को न्यायपूर्ण समझते हैं ?

सरकार से मेरी अपील है कि उसे मेरे संशोधन स्वीकार कर लेने चाहियें ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : मैं श्री भरूचा के संशोधनों का समर्थन करता हूं । मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के औचित्य का एक भी तर्कसंग कारण

†मूल अंग्रेजी में

नहीं बताया है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता कि वह इस समस्या का हल थोड़ा बुता-द्धिम पूर्ण ढंग से करे। मेरा मत तो यह है कि उन लोगों को दण्ड नहीं दिय जाना चाहिये जो कि संसद और लोगों का ध्यान देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं की ओर आकर्षित करे। म यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस ढंग से उपरोक्त रोग का उपचार किया जा रहा है वह रोग से भी अधिक भयंकर है।

†**श्रीमती इला पाल्चौधरी** : धार्मिक स्थानों पर प्रचार करने की बात कही गयी है परन्तु मेरा निवेदन है कि इस दिशा में भेदभाव करना सरल कार्य नहीं है। मेले इत्यादि जहां लगते हैं यदि ऐसे स्थानों में चुनाव सभायें हों और वहां भाषण किया जाय तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। यह तो सर्वविदित है कि धार्मिक सभायें आम तौर से किसी मस्जिद, मन्दिर अथवा गिरजाघर में होती है। परन्तु यदि लोग इन स्थानों से बाहर आ जायें और बैठकों में भाग लें तो आप उसे धार्मिक सभा में भाग लेना नहीं कह सकते। यदि ऐसे कोई अवसर का लाभ उठा कर उम्मीदवार अपने विचार लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है तो इसे कदापि बुरा नहीं कहा जा सकता। इस चीज के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये।

मैं अपने संशोधन पर जोर देती हुई यह कहना चाहती हूं कि यदि विधेयक के खण्ड १३ में 'भाषा' शब्द को रहने दिया गया तो उससे बहुत हानि होगी। इसे हटा देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो उद्देश्य हम इस विधेयक द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उससे वंचित रह जायेंगे। और कई नयी कठिनाइयां पदा हो जायेंगी।

†**श्री हिनिटा** (स्वायत्त जिले-रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां): जिस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशेषकर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये तो यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। भाषा को नष्ट करने का जहां तक प्रश्न है हम इसका पूरा मुकाबला करेंगे। एक ओर तो आसाम के लोगों को कहा जाता है कि हम आपकी भाषा की रक्षा करेंगे परन्तु जो कुछ हो रहा है यह सब इस बात के विपरीत है।

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस प्रकार का एक संकल्प राज्य सरकार के एक भवन में पास किया गया जिस का अभिप्राय यह था कि जो क्षेत्र असमिया भाषा को राज्य भाषा के रूप में नहीं मानना चाहता उसे भारत के राजनैतिक नक्शे से निकाल देना चाहिये।

†**श्री नि० वि० माईति** (घाटल) : क्या यह राज्य सरकार का प्रकाशन है ?

†**श्री हिनिटा:** यह राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय भवन में पास किये गये एक संकल्प के सम्बन्ध में समाचार है।

समाचार दिया किसने, यह महत्वपूर्ण नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार की एक इमारत में ऐसा नीति विषयक संकल्प पारित किया जा सकता है ? और राज्य सरकार ने दण्ड देना तो दूर, उनको बचाने की कोशिश की है। लेकिन यादि मैं मतदाताओं से कहुं कि मैं आदिमजातियों का अस्तित्व बनाये रखने के लिये संघर्ष करूंगा तो इस व्यवस्था के अन्तर्गत मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

संविधान के अनुच्छेद २६ में कहा गया है कि भारत में रहने वालों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार होगा। लेकिन यादि मुझे जनता से कहने का अधिकार न दिया जाये कि मैं अपनी विशिष्ट भाषा की रक्षा के लिये संघर्ष करूंगा, तो इस अनुच्छेद से क्या लाभ ?

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री हनिटि]

इसलिये विधि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये और सभी अल्पसंख्यकों के हित को ध्यान में रखते हुए, "भाषा" शब्द को हटा देना चाहिये। सभी सदस्यों ने यही बात कही है। यदि मैं भाषा के प्रश्न को चुनाव में नहीं उठा सकता, तो फिर कहां उठाऊंगा? तब तो फिर इसका निबटारा सड़कों और जंगलों में ही किया जा सकता है। जैसा कि नागा लोग कर रहे हैं। नागा क्षेत्र में यह झगड़ा शुरू करने का दायित्व आसाम सरकार पर है और केन्द्र ने आसाम सरकार को उसकी छूट दी है।

नागा जातियों की स्वतन्त्रता की मांग करने वाले नेताओं ने कभी भी हिंसात्मक तरीका अपनाने की बात नहीं सोची थी। लेकिन आसाम सरकार ने ही उनको सबक सिखाने की कोशिश की थी और उसका नतीजा आप देख चुके हैं।

किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि भाषा एक वह मन्दिर है जिसमें उसे बोलने वालों की आत्मा निवास करती है।

इसीलिये मेरी अपील है कि किसी भी भाषा का दमन करने का प्रयास न किया जाये। सभी भाषा-भाषियों के सम्मिलित व्यक्तित्व को ही भारतीय राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाये।

†**श्री अ० कु० सेन** : विचार-प्रस्ताव सम्बन्धी सारी चर्चा खण्ड २३ और २४ पर ही केन्द्रित रही है और मैं इन दोनों का प्रयोजन काफी विस्तार से समझा चुका हूं। इसलिये मेरा ख्याल था कि मुझे दुबारा इन पर नहीं बोलना पड़ेगा।

खण्ड २३ के सम्बन्ध में श्री हिनिटा ने जो आशंका व्यक्त की है, वह बिल्कुल निराधार है। वह अपनी भाषा का प्रचार और इसकी रक्षा कर सकेंगे। उससे उनको कोई वंचित नहीं करेगा। इसलिये कि वैसा करना संविधान के अनुच्छेद १९ के विरुद्ध होगा और तब वह व्यवस्था किसी भी न्यायालय को मान्य नहीं होगी।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार निर्वाचन विधि में मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न असंगत है। यदि कोई चाहे तो निर्वाचन में भाग न ले।

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का तर्क ठीक से नहीं समझा। निर्वाचन के सम्बन्ध में, संसद् जैसा भी विधान बनाना चाहे, बना सकती है, संविधान का परिच्छेद ३ उसके आड़े नहीं आयेगा। लेकिन निर्वाचन विधि की आड़ में जनता को मूलभूत अधिकारों से तो वंचित नहीं किया जा सकता। निर्वाचन विधि किसी को उसकी भाषा बनाये रखने के अधिकार से तो वंचित नहीं कर सकती।

हां, चुनाव आप इस नारे पर नहीं लड़ सकते कि अमुक व्यक्ति अमुक भाषा बोलता है इसलिये उसे वोट न दो। यही इस व्यवस्था का प्रयोजन है। अन्य भाषा बोलने वाले को वोट न दो, यह नारा नहीं लगाया जा सकता।

†**श्री त्यागी** : यदि पंजाब में भाषा को चुनाव का आधार बनाया जाये, तो क्या वह विधि-सम्मत होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : चुनाव का आधार बनाना एक भिन्न चीज है। प्रश्न तब उठेगा जब पंजाबी सूबे को चुनाव का आधार बनाया जाये। लेकिन अभी हमें उससे सरोकार नहीं। कई ऐसे लोग हैं जरूर, जिनका पंजाब से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, पर वे पंजाबी सूबे की मांग का समर्थन करने के लिये उतावले रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संविधान ने उन को इसका अधिकार भी दिया है। वे कर सकते हैं। यहां हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह एक बड़ी बारीक सी चीज है। बड़ा सूक्ष्म सा अन्तर है दोनों में। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे वोट दो क्योंकि मैं एक खास भाषा बोलता हूं और दूसरा कहता है कि मेरे विरोधी को वोट मत दो क्योंकि वह अमुक भाषा-भाषी है। इसी दूसरी बात पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।

मैं जानता हूं कि कुछ राजनीतिक हितों के कारण भाषा के प्रश्न को बड़ा विकृत रूप दे दिया गया है। श्री हिनिटा ने बड़ी कवित्व भाषा में भाषा के महत्व का बखान किया है, उसकी परिभाषा की है। भाषा का काम मानव की आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति करना है, जैसे चित्रकार अपनी तूलिका से रंगों द्वारा और मूर्तिकार अपनी छैनी से पाषाण के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। यहां हमें भाषा के कला-पक्ष, उसके सौष्ठव से मतलब नहीं है। अभी हम भाषा और संस्कृति के परिरक्षण के मूलभूत अधिकारों पर भी बहस नहीं कर रहे हैं। सौभाग्य से हमारे देश में, अन्य देशों से कहीं अधिक सीमा तक, यह अधिकार सभी को प्राप्त है। शासक दल के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोग, अक्सर यह भूल जाते हैं कि शासक दल ने ही सबसे पहले यह अधिकार जनता को दिलाया है, उसी ने संविधान की रचना की है।

यदि शासक दल संविधान में ऐसी व्यवस्था रखने का विरोधी होता तो किसी को यह अधिकार न मिल पाता; क्योंकि संविधान सभा में विरोधी दलों के केवल १३ सेदस्य थे।

लेकिन आज एक फैशन सा बन गया है कि देशमें जितनी भी बुराइयां हैं उन सबका दोष शासक दल के ही माथे मढ़ा जाता है। मुझे दुःख होता है जब कोई व्यक्ति हमारे प्रधान मन्त्री को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करने वाला बताता है। मैं उनके निकट एक अर्से तक रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि उनके हृदय में अल्पसंख्यकों के लिये कितनी जगह है, वह अल्पसंख्यकों को पीड़ित नहीं देख सकते। कुछ मामलों में उनसे गलती भी हो सकती है, लेकिन कुछ मामलों में उनके शब्द समूचे राष्ट्र को वाणी देते हैं। उनको गिराने की कोशिश करना राष्ट्र की प्रगति को ठप्प करना है। उन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया है। इसीलिये उनके विरोध में यदि कुछ कहा जाता है तो मुझे हार्दिक पीड़ा होती है।

अभी एक माननीय सदस्य ने मुझसे अपील की थी कि मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ कर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करूं। उनका आशय शायद यही था कि मैं उनकी अपील प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दूं।

लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी किसी अपील की आवश्यकता नहीं है। इसलिये कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के हितों की ओर संविधान बनने के बाद इस जन निर्वाचित सरकार ने ध्यान दिया है, उतना पहले कभी किसी ने भी नहीं दिया था। पिछले दो सौ वर्ष से ब्रिटिशशासक हमारे देश पर शासन करते रहे थे। उन्होंने इनका दमन किया था। स्वतंत्र देश की संसद् ने ही सबसे पहले उनके कल्याण के लिये नीति निर्धारित की थी।

इसी से स्पष्ट है कि इस संसद् पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाना कहां तक संगत और उचित है। खासी जाति और अन्य पर्वतीय जातियों के बारे में स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा था कि कई बातों में वे हमसे कहीं आगे हैं। उनको पिछड़ा हुआ कहना ग़लत है।

†**श्री हिनिटा** : लेकिन कई बातों में वे बहुत पिछड़े हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : इस तरह तो कई बंगाली भी में बहुत पिछड़े हुए हैं। सभी तो समान नहीं। दो सौ साल तक विदेशी सत्ता की गुलामी की बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहा शिक्षा का नाम तक नहीं है। खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य—इत्यादि समस्यायें सारे देश की हैं।

इसलिये ऐसे कल्याण के लिये अपिल करने की वास्पव में कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी संसद् आरम्भ से ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिये कटिबद्ध रही है। संसद् ही भाषा और संस्कति को रक्षा के मूलभूत अधिकार की प्रहरी है। उसे कोई नहीं छीन सकता।

कुछ अन्य हित साधने के लिये भाषा के मूल प्रश्न को अन्य प्रश्नों के साथ गड़बड़ाना गलत होता। सभी जानते हैं कि तमिल भाषा के नाम पर संस्कृत और हिन्दी की पुस्तकों की होली तक जलाई गई है। क्या तमिल भाषा संस्कृत और हिन्दी को गिराकर और आसामी भाषा बंगला को स्कलों को बन्द कराकर ही पनप सकती है? संसद् को देश में वैमनस्य और विभाजन-कारी प्रवृत्तियां बढ़ाने वाली चेष्टाओं का सामना करना ही पड़ेगा।

†श्री तंगामणि : संस्कृत की पुस्तकें तो कभी भी नहीं जलाई गईं। दक्षिण भारत के लोगों को एक रगस कथा से चिढ़ है, इसी लिये तमिल भाषा की कहानियां की पुस्तकें ही जलाई गई थीं। किसी भी भाषा से उनको चिढ़ नहीं है।

†श्री अ० कु० सेन : हमारे देश में कुछ लोग सोचते हैं कि अन्य भाषाओं को गिराकर ही उनकी भाषा पनप सकती है। वे भूल जाते हैं कि भारत की अधिकांश भाषायें या तो संस्कृत से निकली हैं, या उसकी परम्पराओं से अत्यधिक प्रभावित हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत सदा से एक रहा है। प्राचीन काल में उत्तर भारत के लोगों को दक्षिन भारत के तीर्थों में और दक्षिण भारत के लोगों को उत्तर भारत के तीर्थों में जाकर ऐसा नहीं लगता था, जैसे विदेश में आगये हों, हालांकि भाषायें भिन्न थीं। तभी तो अमरनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे तीर्थों में नम्बूदरी ब्राह्मण पुजारी मिलते हैं। इसलिये हमें भाषा के प्रश्न को असंगत प्रश्नों के साथ गढ़बड़ाना नहीं चाहिये।

लेकिन समस्या यह है कि क्या हम किसी व्यक्ति को मतदाताओं से इस आधार पर वोट मांगने की अनुमति देंगे कि वह एक खास भाषा-भाषी है या यह कि विरोधी उम्मीदवार एक खास भाषा-भाषी या एक खास धर्म का अनुयायी है इसलिये उसे वोट न दें? यदि हम ऐसा नहीं चाहते, तो हमें इसका समर्थन करना पड़ेगा। अल्पसंख्याकों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : उप-खण्ड की शब्दावली के अनुसार धर्म और जाति के आधार पर घृणा फैलाना अपराध है। यदि में अपने मतदाताओं से कहूं कि बंगला भाषा के प्रेमी मुझे या मेरे दल को ही वोट दें, तो क्या मुझे उसकी अनुमति दी जायेगी?

†श्री अ० कु० सेन : यदि आप केवल बंगला-भाषियों का एक दल बनायें, अन्य भाषा-भाषियों से प्रथक उनके विरोध में, तो उसे केवल बंगला-भाषियों के क्षेत्र में ही वोट मिलेंगे। लेकिन यदि आप कहैं, श्री हिनिटा की भांति, कि किसी क्षेत्रमें बंगला-भाषायों के स्कूल बन्ध किये जा रहे हैं, भाषा का दमन किया जा रहा है, तो आप चुनाव के अतिरिक्त मूलभूत अधिकारों की रक्षा का प्रश्न भी उठायेंगे। वह बिलकुल अलग बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह तो कोई अच्छा चुनाव-प्रचार नहीं होगा कि सभी बंगाली या सभी आसामी मुझे वोट दें। धर्म के आधार पर इसी तरह के भाषण हम मुस्लिम लीगी मंचों से बहुत बार सुन चुके हैं। इसलिये इसमें अल्पसंख्यकों के जीवन-मरण का कोई प्रश्न सम्भिलित नहीं है। सवाल केवल एक शब्द जोड़ने का नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि हम किस प्रकार की भ्रष्ट कार्यवाहियों को रोकने के लिये यह व्यवस्था कर रहे हैं।

†**डा० मा० श्री० अणे** : भारतीय दण्ड संहिता की एक धारा को यहां १२३ (३क) में ज्यों का त्यों दोहराने का क्या प्रयोजन है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : धारा १२३ (३क) निर्वाचन सम्बंधी कुरीतियों से सम्बंधित है। दण्ड संहिता के संशोधन से इसका कोई सम्बंध नहीं। वह उन वयक्तियों की कार्यवाहियां रोकने के लिये है जो विभिन्न वर्गों में वैमनस्य फैलाते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : सरकार निर्वाचन सम्बंधी प्रचार के लिये धार्मिक पूजा के स्थानों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाना चाहती ?

†**श्री अ० कु० सेन** : उसकी आवश्यकता नहीं। स्पष्ट है कि सभी उसके विरुद्ध हैं।

हम वास्तव में भारतीय दण्ड संहिता और लोक प्रति-निधित्व अधिनियम में इसके लिये कुछ नयी व्यवस्थायें करने की सोच रहे हैं, और देखना चाहते हैं कि उनसे समस्या कहां तक हल होती है। समस्या विधि बनाकर, फिर उसे प्रवृत्त करने की है।

सही है कि आज कल कुछ ऐसे धार्मिक स्थान हैं, एक तो लोक सभा के बिलकुल ही पास है, जो राजनीतिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं, यहीं तक कि एक सूबा बनवाने के लिये वहां अनशन तक किये जाते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : केरल में भी यही हुआ है।

†श्री अ० कु० सेन : यदि हुआ है, तो उतना ही बुरा है।

†**श्री त्यागी** : यदि वहां सभायें करने पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा, तो निर्वाचन याचिकाओं से बचने के लिये, वे खुद ही सभायें नहीं करेंगे।

†**श्री मणियंगाडन** : (कोट्टयम) : माननीय सदस्या तो चर्च के भीतर पोप के प्रवचनों पर भी आपत्ति करती हैं। उसे तो कोई नहीं रोक सकता। वह चुनाव संबंधी प्रचार तो नहीं होता।

†**श्री अ० कु० सेन** : धार्मिक पूजा के स्थान के बाहर हो या भीतर, यदि धर्म के नाम पर वोट देने के लिये कहा जायेगा तो वह इस धारा की पकड़ में आजायेगा। हमने बाहर या भीतर स्पष्ट शब्द नहीं रखा है।

सरकार चलाने वालों की स्थिति भी बड़ी विचित्र होती है। यदि सरकार स्पष्ट शब्द न रखे तो भी लोग विरोध करेंगे और यदि सरकार स्पष्ट शब्द रख दे, तो लोग कहने लगेंगे कि सरकार धार्मिक स्थानों में भी हस्तक्षेप करना चाहती है।

वैसे मेरा अपना ख्याल है कि धारा का क्षेत्र इतना व्यापक है कि बाहर और भीतर की सभी आपत्तिजनक कार्यवाहियों को उसकी पकड़ में लिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

धार्मिक पूजा के स्थानों के सम्बन्ध में एक दूसरा संशोधन करने का हमारा विचार है । यह प्रश्न उसी से सम्बंधित है । मैं कह ही चुका हूं कि धार्मिक पूजा के स्थानों के भीतर बहुत सी आपत्तिजनक कार्यवाहियां चल रही हैं । हमेशा तो हम उनके खिलाफ़ पुलिस-बल का प्रयोग नहीं कर सकते ।

पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री का नाम शामिल करके एक निर्वाचन याचिका पेश की गई थी । इसका उल्लेख भी किया गया था । निर्वाचन न्यायाधिकरण ने उसे रद्द कर दिया था ।

निर्वाचन न्यायाधिकरण को इस पर विश्वास नहीं आया कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० राय ने नागोधा मस्जिद के इमाम से धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करवाई होगी । आरोप यह था कि इमाम ने कहा कि यदि तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे, तो जहन्नुम में जाओगे । इस्लाम के मानने वालों को कांग्रेस को वोट देना चाहिये । डा० राय ने इस प्रकार उनकी सहायता ली । याचिका यही थी । न्यायाधिकरण ने उसे रद्द कर दिया था ।

यह खेद का विषय है कि न्यायाधिकरण द्वारा रद्द किये जाने के बाद भी यह आरोप फिर सदन में दोहराया जाता है । किसी के लिए ऐसा करना, चाहे वह मुख्य मंत्री ही क्यों न हो, ठीक नहीं । वास्तव में यह निषिद्ध है । संशोधन के बाद जब 'नियमित रूप से' शब्द हटा दिये जायेंगे, इस आधार पर एक अपील होने पर भी उम्मीदवार भ्रष्टाचार के उपबन्ध के अन्दर आ जायेगा । इस लिए, जिन्होंने यह उदारहण दिया है, उन्हें इस नये संशोधन का स्वागत करना चाहिए ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** (जोरहाट): एक औचित्य प्रश्न के हेतु मैं कहना चाहती हूं श्री हिनिटा ने आसाम सरकार की जो आलोचना की है, मुझे इस पर आपत्ति है । उनके शब्द वाद विवाद से निकाल देने चाहियें ।

†**सभापति महोदय :** यह प्रश्न उसी समय उठाना चाहिए था । इस में कोई औचित्य प्रश्न नहीं है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या ११ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १९ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मतविभाजन हुआ । पक्ष में २६, विपक्ष में १५४ ।

संशोधन संख्या १९ अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २१ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मतविभाजन हुआ पक्ष में ३१, विपक्ष में १५३ ।

संशोधन संख्या २१ अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मतविभाजन हुआ । पक्ष में ३१, विपक्ष में १५३ ।

संशोधन संख्या २२ अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३३ मतदान के लिये रखा गया ।

सभा में मतविभाजन हुआ । पक्ष में ३४, विपक्ष में १५२ ।

संशोधन संख्या ३३ अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २०, २३, ६, ३१, १२ तथा १४ रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २४ तथा २५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २६

†**श्री संगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या १५ प्रस्तावित करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ३४ प्रस्तुत करता हूं और साथ ही मैं अपना संशोधन संख्या ३६ भी प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३३, के अन्त में यह जोड़ दिया जाये ।

"Or routine instructions to election agents or workers"

["या चुनाव एजेन्ट तथा कर्मचारियों को सामान्य निदेश"] (३६)

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ७, पंक्ति १५ में

"Immediately" ("तत्काल") के स्थान पर "Within a reasonable time" ["उचित समय के अन्दर"] शब्द रखे जायें (२६)

†**श्री संगामणि** : धारा १२७ (क) के अन्तर्गत आप ने जो प्रतिबन्ध लगाया है, उस से बहुत से पोस्टर और इश्तिहार बन्द हो जायेंगे ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुईं]

इस विचार से धारा १२७ (क) के उपखंड (२) (क) को निकाल देना चाहिए ।

†**श्री त्यागी** : क्या साइक्लोस्टाइल्ड या चिट्ठया पैम्फलैट पर भी यह खंड लागू होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी हां ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मेरे विचार में यह उचित होगा यदि हम चुनाव पुस्तिकाओं की श्रेणी में से वे पुस्तिकाएं निकाल दें जिन में कर्मचारियों को सामान्य निदेश दिये गये होते हैं । ये इस लिए छापे जाते हैं कि चुनाव के समय हजारों कर्मचारी होते हैं । संशोधन संख्या ३६ स्वीकार कर लेना चाहिए ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : जहां तक चुनाव के पैम्फलैट आदि छापने का सम्बन्ध है, मुद्रणालयों को ही इस के लिए, उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए । ऐसा करने से ही खंड प्रभावी हो सकेगा । अकेले मुद्रक पर यह दायित्व डाल देने से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि यदि किसी पैम्फलेट की कार्बन कापियां कराई जायें, तो क्या इसे भी छपाई समझा जायेगा ? दूसरे यह बताया जाये कि यदि चुनाव सम्बन्धी पोस्टर चुनावों को घोषणा से पहले जारी कर दिये जायें, तो क्या वे इस उप खंड के अन्तर्गत आ जायेंगे ?

†**श्री अ० कु० सेन :** टाइप की हुई कापियां, मुद्रण की परिभाषा में नहीं आतीं, क्योंकि अधिक से अधिक पांच या छ: कार्बन कापियां बनाई जा सकती हैं ।

कोई पैम्फलैट जिस का सम्बन्ध अगली फरवरी में होने वाले चुनावों से है यदि आज प्रकाशित किया जाता है, वह इस खंड के अन्तर्गत आ जायेगा । शर्त केवल यह है कि छपवाने से पहले मुद्रक मुद्रणालय द्वारा आम ज्ञात कराया जाना चाहिए ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १५ और ३४ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

†**सभापति महोदय ।** प्रश्न यह है :

"पृष्ठ ७, पंक्ति १५ में " Immediately " ("तत्काल") के स्थान पर "Within a reasonable time" ["उचित समय के अन्दर"] शब्द रखे जायें (२६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ७, पंक्ति ३३ के अन्त में यह जोड़ दिया जाये

"Or routine instructions to election agents or workers"

["या चुनाव एजेन्ट तथा कर्मचारियों को सामान्य निदेश"] (३६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

" कि खंड २६ संशोधित रूप मे विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड २७ से २९ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

" कि खंड १ अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री अ० कु० सेन :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाय"

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री ब्रजराज सिंह (फ़िरोजाबाद) : सभानेत्री जी, सरकार के जिस शक्ल में यह कानून रखा था और सिलैक्ट कमेटी ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी, इसको उसी शक्ल में पास करने जा रहे हैं । इस वक्त भी मैं सरकार से कुछ आश्वासन चाहूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानता हूं कि कानून बन जाने के बाद सरकार द्वारा दिए हुए आश्वासन कोई विशेष महत्व नहीं रखते खास तौर पर ऐसी हालत में जब कि इस कानून का असर पड़ेगा उन लोगों पर तो इलैक्शन लड़ेंगे और इलैक्शन पैटीशंज़ द्वारा उनकी इलैक्शंज़ को चैलेंज किया जाएगा लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि उस कानून के अन्तर्गत जो नियम बनाये जायं उनमें इस बात का ध्यान रखा जाए या और जिस तरीके से भी हो सके इस बात को ध्यान में रखा जाए कि लोगों के जो अधिकार हैं और खास तौर से दबे पिसे और शोषित पीड़ित लोगों के, या जिन की मात भाषाओं के उत्थान का सवाल है, उनको दबाने के लिए कभी भी इस कानून का उपयोग नहीं किया जाएगा। मैं समझता हूं कि यदि सरकार ने इस लक्ष्य को अपने सामने रखा तो जो हम लोगों की आशंकायें हैं इस कानून के बारे में उनको बहुत कुछ कम किया जा सकेगा।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखेगी और नियम बनाते समय कुछ न कुछ इनके बारे में करेगी।

श्री अ० कु० सेन : मेरे मित्र श्री ब्रज राज सिंह ने जो आश्वासन मांगा है, मैं दिल से और खुशी के साथ वह आश्वासन देता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप मे, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक

†**सभापति महोदय** : अब सदन भारतीय रेलवे (संशाधन) विधेयक लेगा।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : श्री जगजीवन राम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।

विधेयक में प्रवर समिति ने बहुत कम परिवर्तन किये हैं। केवल खंड ११ और १३ को संशोधित किया जाता है। खंड ११ में जो निरर्थक पुनरावृत्ति है, उसे दूर किया जाना है। खंड १३ में, धारा ७३ (ड) केवल स्पष्टीकरण के लिये है। इसके अतिरिक्त प्रवर समिति ने कोई संशोधन नहीं किया।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : मैं विधेयक का स्वागत करते हुए केवल एक दो बातें कहूंगी। इस बात को देखते हुए कि रैलवे अपने ऊपर और दायित्व ले रही है और दावों के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दे रही है यह आवश्यक हो जाता है कि गोदामों तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में भी सुधार हो ताकि इन दायित्वों को भली भांति पूरा किया जा सके।

दूसरी बात माल को जल्दी लाने लेजाने का है। इस बारे में बहुत शिकायतें आती हैं कि रेलवे माल के यातायात के भार को नहीं संभाल सकती। इस संबंध में सरकार को दक्षिण खंड में, जहां कोयले की कमी है, विशेश कर दक्षिण रेलवे में, कोयला संग्रह स्थान बनाने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। माल गाड़ियों के डिब्बों की कमी के सवाल पर भी ध्यान देना आवश्यक है। सरकार को यह देखना चाहिये कि जिन फर्मों को ठेके दिये गये हैं, वे निधारित समय में अपना काम पूरा करके दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १३ के अन्तर्गत, जो छूटें दी गयी हैं, उन्हें कार्यक्षमता के हित में कम करना चाहिये।

†श्री दामानी (जालोर) : प्रवर समिति ने विधेयक में स्पष्ट रूप से सुधार किया है।

पैकिंग के दोषों का माल भेजने के लिये स्वीकार करते समय माल भेजने वालों को बता देना चाहिये। लोगों को कठिनाइयों से बचाने के लिए पैकिंग के नमूने यथासंभव शीघ्र सूचित करने चाहिए।

विधेयक में यह बात अच्छी है कि रेलवे तीस दिन तक माल रखने की जिम्मेदारी लेगी और वह ५०० रुपये तक के मूल्य पार्सलों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने उत्तदायित्व पर ले जायेगी।

जब रेलवे द्वारा माल भेजने के लिये दिया जाये, तो उसी समय निरीक्षण करके देख लेना चाहिये कि माल खराब तो नहीं है। इसकी जिम्मेदारी रेलवे पर होनी चाहिये।

रेलवे को यार्ड में रखे गये किन्तु तत्काल भेजने के लिए स्वीकार न किये गये माल के लिये कच्ची रसीद देनी चाहिये। पक्की रसीद बाद में दी जा सकती है।

क्षतिपूर्ति और दावों के मामलों को निबटाने में जो विलम्ब होता है, उस से जनता को बहुत परेशानी होती है। इनको निपटाने के लिये ३ या ६ महीने की अवधि निर्धारित कर देनी चाहिये। इस समय मामले कई-कई साल तक लम्बित रहते हैं।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति जी, यह संशोधन आज से कई साल पहले आना चाहिये था। दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश में रेलवे ऐसा महसूस करती है कि जो माल वह ले जाती है उसके सही सलामत पहुंचने की उसकी जिम्मेवारी नहीं है। बहुत समय पहले ही रेलवे को यह जिम्मेवारी अपने ऊपर लेनी चाहिये थी कि वह जो सामान ले जा रही है, जिसका किराया उसे दिया जा रहा है, वह जिसके लिये सामान ले जा रही है उसको उसी शक्ल में मिलेगा। लेकिन "देर आयद दुरुस्त आयद" कहावत के मुताबिक अब जो संशोधन लाया जा रहा है वह आम तौर से स्वागत के लायक है।

लेकिन इसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिससे कि इस संशोधन विधेयक का लक्ष्य सम्भवः पूरा नहीं होगा। वास्तव में यदि इसके लक्ष्य को पूरा करना है तो रेलवे को उन सभी सामानों की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ओढ़नी चाहिये जिनको वह किराया लेकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेवारी लेती है। इस तरह की व्यवस्था इसमें नहीं रखनी चाहिये कि अगर कहीं बाढ आ गयी या कोई और ऐसी बात हो गयी और उसकी वजह से सामान उसी शक्ल में न पहुंच सके तो वह जिम्मेदारी रेलवे की नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि अब तक रेलवे जिस शक्ल में सामान लेती थी उस शक्ल में अगर वह न पहुंचे तो यह उसकी जिम्मेवारी नहीं थी। मुझे लगता है कि इस व्यवस्था के रहते जो रेलवे द्वारा अपना माल भेजेंगे उनको इस बात की पूरी सुरक्षा नहीं रहेगी कि उनका माल उसी शक्ल में अपने डेस्टीनेशन पर पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि जो एक्सेपशन रखे गये हैं उनसे रेलवे अदालतों द्वारा अपनी जिम्मेवारी से बच निकलेगी या बच निकलने की कोशिश करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

असल बात तो यह है कि इस कानून में ऐसा आश्वासन होना चाहिये कि जो अपना माल रेलवे को ढोने के लिए देता है उसके मन में यह विश्वास रहे कि जिस शक्ल में उसने माल दिया है उसी शक्ल में वह पहुंचेगा। यदि ऐसी व्यवस्था कानून में नहीं रखी जाती है जिससे जनता के मन में विश्वास पैदा हो तो जो अपना माल रेलवे को ढोने को देंगे उनके मन में बड़ी आशंका रहेगी।

मैं ने कई जगह यह आश्चर्य के साथ देखा है कि रेलवे जिस सामान को लेकर ढोती है उसको खुद ही कभी-कभी हड़प कर जाती है, और एक बार जब यह प्रश्न इस सदन में उठाया गया तो रेलवे मंत्री महोदय इसके अलावा और कुछ न कह सके कि इस प्रकार का एक कनवेंशन चला आ रहा है कि जब कभी हमें कोयले की कमी हो तो हम प्राइवेट पार्टीज का कोयला जिसको हम ढो रहे हैं, उसको खुद ले लें और उसको वापस भी न करें। मैं आशा करता हूं कि इस कानून के पास हो जाने के बाद भविष्य में ऐसी कोई स्थिति नहीं आयेगी कि रेलवे को ऐसा करने का मौका मिले और बाद में कह दिया जाये कि ऐसा कनवेंशन पहले से चला आ रहा है। यह कनवेंशन आजादी मिलने के पहले का है और इसलिए आजादी मिलने के बाद और हमारा संविधान लागू हो जाने के बाद इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रह सकती कि जो माल रेलवे के सुपुर्द किया गया है ढोने के लिए उसे वह अपने इस्तैमाल में ले आये और कह दे कि इस तरह का कनवेंशन पहले से चला आ रहा है इसलिए इस माल को उसने ले लिया। आप विश्वास करेंगे कि जिस समय तक ऐसी व्यवस्था रहेगी उस समय तक जो लोग रेलवे को अपना माल ढोने के लिए देते हैं उन के दिमाग में उसके बारे में आशंका रहेगी और वे समझेंगे कि रेलवे केवल माल ढोने वाली संस्था ही नहीं है वह उससे ऊपर भी कुछ है, यानी सरकार का एक विभाग है। इसके सरकारी विभाग होते हुए भी अगर हमको अपने इस पब्लिक अंडरटेकिंग को सफल बनाना है तो हमको जनता के मन में यह विश्वास पैदा करना होगा कि भले ही यह काम सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, लेकिन फिर भी जनता की सेवा करने के लिए है और कभी भी इस तरह की बात नहीं होगी जिससे जनता के दिमाग में यह आशंका पैदा हो कि जिस माल को हम दे रहे हैं उसको यह संस्था खुद खा जायेगी। मैं आशा करता हूं कि इस बिल के पास होने के बाद भविष्य में रेलवे किसी भी माल को जो उसे ढोने के लिए दिया जायेगा अपने इस्तैमाल में नहीं लायेगी यह बहाना बना कर कि अगर उसको हम अपने इस्तैमाल में न लाते तो रेलवे बन्द हो जाती। आखिर जिन चीजों की रेलवे को आवश्यकता हो सकती है उनके लिए पहले से योजना होनी चाहिए और उनका पहले से स्टाक होना चाहिए, और ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि वह जिन लोगों का माल ढो रही है उसको अपने इस्तैमाल में ले आवें। मैं आशा करता हूं कि इस कानून में इस तरह की कोई व्यवस्था की जायेगी और अगर इस कानून में ऐसी व्यवस्था न की जा सके तो रेलवे मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी कार्रवाई रेलवे की ओर से नहीं होगी जिससे जनता यह सोचे कि जो माल उसने भेजा है वह सही सलामत अपने लक्ष्य पर पहुंचेगा या नहीं या कहीं रेलवे स्वयं ही तो उसको यह कह कर इस्तैमाल नहीं कर लेगी कि पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए ऐसा करने की जरूरत थी।

जब हम सामान ढोने के लिए किराया दे रहे हैं तो कोई ऐसी दलील नहीं दी जा सकती कि क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए जरूरत है इसलिए हम यह माल ले रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो जनता के मन में यह बात अवश्य पैदा होगी कि यह सरकारी विभाग जो हमारा माल ढो रहा है वह किसी प्राइवेट बिजनेस से ऊंचा है। लेकिन जब तक ऐसी भावना जनता के दिमाग में पैदा होगी और इस पब्लिक अंडरटेकिंग में उसका विश्वास पूरी तरह नहीं होगा तब तक हमारे चाहते हुए भी यह पब्लिक अंडरटेकिंग सफल नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि पब्लिक अंडरटेकिंग सफल हो, लेकिन अगर जनता को उसमें पूरा विश्वास नहीं होगा तो जो लोग फ्री एंटरप्राइज के हिमायती हैं वे इस पब्लिक अंडरटेकिंग की आलोचना करेंगे।

हम पब्लिक अंडरटेकिंग के रूप में जो काम करते हैं उसको हमें अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि उसको सफल बनाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि जब इस बिल पर विचार हो रहा है तो इन सारी बातों पर ध्यान दिया जायेगा और मैं समझता हूं कि इन बातों की ओर और जो बातें इस विधेयक का लक्ष्य पूरा करने के मार्ग में रुकावटें डाल सकती हैं उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान जायेगा। अगर कोई ऐक्ट आफ गाड हो या वार हो तब तो रेलवे की जिम्मेवारी नहीं होगी, लेकिन जो चीजें आदमी कंट्रोल कर सकता है उनके लिए रेलवे को जिम्मेवार होना चाहिए और उनकी जिम्मेवारी रेलवे को ओढ़नी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा मैं समझता हूं जनता के मन में यह विश्वास नहीं पैदा होगा कि यह विभाग हमारी सेवा करने के लिए है।

इसी संदर्भ में मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह बात रेलवे प्रशासन की ओर से हो रही है कि जिस शक्ल में माल दिया जाता है उसी शक्ल में नहीं पहुंचाया जाता। बीच में बहुत हड़बड़ होती है और उससे भ्रष्टाचार के लिए भी मौका मिलता है। अगर कोई चीज पैक करके दी जाये और वह उसी शक्ल में अपने लक्ष्य पर न पहुंचे तो इसमें रेलवे प्रशासन की लापरवाही होती है। उसको इतनी लापरवाही से उठाया रखा जाता है कि उसका पैकिंग खराब हो जाता है और वह अपनी सही शक्ल में अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचती, जैसे कांच का सामान है या दूसरी ऐसी चीजें हैं। रेलवे द्वारा जो सामान भेजा जाता है उसके वास्ते रेलवे जिम्मेदारी लेती है कि वह उसको एक जगह से दूसरी जगह ठीक उसी शक्ल में जैसे कि वह भेजा जाता है डैस्टीनेशन पर पहुंचायेगी लेकिन हमारे देखने में आता है कि रेलवे के कर्मचारी लोग जिन पर कि उस सामान को लादने और उतारने आदि का काम होता है वह लापरवाही बर्तते हैं जिसके कारण माल डैमेज हो जाता है और ठीक उसी शक्ल में नहीं पहुंच पाता है जिसमें कि वह बुक होता है। अक्सर बीच में एक गाड़ी से उतार कर दूसरी गाड़ी में चढ़ाने में सामान टूट जाया करता है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो ग्राहक लोग हैं, रेलवे पर सामान भेजने वाले व्यक्ति हैं उनके दिल में विश्वास नहीं रहता कि जो सामान वह भेज रहे हैं वह उसी शक्ल में अपने डैस्टीनेशन पर पहुंच सकेगा। जनता में विश्वास की भावना लाने के लिए मैं समझता हूं कि ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि रेलवे माल की सेफ और सही हालत में डिलीवरी की पूरी जिम्मेदारी ले और अगर माल रास्ते में टूट जाता है अथवा किसी तरह से डैमेज हो जाता है तो उस माल की पूरी कीमत रेलवे को देनी पड़ेगी। ऐसा होने से आप अपने कर्मचारियों पर जिम्मेदारी डाल सकेंगे कि अगर माल बीच में उतारने या चढ़ाने में टूट जाता है या डैमेज हो जाता है तो उनके वतन से उतना रुपया काटा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इससे आपके जो ग्राहक होंगे माल बुक करने वाले और आपको किराया देने वाले उनमें विश्वास पैदा होगा।

अभी मैं देखता हूं कि आमतौर से लोग यह सोचते हैं कि रेलवेज भी अन्य विभागों की तरह एक सरकारी विभाग है और उनके दिल में विश्वास नहीं पैदा होता और मैं रेलवे के मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि इसका बड़ा खतरनाक नतीजा हो रहा है और लोग बजाये रेलवेज से सामान भेजने के ट्रकों से माल भेज रहे हैं हालांकि ट्रक से भेजने में उन्हें अधिक भाड़ा देना पड़ता है लेकिन चूंकि आप उनमें यह विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा रहे हैं इसलिए भाड़ा अधिक देने पर भी वह बजाय रेलवे के ट्रक से सामान पहले से अधिक भेज रहे हैं। उन्हें आप पर इतना विश्वास नहीं है कि जिस शक्ल में वह आपको बुकिंग के वक्त माल दे रहे हैं उसी शक्ल में वह अपने डैस्टीनेशन तक पहुंच जायगा। इस तरह की अविश्वास की भावना ग्राहक के दिल में पैदा होना रेलवे जैसी पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए शोभा की बात नहीं है क्योंकि अगर आपने उनके दिलों से यह अविश्वास दूर नहीं किया तो आज तो चूंकि रेलवे वैगंस की कमी है और वह ज्यादा माल उठाने में असमर्थ है लेकिन आगे चल कर जब स्थिति सुधरेगी और वैगंस की पोजीशन ईज हो जायेगी

तब कहीं ऐसा न हो कि आप के रेलवे के वैगंस् बेकार खड़े रहें और उन पर माल ही ढोने के लिए न हो और पबलिक और व्यापारी अपना सामान ट्रकों के जरिए ले जायें और रेलवे के डिब्बे कुछ समय के बाद खाली जाने लगें। इसलिए . . . .

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

*अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलन

†**श्री इन्द्र जे० मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : २० अप्रैल, १९६१ को एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि १९५९–६० में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने विदेशों में हुए १३ अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों में भाग लिया। इन सम्मेलनों में शामिल होने का करण यह है कि हम विदेशी पर्यटक यातायात को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मेलनों में किये गये निर्णयों और सिफ़ारिशों से पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायता मिली है।

भारत सरकार ने गत दस वर्षों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाये हैं उन से सफलता तो मिली है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा ये प्रयत्न पूरे दिल से नहीं किये गये। यदि हम पूरी लगन से काम करें, तो हमें पर्यटकों से कई गुना अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है।

पर्यटन का गठन करने और पर्यटन सम्बन्धी प्रचार आंदोलन में कोई त्रुटि नहीं रहने देनी चाहिए।

सरकार को चाहिए कि वह पर्यटन सम्मेलनों में किये गये निर्णयों और सिफ़ारिशों के बारे में अधिक जानकारी दे और यह बताये कि उन को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है।

१९५९ और १९६० में पर्यटन सम्बन्धी प्रचार आंदोलन अच्छी तरह चलाये गये हैं। आशा है कि १९६१ को वास्तव में "भारत आओ वर्ष" बना कर दिखाया जायेगा, जैसा कि दावा किया गया है।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब विदेशी पर्यटक हमारा महान देश देखने आयें तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े। पर्यटक कार्यालयों में प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किये जाने चाहिएं और वर्तमान कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए। २६ अगस्त, १९६१ के ब्लिट्ज़ में एक आस्ट्रेलियन ने लिखा है कि बम्बई में सरकारी पर्यटक विभाग के एक कर्मचारी की अज्ञानता के कारण उसे किस तरह परेशानी उठानी पड़ी। जब वह अपने देश में वापिस जायेगा तो वह हमारे देश के बारे में क्या लिखेगा ?

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (बेलोहा बाजार) : क्या हमारे अधिकारियों के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलनों में भाग लेने के कोई उचित कारण हैं और क्या उन से हमारे पर्यटन यातायात पर अच्छा प्रभाव पड़ा है ?

माननीय मंत्री यह भी बतलायें कि ब्लिट्ज़ में छपा लेख कहां तक सही है ?

†**श्री अंसार हरवानी** (फतहपुर) : क्या यह संभव नही था कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत से अधिकारियों को भेजने की बजाय विदेशों में स्थित भारतीय पर्यटन अधिकारियों को उन में भाग लेने के लिए कहा जाता।

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंटे की चर्चा।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप): मैं यह जानना चाहूंगी कि होटल बनाने में कितना रुपया लगाया गया है?

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** (रामानाथापुरम्) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यटन अधिकारियों को यह निदेश जारी किये गये हैं कि वे विदेशी पर्यटकों को भारत से जाते समय आय कर अदायगी प्रमाणपत्र के बारे में असुविधा न होने दें ?

†**श्री नाथ पाई** (रायपुर) : मैं चाहता हूं कि विदेशी पर्यटकों को सीमा शुल्क सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा करने के बारे में कोई परेशानी न होने दी जाये।

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: सब से पहले मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों को विदेश भेजने से पहले उन की विदेश यात्रा की आवश्यकता के सम्बन्ध में पूरी जांच की जाती है। प्रत्येक मामले में सचिवों की समिति जांच करती है और मंत्री-मंडल की स्वीकृति ली जाती है। उचित कारणों के बिना किसी अधिकारी को विदेश नहीं जाने दिया जाता।

जिन १३ सम्मेलनों में हमारे देश ने भाग लिया था, उनमें से ७ सम्मेलनों में स्थानीय अधिकारियों या निदेशकों को भाग लेने के लिए कहा गया था। अधिक महत्वपूर्ण सम्मेलनों में विभागाध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यहां से जाना पड़ा था।

हमारा पर्यटन विभाग कई अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थाओं का सदस्य है। चूंकि पर्यटन एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है इस लिये अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क बनाना आवश्यक है और यह तब तक नहीं हो सकता, जब तक हमारे व्यक्ति विदेश जाकर वहां के लोगों, यात्रा तथा विभाग संस्थाओं, होटल वालों इत्यादि से न मिलें। इस बात को देखते हुए हम घर बैठ कर पर्यटन का विकास नहीं कर सकते, विभिन्न पर्यटन हितों और संगठनों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क बनाना आवश्यक है।

१९५७ से पहले हम पर्यटन पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। किन्तु अब हमें इस के महत्व का अनुभव है और हम कह सकते हैं कि गत १० वर्षों में हमारा पर्यटन यातायात ५०० प्रतिशत बढ़ा है।

यह सच है कि हमारे यहां आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं के अनुसार हमारी सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। उदाहरणतया विमान सेवाएं, होटलों में जगह आदि। किन्तु हम इस का कारण पर्यटन विभाग की अक्षमता या अकमर्णयता नहीं है। इसका कारण हमारी अन्दरूनी कठिनाइयां हैं। होटल उद्योग गैर सरकारी क्षेत्र में है। हम चाहते हैं कि यह उन्नति करे। हमने इसे प्रोत्साहन देने के लिए सब सुविधाए दी हैं। हमें लगभग ३५०० स्थान चाहिएं। मुझे हर्ष है कि कुछ सफलता प्राप्त हो रही है।

श्री नाथ पाई को मैं बताना चाहूंगा कि इस बात को देखने के लिए कि सीमाशुल्क औपचारिकताएं पर्यटकों को असुविधा के बिना पूरी की जा रही है सचिवों और पर्यटन महानिदेशक की एक समिति काम करती है, जो स्वयं हवाई अड्डों का दौरा करती है। यह ठीक है कि हम इस सम्बन्ध में सारी कठिनाइयां दूर नहीं कर सके। यह नहीं कहा जा सकता कि चौर्यानयन के मामले नहीं होते, अवश्य होते हैं और हम चाहते है कि इस कारण हमारी अर्थ व्यवस्था को नुकसान न पहुंचे।

†मूल अंग्रेजी में

इस लिए हमें अधिक सावधान रहना पड़ता है। १६५८ में सीमा औपचारिकताओं सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय को अनुसमर्थन किया गया था, जैसा कि अन्य उन्नत देशों ने किया है।

वास्तव में हमारे सीमा अधिकारियों का काम बहुत कठिन है, एक ओर उन्हें यह ध्यान रखना पड़ता है कि पर्यटकों को कोई असुविधा न हो, दूसरी ओर यह कि चौर्यानियन को रोका जाये। इस सम्बन्ध में हमारे अधिका ी सफलता के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। प्रति मास उच्चतम स्तर पर इस प्रश्न की चर्चा की जाती है और वित्त मंत्रालय को इस का ज्ञान है।

१६५६ और १६६० में पर्यटन के महा निदेशक सरकारी यात्रा संगठनों के अन्तराष्ट्रीय संघ की कार्यपालिका समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए चार बार विदेश गये थे। वह तीन बार भारत सरकार के खर्च पर गये थे किन्तु एक बार अन्तराष्ट्रीय संघ के आमंत्रण और खर्च पर गये थे।

पूछा गया है कि सम्मेलनों में भाग लेने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है और उन के क्या परिणाम निकले हैं। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को पांच नियमों के सम्बन्ध में काम करना पड़ता है। वे ये हैं: सीमा औपचारिकताए, सस्ती यात्रा, मन्जिल पर पहुंचे पर सुविधाए आंकड़े और अनुसंधान व्यवस्था और प्रचार के तरीके। पिछले दो विषय हमारे अधिन हैं और हम ने जो काम किया है, उस उस की सराहना की गई है।

जहां तक सीमा औपचारिकताओं का सम्बन्ध है, हमने सिफ़ारिशें सिद्धाते रूप से स्वीकार कर ली हैं किन्तु हमारी तटस्था की नीति को ध्यान में रखते हुए इन्हें लागू करने में कुछ समय लगेगा।

वर्तमान परिस्थितियों में हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस पर काफी ज़ोर दिया है। इस लिए हम ने अधिकारियों को बाहर भेजा है। हम अधिक विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं, विशेष-कर अमेरिकी पर्यटकों से, जिन से हमें केवल ४ या ५ करोड़ रुपय की आय होती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है।

हमें अपने अधिकारियों को और अन्य लोगों को, जो यह काम कर रहें हैं शाबाश देनी चाहिए यात्रा एजेंसियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

होटल वाले, यात्रा एजेंट और हमारे पर्यटन अधिकारी सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं और उन्हें हमारी सहानुभूति प्राप्त है। हमें कोई एसा काम नहीं करना चाहिये जिस से उन का उत्साह कम हो।

†**श्री सुब्बया अम्बलम्** : आयकर अदायगी के बारे में क्या स्थिति है?

†**श्री राज बहादुर** : इस के लिए प्रमाण पत्र लेना भारत से बाहर जाने वाले लोगों के लिए आवश्यक होता है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ब्लिट्ज में जो समाचार छपा है, उसके बारे में सचाई क्या है?

†**श्री राजबहादुर** : हम केवल उस मामले को जांच करेंगे जो कि हम जांच के काबिल समझते हैं। यदि किसी समाचार पत्र में कोई समाचार पत्र छपा है, तो हमारा यह कर्तव्य नहीं कि हम उस पर ध्यान दें समाचार पत्र की प्रतिष्टा को भी देखना चाहिये, यदि शिकायत हमारे पास की गई होती, तो हम अवश्य उस पर ध्यान देते।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार ५ सितम्बर, १६६१।१४ भाद्र, १८८३ (शक) के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दैनिक संक्षेपिका

सोमवार, ४ सितम्बर, १९६१

१३ भाद्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . ३२७१-९८

तारांकित प्रश्न संख्या

११५९	उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा	३२७१-७३
११६०	मद्रास में इस्पात कारखाना	३२७३-७५
११६१	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	३२७५-७८
११६२	समाज कल्याण बोर्ड की निधियां	३२७८-८३
११६३	प्राकृतिक गैस	३२८३-८४
११६४	श्रव्य दृश्य शिक्षा	३२८४-८६
११६६	एवरी ७४८	३२८६-८८
११६७	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर	३२८८-८९
११६८	श्रमजीवी महिलाओं के लिये होस्टल . .	३२८९-९१
११६९	प्रशिक्षा कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये सहायता .	३२९१
११७०	त्रिपुरा में डिवीजनों का प्रशासनिक पुनर्गठन . .	३२९१-९३
११७१	रूरकेला में कच्चा लोहा और इस्पात . . .	३२९३
११७४	मध्य प्रदेश में ईसाई धर्म प्रचारकों की धर्म परिवर्तन विषयक कार्य-वाहियां	३२९४-९६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या

२	राजनैतिक दलों की मान्यता	३२९६-९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२९८-३३९६

तारांकित प्रश्न संख्या

११५८	जन्म और मृत्यु का पंजीकरण .	३२९८
११६५	केन्द्रीय ढलाई गढ़ाई संस्था	३२९८-९९
११७२	पेट्रोलियम संस्था . .	३२९९
११७३	बम्बई में सोना पकड़ा जाना	३२९९

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

११७५	हिन्दी शार्टहैंड पद्धति	३३००
११७६	अन्तर्राज्य सद्भावना का बढ़ाना	३३००
११७७	प्राचीन स्मारकों में कलाकृतियों का विध्वंस	३३००
११७८	फल तथा वनस्पति परिरक्षण के लिये वैदेशिक अनुसन्धान केन्द्र	३३०१
११७९	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा	३३०१
११८०	बिक्री कर विभाग, केरल	३३०२
११८१	भूकम्प सम्बन्धी जानकारी देने वाला नया उपकरण	३३०२
११८२	अफीम कारखाना, गाजीपुर में वायू संचारण	३३०३
११८३	पूर्व पंजाब जनपद सेना (ईस्ट पंजाब मिलिशिया)	३३०३–०४
११८४	पुरातत्व सम्बन्धी खोज	३३०४
११८५	आर० वी० बैंक, मदुरै को शोध-विलम्ब काल	३३०४–०५
११८६	कलकत्ते में प्लेनेटेरियम	३३०५
११८७	दिल्ली में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का विश्राम गृह	३३०५–०६
११८८	गन केरेज फैक्टरी, जबलपुर में विस्फोट	३३०६
११८९	दिल्ली में भिखारी	३३०६
११९०	लड़कियों की शिक्षा	३३०७
११९१	मध्य प्रदेश के सरगूजा जिले में जनगणना	३३०७–०८
११९२	अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयोग	३३०८
११९३	विदेशी मुद्रा	३३०९
११९४	लन्दन में यातायात नियंत्रण का अध्ययन करने के लिए अधिकारी	३३०९
११९५	टेक्निकल संस्थाओं के अध्यापकों के लिए क्वार्टर	३३१०
११९६	पीपल्स फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को	३३१०
११९७	छावनी अधिनियम	३३१०–११
११९८	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण	३३११
११९९	वैज्ञानिक शिक्षा केन्द्रीय संगठन	३३११
१२००	रूस की अन्तरिक्ष उड़ान	३३११–१२
१२०१	कोयला खानों में रज्जु मार्ग	३३१२
१२०२	टैंकों का निर्माण	३३१२–१३
१२०३	तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिए ब्रिटिश ऋण	३३१३

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२०४	भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी	३३१३
१२०५	दिल्ली में राष्ट्रीय बाल संग्रहालय	३३१४
१२०६	भारतीय प्रशासन सेवा की विशेष भर्ती	३३१४
१२०७	इस्पात का निर्यात	३३१४
१२०८	इस्पात कारखाने	३३१५
१२०९	शिक्षा समस्याओं का अध्ययन	३३१५
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३१५०	पाकिस्तानियों द्वारा तस्कर व्यापार	३३१५–१६
३१५१	भारत सेवक समाज	३३१६
३१५२	पंजाब में केन्द्र द्वारा चलायी जाने वाली पोलिटेक्नीक संस्थायें	३३१६–१७
३१५३	केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन	३३१७
३१५४	दिल्ली नगर निगम के लिये भवन	३३१७
३१५५	पंजाब को दिया गया ऋण	३३१८
३१५६	पंजाब में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	३३१८
३१५७	बैलून कार	३३१८
३१५८	पाकिस्तानी नोट	३३१९
३१५९	पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज	३३१९
३१६०	विकिरण उपचार संस्था	३३२०
३१६१	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक	३३२०
३१६२	पाकिस्तानी तस्कर व्यापारी	३३२०
३१६३	गांजे की खेती	३३२१
३१६४	महाराष्ट्र से वसूल किये गये कर	३३२१
३१६५	हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता	३३२१
३१६६	सरकारी क्षेत्र की परियोजना के धन का कथित गबन	३३२२
३१६७	पंजाब में लड़कियों की शिक्षा	३३२२
३१६८	वेतन आयोग की रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद	३३२२
३१६९	प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारियों की वेतन-वृद्धि	३३२३
३१७०	तृतीय योजना में हिन्दी का विकास	३३२३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३१७१ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आवास योजनायें ३३२३–२४
३१७२ विमुक्त जातियां ३३२४
३१७३ नाम-पट्टे ३३२४–२५
३१७४ उड़ीसा में प्राथमिक शिक्षा ३३२५
३१७५ अन्धों की शिक्षा ३३२५
३१७६ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् ३३२५–२६
३६७७ उड़ीसा में माध्यमिक शिक्षा ३३२६
३१७८ 'इंडेक्स टु एजुकेशनल पीरियोडिकल्स' . . . ३३२६–२७
३१७९ असम वित्त निगम ३३२७
३१८० अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को आवास अनुदान ३३२७
३१८१ चोरी छिपे लाई गई घड़ियों का पकड़ा जाना . . ३३२७–२८
३१८२ पूर्वी अफ्रीका में जीवन बीमा निगम का विनियोजन . . ३३२८
३१८३ भारत में गोरखा लोग ३३२८
३१८४ दिल्ली के स्कूलों में सामाजिक ज्ञान की पाठ्य पुस्तक . ३३२८
३१८५ इंजीनियरिंग कालेज वारंगल ३३२९
३१८६ अतिरिक्त समय काम करने का भत्ता . . ३३२९
३१८७ काश्मीर में कोयले की कमी . . ३३३०
३१८८ नई दिल्ली में बाल भवन ३३३०
३१८९ सांस्कृतिक समारोहों के लिये कलकत्ता विश्वविद्यालय को अनुदान ३३३०
३१९० पंजाब में उर्दू का विकास . ३३३१
३१९१ राजस्थान में भूतपूर्व सैनिक ३३३१
३१९२ मनीपुर में अपहरण के मामले . ३३३१
३१९३ बड़ौदा में खनिज निक्षेप ३३३२
३१९४ बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के प्रादेशिक प्रशिक्षण कालेज ३३३२–३३
३१९५ समवायों द्वारा जारी पूंजी ३३३३
३१९६ निर्वाचन याचिका ३३३३–३४
३१९७ ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड को ऋण . . ३३३४
३१९८ सेवाओं में हरिजनों की भर्ती . . ३३३४

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३१९९	अनुत्तीर्ण होने वालों का प्रतिशत . . .	३३३५
३२००	न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण . .	३३३५–३६
३२०१	केन्द्रीय जीवन बीमा निगम का केन्द्रीय कार्यालय	३३३६
३२०२	जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना	३३३६
३२०३	टेक्निकल शिक्षा के लिये विदेशी सहायता .	३३३६–३७
३२०४	कोयले का भूमिगत वायुकरण . . .	३३३७
३२०५	विस्थापित व्यक्तियों के लिय हस्तांतरित सम्पत्ति पर शुल्क	३३३७
३२०६	'फ्लाइंग साइकल' . .	३३३७–३८
३२०७	दिल्ली में गैर सरकारी स्कूल	३३३८
३२०८	ईसाई धर्म प्रचारक	३३३८
३२०९	सालारजंग संग्रहालय .	३३३८
३२१०	आयुध कारखाने	३३३९
३२११	नई दिल्ली में तिब्बतियों के लिये विश्राम गृह	३३३९
३२१२	उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक	३३३९–४०
३२१३	दुर्गापुर में अखिल भारतीय कांग्रस समिति का अधिवेशन .	३३४०
३२१४	केरल में इस्पात पुनर्बेलन मिल . .	३३४०–४१
३२१५	विदेशों से प्राप्त आर्थिक सहायता का उपयोग	३३४१
३२१६	मध्य प्रदेश में सी० पी० एम० ओ० कम्पनी	३३४१–४२
३२१७	उड़ीसा के लिये कच्चा लोहा	३३४२
३२१८	कच्चे मैंगनीज पर रायल्टी	३३४२
३२१९	असाम के स्वायत्तशासी पहाड़ी जिलों की आदिम जातियों की लिपि	३३४३
३२२०	सरकरी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी विदेशी पूंजी	३३४३–४४
३२२१	बैंकिंग प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन	३३४४
३२२२	सौराष्ट्र में औरतों द्वारा आत्महत्या .	३३४४
३२२३	बिहार में स्कूल छात्रावास .	३३४४–४५
३२२४	भारत में विदेशी विशेषज्ञ . .	३३४५–४६
३२२५	गैर-सरकारी फर्मों को करों से छूट . . .	३३४६
३२२६	प्रारम्भिक स्कूलों के लिये द्विभाषी पुस्तकें .	३३४६–४७
३२२७	राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज . .	३३४७
३२२८	इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग .	३३४७–४८

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३२२९	हिन्दी निदेशालय में नये कर्मचारी	३३४८
३२३०	सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को बाहर भेजना	३३४८
३२३१	खज़ाने की पेटियों का टूट जाना	३३४९
३२३२	लाजपत नगर, नई दिल्ली के दुकानदार	३३४९
३२३३	पंजाब में विज्ञान क्लब	३३४९–५०
३२३४	जन्तर मंतर, नई दिल्ली	३३५०
३२३५	भारत को टेक्निकल सहायता	३३५०
३२३६	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	३३५०–५१
३२३७	वनस्थली विद्यापीठ, जयपुर को अनुदान	३३५१
३२३८	माध्यमिक शिक्षा के लिये स्वयंसेवी शिक्षा संगठनों को सहायता	३३५१
३२३९	लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा तथा अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण	३३५१–५२
३२४०	दिल्ली अनैतिकता विरोधी आन्दोलन	३३५२
३२४१	कछार में निर्वाचक नामावलियां छापना	३३५२
३२४२	सुपारी का अवैध आयात	३३५३
३२४३	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की भर्ती	३३५३
३२४४	दिल्ली में चीन निवासी	३३५३
३२४५	बंगलौर में सोने की खानें	३३५४
३२४६	भिलाई इस्पात कारखाना	३३५४
३२४७	लखीमपुर क्षेत्र में बाढ़	३३५४–५५
३२४८	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का पुनरीक्षण	३३५५
३२४९	उड़ीसा में टैगोर शताब्दी समारोह	३३५५
३२५०	अनिवार्य छोटी बचत	३३५६
३२५१	राष्ट्रीय सेना छात्र दल और सहायक सेना दल शिविर	३३५६–५७
३२५२	रूरकेला इस्पात कारखाना	३३५७
३२५३	पंजाब में स्कूलों के छात्रावास	३३५७
३२५४	पंजाब के लिये इस्पात	३३५७–५८
३२५५	दिल्ली में साइकिल सवार	३३५८
३२५६	पंजाब में छावनी बोर्ड	३३५८
३२५७	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर	३३५९
३२५८	पंजाब मे सांस्कृतिक कार्यों के लिए अनुदान	३३६०

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३२५९	पंजाब विश्वविद्यालय के लिये अनुदान	३३६०
३२६०	दिल्ली में अवैध अफीम की जब्ती	३३६०
३२६१	दिल्ली में अवैध शराब बनाना	३३६१
३२६२	बच्चों के क्लब	३३६१
३२६३	पंजाब में भूतपूर्व सैनिक	३३६१
३२६४	दिल्ली की अदालतों में बकाया मामले	३३६१–६२
३२६५	राष्ट्रीय उपाधियां	३३६२
३२६६	त्रिपुरा में भूमि हस्तांतरण पर विस्थापित व्यक्तियों से प्रीमियम	३३६२
३२६७	हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास	३३६३
३२६८	पालम हवाई अड्डे पर रोके गये पाकिस्तानी	३३६३
३२६९	नहरकटिया का अशोधित तेल	३३६३
३२७०	राज्यों में रोजगार	३३६४
३२७१	कलकत्ते में आयकर कार्यालय की इमारत	३३६४
३२७२	तेल मंत्रणा समिति	३३६४–६५
३२७३	दिल्ली में लड़कियों के सरकारी स्कूलों में शिक्षक	३३६५
३२७४	रूरकेला इस्पात कारखाने के लिए लौह अयस्क	३३६६
३२७५	संघ लोक सेवा आयोग के ज़रिये भर्ती	३३६६
३२७६	मज़दूर संघों को मान्यता	३३६६–६७
३२७७	आर्मी बस वर्कशाप द्वारा की गई खरीद	३३६७
३२७८	औद्योगिक तथा गैर-औद्योगिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	३३६७–६८
३२७९	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के लिये कर्म समितियां	३३६८
३२८०	विदेशों के कोयला विशेषज्ञ	३३६८–६९
३२८१	रिजर्व बैंक के एक डाइरेक्टर की घर की तलाशी	३३६९
३२८२	प्रादेशिक सेना के लिये आदिम जातियों के लोग	३३६९
३२८३	मनीपुर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियां	३३६९–७०
३२८४	दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में भर्ती	३३७०
३२८५	मदुरै को उच्च-श्रणी का करना	३३७०–७१
३२८६	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक संस्था	३३७१
३२८७	उड़ीसा में इनामी बांडों की बिक्री	३३७१

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३२८८	उड़ीसा में पेंशन पाने वाले साहित्यकार	३३७१
३२८९	सेक्शन अफसरों के लिय तालिका	३३७२
३२९०	स्कूल सुधार योजना	३३७२
३२९१	स्कूलों की पुस्तकें	३३७३
३२९२	दिल्ली में गृह-निर्माण सहकारी समितियां	३३७३
३२९३	टैक्निकल कर्मचारी	३३७३–७४
३२९५	दिल्ली छावनी में जमीन के अन्दर नालियां	३३७४
३२९६	अरकी और सोलन में कत्ल	३३७४
३२९७	भूतपूर्व अजमेर राज्य के कर्मचारी	३३७४–७५
३२९८	"सैनिक समाचार" . .	३३७५
३२९९	प्रतिरक्षा लेखा कार्यालयों के कर्मचारी	३३७५–७६
३३००	प्रतिरक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार	३३७६
३३०१	प्लाई सेंट्रल बैंक कर्मचारी संघ	३३७७
३३०२	शनिवार के दिन की छुट्टी	३३७७
३३०४	दिल्ली में सर्वाधिक यातायात का समय	३३७८
३३०५	सवारी भत्ता	३३७८–७९
३३०६	स्टाफ कारें .	३३७९
३३०७	बीकानेर स्टेशन पर चोरी से लाये गये सामान का पकड़ा जाना	३३७९–८०
३३०८	भारतीय खान स्कूल धनबाद	३३८०–८१
३३०९	पेट्रोलियम टेक्नालोजी के स्नातक	३३८१
३३१०	मदुरै कालेज के लिये भवन सम्बन्धी अनुदान	३३८१–८२
३३११	मनीपुर के इम्फाल नगर में शराब की रियायत	३३८२
३३१२	इम्फाल में स्टेडियम .	३३८२
३३१३	मनीपुर प्रशासन	३३८३
३३१४	तेल की पाइप लाइनों के लिये मीटर	३३८३
३३१५	जाली मुद्रा बनाने वाला गिरोह	३३८३
३३१६	५०५ आर्मी बेस में पेट्रोल टैंकों का निर्माण	३३८४
३३१७	५०५ आर्मी बेस वर्कशाप में समान की स्थानीय खरीद	३३८४–८५
३३१८	कैंटीन स्टोर विभाग के कर्मचारियों के वेतन क्रम	३३८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : (जारी)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३१६	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के औद्योगिक कर्मचारियों के लिये छुट्टियां	३३८५–८६
३३२०	वेतन आयोग की सिफारिशें .	३३८६
३३२१	औद्योगिक कर्मचारियों को छुट्टी के दौरान यात्रा की रियायत	३३८६
३३२२	सरकारी कर्मचारियों के ताश खेलने पर प्रतिबन्ध	३३८७
३३२३	भोपाल की राजधानी परियोजना	३३८७
३३२४	पुलिस अनुसन्धान केन्द्र	३३८७–८८
३३२५	भिलाई स्टील वर्क्स	३३८८
३३२६	नोट आदि की छपाई का व्यय . .	३३८८–८९
३३२७	सशस्त्र सेना मुख्यालय में लोर डिवीजन क्लर्क	३३८९–९०
३३२८	लोअर डिवीजन क्लर्क . .	३३९०
३३२९	निवृत्त कनिष्ठ आयुक्त अधिकारियों को पेंशन	३३९०–९१
३३३०	लोअर तथा अपर डिवीजन क्लर्क	३३९१
३३३१	केन्द्रीय सचिवालय सेवा .	३३९१–९२
३३३२	अंकलेश्वर और खम्भात क्षेत्र में कोयला	३३९२
३३३३	सुपरसोनिक विमानों की खरीद .	३३९२
३३३५	नाफ्था . . .	३३९२–९३
३३३६	गर्ल्स सीनियर बेसिक स्कूल, लाजपत नगर, नई दिल्ली	३३९३
३३३७	दिल्ली के अध्यापकों के वेतन-क्रम	३३९३
३३३८	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	३३९३–९४
३३३९	राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला	३३९४
३३४०	दिल्ली में कोयला तथा कोक	३३९४–९५
३३४१	दिल्ली में कोयला तथा कोक .	३३९५
३३४२	दिल्ली के लिये कोयले तथा कोक का कोटा	३३९५–९६
३३४३	विभिन्न राज्यों को ऋण	३३९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	. . . . . .	३३९६

(१) कापीराइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत दिनांक १६ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस ० ओ० १९२९ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६१ की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(२) बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, १९६० की धारा १९ की उप-धारा (६) और दो-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र (समापन) अधिनियम, १९६१ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सम्बन्धी आदेश, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ४ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १८६७ की एक प्रति ।

वित्तीय समितियां (१९६०-६१)--एक समीक्षा की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई । ३३९७

राज्य सभा से सन्देश . . . ३३९७

सचिव ने सभा को बताया कि राज्य सभा प्रत्यर्पण विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में शामिल होने के लिये लोक सभा की सिफारिश से सहमत हो गई है ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३३७

सचिव ने सभा को बताया कि चालू सत्र में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये निम्न-लिखित विधेयकों पर राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है ।

(१) संघ राज्य-क्षेत्र (स्टाम्प तथा कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१

(२) नमक उपकर (संशोधन) विधेयक, १९६१

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के कार्यवाही सारांश--सभा पटल पर रखे गये . .

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के चौदहवें सत्र में हुई बैठकों (तैंतीसवीं और चौंतीसवीं) के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखे गये । ३३९७-९८

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित ३३९८

बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पारित ३३९८--३४८७

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने वाद विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-वार विचार आरम्भ हुआ और खंड २ से २२ स्वीकृत हुए । खंड २३ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर सभा में चार बार मतविभाजन हुआ । सभी संशोधन अस्वीकृत हुए और खंड २३ से २५ और २७ से २९ स्वीकृत हुए । खंड २६ संशोधित रूप में पारित किया गया । खंड १ अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम स्वीकृत हुआ और विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक विचाराधीन	३३१७—२१
रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने प्रस्ताव किया कि भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाय ।	
चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
आधे घंटे की चर्चा	३३२१—२३
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक सम्मेलनों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १६५५ के २० अप्रैल, १९६१ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आध घंटे की चर्चा उठायी । परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) ने वाद विवाद का उत्तर दिया ।	
मंगलवार ५ सितम्बर, १९६१/१४ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर चर्चा और उसका पारित किया जाना तथा गन्ना उपकर (वैध-करण) विधेयक और दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार और उसका पारित किया जाना ।	

GMGIPND—LS III—1214 (Ai) LS—12-10-61—125